

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804] No. 804] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2016/अग्रहायण 1, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016/AGRAHAYANA 1, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 22 नवम्बर. 2016

सा.का.नि 1081(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार, गैस सिलेंडर नियम, 2015 का प्रारूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 779(अ) तारीख 13 अक्तूबर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ उसी तारीख को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के विषय में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गैस सिलेंडर नियम, 2004 का उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

अध्याय 1 प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

5378 GI/2016 (1)

- 2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अनुयथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) "अधिनियम" से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) अभिप्रेत है;

वाष्प 50º सेल्सियस पर 1.7 से 1.8 वायुमंडल गेज होता है।

- (ii) "ओटो एलपीजी" से भारतीय मानक आई एस 14861 के विनिर्देश ओटोमोटिव ईंधन के लिए बनी द्रवित पेट्रोलियम गैस अभिप्रेत है;
- (iii) "मुख्य नियंत्रक" से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है;
- (iv) "संघटक सिलेंडर" से जो धात्विक या अधात्विक अस्तर पर बना निरंतर फिलामेंट लिपटे वाले संसंचित लार वाला सिलेंडर अभिप्रेत है। अधात्विक अस्तरों का उपयोग करने वाले कम्पोजिट सिलेंडरों को पूर्ण संघटक सिलेंडर कहा जाता है;
- (v) "संपीडित गैस" से कोई स्थायी गैस, द्रवशील गैस या दाब के अधीन द्रव में विलीन गैस मिश्रण अभिप्रेत है, एक बंद सिलेंडर में, जो या तो +15º सेल्सियस पर 2.5 के.जी.एफ.प्रति वर्ग सेंटीमीटर निरपेक्ष(1.5 के.जी.एफ प्रति वर्ग सेंटीमीटर गेज) या (+)50º सेल्सियस पर 3 के.जी.एफ प्रति वर्ग सेंटीमीटर निरपेक्ष (2 के.जी.एफ. प्रति वर्ग सेंटीमीटर गेज) से अधिक दाब या दोनों का क्रायोजनिक द्रवों को मिलाकर प्रदर्शित करती है; स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड संपीडित गैस के अंतर्गत आती है, यद्यपि इसका
- (vi) किसी पत्तन के संबंध में, "संरक्षक" के अंतर्गत, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अधीन उस पत्तन के संरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति निकाय के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है:
- (vii) "नियंत्रक" के अंतर्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक नियंत्रक और उप विस्फोटक नियंत्रक सम्मिलित है;
- (viii) "संपीडित बायो गैस (सीबीजी) से अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से गैसीय रूप में मीथेन वाली हाइड्रोकार्बन गैसों और वाष्पों का मिश्रण अभिप्रेत है, जो पौधों और पशुओं के अपशिष्ट के अपघटन द्वारा निर्मित है, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा आटोमोटिव ईंधन के रूप में और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए स्वीकृत, नियमों या मानको के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप विशुद्ध और संपीडित किया गया है।
- (ix) "संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.)" से मुख्य रूप से गैसीय रूप में मीथेन या हाइड्रोजन और मीथेन के उचित मिश्रण युक्त हाइड्रोकार्बन गैसों और वाष्पों का मिश्रण अभिप्रेत है, जिसे ओटोमोटिव ईंधन और औद्योगिक प्रयोज्यता के लिए संपीडित किया गया है; जिसमे संपीडित बायो गैस में सम्मिलित है।
- (x) "समेकित सीएनजी डिस्पेन्सिंग ईकाई" से एक एकीकृत इकाई अभिप्रेत है जिसमें सीएनजी भंडारण कास्केड, सीएनजी संपीडक और सीएनजी डिस्पेन्सिंग इकाई आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और एक बक्से के अंदर अंतःस्थापित है।
- (xi) "सी.एन.जी. मातृ स्टेशन" से प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों से जुड़ी और मुख्य रूप से उपस्टेशन के चल कासकेडों को भरने के लिए बने संपीडन वाली सी.एन.जी.सुविधाएं अभिप्रेत हैं; ऐसे स्टेशनों में वाहनों में सी.एन.जी. प्रदान करने के लिए स्थिर कासकेड भी हो सकते हैं;
- (xii) "सी.एन.जी. आन लाइन स्टेशन" से प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से जुडी और मुख्य रूप से वाहनों में सी.एन.जी. भरने की सुविधाएं अभिप्रेत है;
- (xiii) "सी.एन.जी. उप स्टेशन" से ऐसी सी.एन.जी. सुविधाएं अभिप्रेत हैं जो प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से जुडी नहीं है। ऐसे सी.एन.जी. डिस्पेंसिंग स्टेशन मोबाईल कासकेडों से सी.एन.जी. प्राप्त करते हैं;
- (xiv) "सी.एन.जी. बूस्टर उप स्टेशन" से ऐसी सी.एन.जी. सुविधाएं अभिप्रेत हैं जो प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से जुडी नहीं है और वाहनों में ईंधन भरने के लिए डिस्चार्ज दबाव में वृद्धि करने हेतु ऐसे सी.एन.जी. डिस्पेंसिंग स्टेशन्स जहाँ मोबाईल या स्थिर कासकेड बूस्टर संपीडक से जोडे गए हो;

- (xv) "क्रांतिक तापमान" से वह तापमान अभिप्रेत है, जिसके ऊपर गैस केवल दाब लगाने से द्रवित नहीं की जा सकती है;
- (xvi) "क्रायोजेनिक आधान " से ऐसा दोहरी दीवारों वाला उष्मारोधी बंद धातु का आधान अभिप्रेत है, जिसका आयतन 500 मिलीलीटर से अधिक किंतु 1000 लीटर से कम है और जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोड के अनुसार क्रायोजेनिक द्रव के भरण, भंडारण और परिवहन के लिए बनाया गया है;
- (xvii) "क्रायोजेनिक द्रव" से ऐसी स्थायी गैस का तरल रूप अभिप्रेत है जिसका सामान्य क्वथनांक (बॉइलिंग पॉइंट) (-) 150º सेल्सियस के नीचे है,
- (xviii) "सिलेंडर परीक्षण स्टेशन " से ऐसी सुविधाएं और अवसरंचना जो सिलेंडरो के आविधक परीक्षण और जांच के लिए आवश्यक है; अभिप्रेत है;
- (xix) "विलीन एसिटिलीन सिलेंडर " से सुरक्षा युक्ति सिहत या इसके बिना और वाल्व युक्त ऐसा कोई सिलेंडर अभिप्रेत है जिसमें पोरस मास, विलीन ऐसिटिलीन के भण्डारण के लिए विलायक और वायु मंडलीय दाब तथा (+)15º सेल्सियस के तापमान पर विलायक को संतृष्त करने के लिए कम से कम पर्याप्त मात्रा की ऐसिटिलीन समाविष्ट है;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, ऐसिटोन या उपयोग में लाया गया कोई विलायक, ऐसिटीलीन गैस या पोरसमास या सिलेंडर या वाल्व की धातु के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के योग्य नहीं होगा।

- (xx) "विलीन गैस" से ऐसी कोई गैस अभिप्रेत है जो दाब के अधीन किसी विशिष्ट गैस, जैसे ऐसिटोन में ऐसिटिलीन या पानी में अमोनिया के लिए उपयुक्त किसी तरल विलायक में विलीन हो जाती है;
- (xxi) "जिला प्राधिकारी" से अभिप्रेत है--(क) पुलिस आयुक्त वाले नगरों में पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त; (ख)किसी अन्य स्थान में जिला मजिस्ट्रेट हैं;
- (xxii) "जिला मजिस्ट्रेट" के अंतर्गत, अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों में और पुडुचेरि संघ राज्यक्षेत्र के कराईकल, माहे और यानाम क्षेत्रों में, उपखंड मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है;
- (xxiii) "फीस" से अनुसूची 5 में विर्निदिष्ट फीस अभिप्रेत है;
- (xxiv) "भरण दाब" से, +15º सेल्सियस पर संपरिवर्तित अधिकतम अभिप्रेत है जिस पर स्थायी गैस के अधीन विलीन गैस. गैस सिलेंडर में भरी जा सकती है:
- (xxv) "भरण अनुपात" से, सिलेंडर में प्रविष्ट द्रवशील गैस के भार से +15º सेल्सियस में समानेवाले पानी के भार के बीच का अनुपात अभिप्रेत है;
- (xxvi) "ज्वलनशील गैस" से ऐसी कोई गैस अभिप्रेत है जो या तो (आयतन के अनुसार) 13 प्रतिशत या कम वायु के साथ मिश्रण से ज्वलनशील मिश्रण बनाती है या वायु के साथ जिसकी ज्वलनशीलता सीमा निम्न सीमा का ध्यान दिए बिना,12 प्रतिशत से अधिक है और ये सीमांए वायुमण्डलीय तापमान और दाब पर अवधारित की जाएंगी;

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए, "ज्वलनशीलन श्रेणी" से वायु के साथ गैस का जो ज्वलनशील मिश्रण बनता है उसमें आयतन की दृष्टि से गैस के न्यूनतम और उच्चतम प्रतिशित के बीच का अन्तर अभिप्रेत हैं:

- (xxvii) "प्ररूप" से अनुसूची 5 में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;
- (xxviii) "गैस सिलेंडर " या " सिलेंडर " से संपीडित गैस के भण्डारण और परिवहन के लिए आशयित कोई बंद धातु आधान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी मोटरयान में इसके ईंधन टैंक के रूप में लगाया गया कोई द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) आधान अथवा संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) सिलेंडर भी है, किंतु इसके अंतर्गत किसी विशेष परिवहन या अवचक्र में लगाया गया ऐसा कोई अन्य आधान नहीं है और ऐसा कम्पोजिट सिलेंडर और क्रायोजनिक आधान भी सम्मिलित है जिसकी सी.एन.जी. नाइट्रोजन संपीडित वायु आदि के

- भंडारण के लिए प्रयुक्त सिलेंडर की जलीय क्षमता 1000लीटर से 3000 लीटर तक अधिक हो सकती है, परंतु तब जबिक ऐसे सिलेंडर का व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक न हो;
- (xxix) "गैस सिलेंडर कासकेड " से सिलेंडरों का समूह (बैटरी) जो एकदूसरे से जोडे गए है, टयूब, ट्रेलर, बहुतत्व गैस आधान, और सिलेंडरों के बंडल, आदि जो बीएस इएन-13769, बीएस इएन-13807, आईएसओ 10961 के अनुरूप है या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा स्वीकृत कोई अन्य विनिर्देश के अनुरूप है, अभिप्रेत है;
- (xxx) "उच्चदाब द्रवशील गैस"से (-)10º सेल्सियस और (+)70º सेल्सियस के बीच क्रांतिक तापमान वाली द्रवशील गैस अभिप्रेत है;
- (xxxi) "एलपीजी सिलेंडर या अन्य वेलडित सिलेंडरों का हॉट रिपेयर या पुनर्नवीयन (रिकंडीशनिंग)" से एलपीजी सिलेंडर या अन्य वेल्डेड सिलेंडर्स की वाल्व संरक्षण रिंग, फूट रिंग, अन्य सुरक्षात्मक उपकरण का प्रतिस्थापन या मरम्मत और मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत कोई अन्य विनिर्देश या कोड्स के अनुसार उष्मा उपचार द्वारा अनुज्ञेय डेंट्स का निष्कासन, अभिप्रेत है;
- (xxxii) "द्रवस्थैतिक प्रतिबल परीक्षण" से सिलेंडर को उसके परीक्षण दाब के बराबर द्रवस्थैतिक दाब के अधीन करना और सिलेंडर द्वारा झेले गए स्थायी प्रतिबल लेखबध्द करना अभिप्रेत है;
- (xxxiii) "द्रवस्थैतिक परीक्षण" से कोई ऐसा परीक्षण अभिप्रेत है जिसमें कि सिलेंडर को उसके परीक्षण दाब के बराबर उसके द्रवस्थैतिक दाब के अधीन किया जाता है;
- (xxxiv) "आयात" से भूमि मार्ग, समुद्र मार्ग या वायु मार्ग से भारत में लाना अभिप्रेत है;
- (xxxv) "निष्क्रिय गैस" से ऐसी गैस अभिप्रेत है जो सधारण रूप से प्रतिरोधी दशाओं में रासायनिक क्रिया की प्रतिरोधी है;
- (xxxvi) "निरीक्षण प्राधिकारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो गैस सिलेंडरों, वाल्व तथा एलपीजी रेगुलेटरों के अभिकल्पना, विनिर्माण और परीक्षण के क्षेत्र में अर्हता प्राप्त हैं तथा जिसे उस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और जिसे मुख्य नियंत्रक द्वारा गैस सिलेंडरों, वाल्व तथा एलपीजी रेगुलेटरों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मान्यता दी गई है;
- (xxxvii) "प्रतिष्ठापन" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है, जिसमें किसी स्थान को, सिलेंडरों में संपीड़ीत गैस के विनिर्माण (भरण) या भण्डारण के लिए, विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है;
- (xxxviii) "द्रवशील गैस" से ऐसी कोई गैस अभिप्रेत है, जो (-)10º सेल्सियस पर द्रविड हो सकती है किन्तु 17.5º सेल्सियस वायुमण्डलीय दाब (760 मि.मी.एच.जी.) के संतुलन में पूर्णत: वाष्पित हो जाती है, जिसका मान को विषैली गैस के लिए 30º सेल्सियस तक बढ़ाया जाएगा;
- (xxxix) "द्रवित पेट्रोलियम गैस" से अभिप्रेत है कोई गैस मिश्रण जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों या उनके मिश्रण का वाष्प दाब 65º सेल्सियस पर 16.87 कि.ग्रा/से.मी² (गेज) से अधिक नहीं हो:- प्रोपेन (सी₃एचॄ8), प्रोपीलीन(सी₃एचॄ6), ब्यूटेन (सी₄एच₁0), (एन-ब्यूटेन और आइसो-ब्यूटेन) और ब्यूटीलीन (सी₄एचॄ8) है;
 - (xl) "निम्न दाब द्रवशील गैस" से (+)700 सेल्सियस से अधिक क्रांतिक तापमान वाली द्रवशील गैस अभिप्रेत है;
 - (xli) "गैस के विनिर्माण" से सिलेंडर को किसी संपीड़ित गैस से भरना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर से संपीड़ित गैस का अन्तरण भी सम्मिलित है;
 - (xlii) "आक्सीकरणीय गैस" से ऐसी गैस अभिप्रेत है, जो तुरन्त आक्सीजन छोड़ती है या किसी मिश्रण से हाईड्रोजन हटाती है अथवा निगेटिव इलैक्ट्रोन को आकर्षित करती है;
 - (xliii) "स्थायी गैस" से ऐसी गैस अभिप्रेत है, जिसका क्रान्तिक तापमान (-)10º सेल्सियस से कम होता है, अर्थात ऐसी गैस जो (-)10º सेल्सियस से अधिक तापमान पर किसी भी दाब के अधीन, द्रवित नहीं हो सकती है;
 - (xliv) "न्यूमैटिक परीक्षण " से ऐसा परीक्षण जो, एक गैस सिलेंडर के न्यूमैटिक दबाव, जो न्यूमैटिक टेस्ट दबाव या वर्किंग दबाव के बराबर पर किया गया हो, जैसा कि विनिर्माण कोड में विनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है ।

- (xlv) "जहरीली (विषैली) गैस" से ऐसी गैस अभिप्रेत है जिसमें मानव श्वसन के लिए वायु में अधिकतम अनुज्ञेय सांद्रता 15º सेल्सियस और एक कि.ग्रा प्रति वर्ग सेल्सियस निरपेक्ष दाब पर 100 मि.ग्रा/एम³ से अधिक न हो;
- (xlvi) "पोरस मास" से- सिलेंडर को भरने हेतु सिलेंडर शेल में दाखिल किया गया या गठित एकल या बहु-घटक पदार्थ जो कि उसके छिद्रित होने के कारण सॉल्वेन्ट अवशोषित करने में सहायक होता है, अभिप्रेत है।
- (xlvii) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची अभिप्रेत है;
- (xlviii) "अधिय भार" से—
 - (क) ऐसिटिलीन सिलेंडर के संबंध में, स्थायी तौर पर उपाबध्द किन्हीं फिटिंग सिलेंडर का भार अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत वाल्व, सुरक्षा युक्ति, पोरस मास, एसिटिलीन को विलीन के लिए विलायक की अपेक्षित मात्रा और वायुमण्डलीय दाब तथा 15⁰ सेल्सियस के तापमान पर विलायक को संतृत्प बनाने वाली एसिटिलीन गैस का भार भी है;
 - (ख) द्रवशील गैस सिलेंडर के संबंध में, स्थायी तौर पर उपाबध्द किसी फिटिंग सहित सिलेंडर का भार अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत वाल्व का भार भी है;
 - (ग) स्थायी गैस सिलेंडरों के संबंध में, स्थायी तौर पर उपाबध्द फिटिंग सिहत और वाल्व के भार को छोड़कर, सिलेंडर का भार अभिप्रेत है;
 - (घ) "क्रायोजेनिक आधान" से आधान का वजन, उसके साथ लगे अन्य स्थायी फिटिंग के साथ और जिसमें वॉल्व्स एवं ऊष्मारोधन सामग्री का वजन भी शामिल है अभिप्रेत है।
- (xlix) "परीक्षण दाब" से, सिलेंडर के द्रवस्थैतिक परीक्षण, प्रतिबल परीक्षण या वायवीय परीक्षण के लिए अपेक्षित आन्तरिक दाब अभिप्रेत है, जैसा कि सिलेंडर विनिर्माण कोड में विनिर्दिष्ट है।
 - (1) "परिवहन" से किसी संपीड़ित गैस से भरे सिलेंडर का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;
 - (li) "जलधारिता" से 15º सेल्सियस पर सिलेंडर द्वारा धारण किए जानेवाले पानी का आयतन, लीटरों में, अभिप्रेत है;
 - (lii) "निम्न दाब द्रवशील गैस के लिए कार्यकारण दाब" से 65º सेल्सियस पर संतृप्त वाष्प दाब अभिप्रेत है;

 स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न गैसों के संतृप्त वाष्प दाब के लिए विनिर्दिष्ट भारतीय मानक आईएस 37100 है।
 - liii. "स्थायी गैस के लिए कार्यकरण दाब" से 15º सेल्सियस पर सिलेंडर में गैस का आंतरिक दाब अभिप्रेत है;
 - liv. "पराभव सामर्थ्य" से तनन परीक्षण में मूल गेज लम्बाई के स्थायी तनाव के 0.2 प्रतिशत के अनुरूप प्रतिबल अभिप्रेत है।

अध्याय 2 साधारण उपबन्ध

- 3.सिलेंडरों का भरण, कब्जा, आयात और परिवहन.-(1) कोई भी व्यक्ति,किसी सिलेंडर में संपीडि़त गैस तब तक नहीं भरेगा या ऐसे भरे गए या भरे जाने के लिए आशयित सिलेंडर को तब तक आयात नहीं करेगा, कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा जब तक कि-
 - (क) ऐसे सिलेंडर और उसको वाल्व को, मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश द्वारा, समय समय पर, यथासंशोधित अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार और मानक का नहीं बनाया गया है;

- (ख) सिलेंडर और उनके वाल्व की बाबत निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र, मुख्य नियंत्रक को उपलब्ध नहीं कर दिया जाता है और उक्त प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
- (2) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात:-
 - i. सिलेंडरों की कुल संख्या और क्रम संख्यांक;
 - ii. सिलेंडरों के विनिर्माताओं के नाम और पते:
 - iii. सिलेंडरों और वाल्वों के विनिर्देश;
 - iv. पूर्व अनुमोदन, यदि कोई हो;
 - v. सिलेंडरों की बाबत परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र;
 - vi. सिलेंडरों में लगाए गए/लगाए जाने वाले वाल्वों से संबंधित परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र;
 - vii. अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस।
- (3) (क) निरीक्षण प्राधिकारी, उसके द्वारा अनुमोदित अभिकल्पना और विनिर्देश या कोड के अनुसार निरीक्षित और प्रमाणित सिलेंडरों और वाल्वों के संबंध में अपेक्षित परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र में अनुसूची 2 में दी गई जानकारी समाविष्ट होगी।
 - (ख) मुख्य नियंत्रक अनुमोदन जारी कर सकते है, ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई हो, प्रोटो टाईप के उत्पादन के लिए आवश्यक अनुमति दे सकते है, जैसा वह आवश्यक समझते है।
 - (ग) विनिर्माता के भौतिक मूल्यांकन, जैसे, निरीक्षण, परीक्षण, क्वालिटी नियंत्रण सुविधाएं और प्रोटोटाइप के प्रकार के परीक्षण की साक्ष्य का कार्य मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा नामित तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाए। उनके साथ उत्पाद के निर्माण हेतु फर्म की क्षमता का आकलन करने हेतु निरीक्षण प्राधिकारी के तकनीकी दल द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ मुख्य नियंत्रक को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
 - (घ) मुख्य नियंत्रक खंड (क) और(ख) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संतोषप्रद अनुपालन की प्राप्ति एवं निरीक्षण रिपोर्ट के सभी पहलुओं का परीक्षण करते हुए आवश्यक जांच, यदि कोई हो, अधिनियमों और इन नियमों के अंतर्गत अन्य उपाबंध के अधीन, जैसा वह जरूरी समझे, विनिर्माता को लिखित आदेश के द्वारा प्रथमतः एक वर्ष की अविध के लिए, समाधान प्रद प्रदर्शन रिपोर्ट की प्राप्ति पर और अधिक बढाई जा सकती हैं, या तो अनुमोदन जारी कर सकते है या उसे जारी करने से इंकार कर सकते है।
 - (ङ) विदेशी विनिर्माताओं द्वारा अनुमोदन के लिए आवेदन के मामले में इकाई के भौतिक मूल्यांकन के लिए अनुसूची 5 के अनुसार फीस का भुगतान किया जाएगा:
 - परंतु मुख्य नियंत्रक निरीक्षण किए बिना अनुमोदन जारी करते है तो वह विनिर्मित सिलेंडर या वॉल्व्स के लंबित अविध के भौतिक मूल्यांकन हेतु अस्थाई अनुमोदन जारी करेंगे। यह लंबित अविध खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अविध है, जो विनिर्माण सुविधाओं के भौतिक मूल्यांकन हेतु आवश्यक हो सकती है; और विदेशी विनिर्माताओं के इकाइयों का पुनर्मूल्यांकन हर पांच वर्ष की अविध में एक बार किया जाएगा।
 - (च) विदेशी विनिर्माताओं को अनुमोदन जारी करने के दौरान उपनियम (3) (क) से (ङ) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने से पूर्व, उनकी सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्धियां, विनिर्माण क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव और बाजार में व्यापक हिस्सेदारी का विचार किया जाएगा।
 - (छ) अभिकल्पना ड्राईंग में किसी बदलाव करने के संबंध में आगामी अनुमोदन हेतु अनुसूची 5 में विनिर्दिष्टानुसार संवीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

- (4) (क) सिलेंडरों, वाल्वों, स्वत: बंद होनेवाले वाल्वों से संलग्न एल.पी.जी. रैग्यूलेटरों, बहुकार्य वाल्वों और अन्य फिटिंगो का विनिर्माण करने का इच्छुक कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक से अनुमोदन लेगा और ऐसा अनुमोदन लेने के लिए अनुसूची 3 में वर्णित विशिष्टियों और अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस के साथ निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित अभिकल्पना रेखाचित्र और परिकलन प्रस्तुत करेगा।
 - (ख) अभिकल्पना ड्राईंग में किसी बदलाव करने के संबंध में आगामी अनुमोदन हेतु अनुसूची 5 में विनिर्दिष्टानुसार संवीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (5) उपनियम(1) में किसी बात के होते हुए भी, सिलेंडर जिनके विनिर्देशों समय समय पर संशोधित किए गए हो, जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है और भरण के लिए उद्भव देश के लिए लदाई करने या भारतीय पत्तन से होकर विदेश जा रहे जलयान को प्रदाय करने के लिए भारत में आयात किए गए हैं, ऐसी गैस को भरा जा सकता है, अर्थात,-
 - (क) सिलेंडर का, यथास्थिति, द्रवचालीय या द्रवस्थैतिक परीक्षण, इन नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया गया है तथा परीक्षण के दौरान लगाया गया दाब, सिलेंडर पर अंकित परीक्षण दाब होगा।
 - (ख) सिलेंडर में-
 - (i) कम दाब वाली द्रवशील गैसों के लिए भारतीय मानक 3710 और अधिक दाब वाली द्रवशील गैसों के लिए भारतीय मानक 15975 में विनिर्दिष्ट भरण अनुपात से अधिक कोई द्रवशील गैस नहीं भरी गई है:
 - (ii) जिस दाब के लिए सिलेंडर अभिकल्पित किया गया है, उस दाब से अधिक कोई स्थायी गैस नहीं भरी गई है;
 - (ग) भरण स्टेशन पर सिलेंडर के परीक्षण और भरण का अलग-अलग अभिलेख रखा जाता है;
 - (घ) भरे हुए सिलेंडर भरण स्टेशन से हटाकर यथासंभव शीघ्र पोत पर लादा दिए जाते हैं।
- 4. वाल्व—(1) गैस सिलेंडरों में लगे वाल्व निम्नलिखित विनिर्देशों के पूर्णतया अनुरूप होंगे, अर्थात्:
 - i. औद्योगिक गैस सिलेंडरों और सीएनजी ऑन-बोर्ड सिलेंडरों के संबंध में, भारतीय मानक आईएस 3224;
 - ii. चिकित्सीय गैस सिलेंडरों के संबंध में, भारतीय मानक आईएस 3745;
 - iii. श्वसन साधित्र के साथ प्रयोग में लाए जानेवाले सिलेंडरों के लिए, समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आईएस 7302;
 - iv. द्रवित पेट्रोलियम गैस भरने के लिए उपयोग किए जानेवाले सिलेंडरों के संबंध में, 5 लीटर से अनिधक जल धारिता वाले सिलेंडरों के लिए भारतीय मानक आईएस 8776 और 5 लीटर से अधिक जल धारिता वाले सिलेंडरों के लिए भारतीय मानक आईएस 8737;
 - v. आटो-एल.पी.जी. अधानो के संबंध में भारतीय मानक आईएस 15100;
 - vi. छोटे प्रशीतक सिलेंडरों के संबंध में भारतीय मानक 12300;
 - vii. एलपीजी गैस सिलेंडरों को फिट किए गए एलपीजी रेगुलेटर्स के संबंध में भारतीय मानक आईएस 9798;
 - viii. क्रायोजेनिक आधानों को फिट किए गए वाल्व के संबंध में -मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत संहिताएं।
 - ix. मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अन्य मानकों के अनुरूप वाल्व के संबंध में ।

परंतु यदि मुख्य नियंत्रक की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, जो वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर्स किन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उनके उपयोग की अनुमति दे सकता है।

(2) कार्बन डायआक्साइड सिलेंडर में लगे वाल्व को उसकी बॉडी में एक नरम किए गए तांबे की डिस्क से बना सुरक्षा मोचन इस प्रकार लगा होगा कि वह 200 और 220 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच दाब पर बर्स्ट हो जाए।

- (3) ज्वलनशील गैसों वाले सिलेंडर के लिए वाल्वों में, जिनको भारतीय मानक आईएस 3224 में सूचीबध्द नहीं किया गया है, पाइपों या अन्य संयोजनों के लिए बाईं ओर चुड़ी वाले पेंच निर्गम लगे होंगे।
- (4) प्रत्येक अन्य वाल्वों में दाहिनी और घूमने वाली चूडियों वाले पेंच निर्गम लगे होंगे।
- (5) वाल्व, सिलेंडर नॅक में पेंच द्वारा लगाया जाएगा, न कि किसी स्थायी सम्बन्धन या बीच में अनुकूलक (एडेप्टर) लगाकर।
- (6) तर्कु-प्रचालित वाल्वों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि जब इसे सिलेंडर में लगाया जाए, तब तर्कु को प्रसामान्य प्रचालन दशा में निकालना संभव नहीं होगा।
- 5. सुरक्षा मोचन युक्तियां :- (1) यदि भारत में विनिर्मित सिलेंडरों की बाडी में सुरक्षा मोचन युक्तियां लगी हुई है तो ऐसी सुरक्षा युक्तियां भारतीय मानक आईएस 5903 के अनुसार विनिर्मित की जाएंगी और अनुरक्षित की जाएंगी।
- (2) घृणाजनक या विषैली गैसों से भरे सिलेंडरों में सुरक्षा युक्ति नहीं लगी होगी।
 - स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए,"घृणाजनक या विषैली गैसों" के अंतर्गत कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोसायनिक एसिड,हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फर डाइआक्साइड, क्लोरीन, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, टाउन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनील क्लोराइड (फॉसजीन), सायनोजीन, सायनोजीन क्लोराइड,फ्लोरीन और कार्बन आक्सीक्लोराइड सम्मिलित हैं।
- (3) यदि इस देश में उपयोग के लिए अनुमोदित और विदेशों में विनिर्मित सिलेंडरों में सुरक्षा मोचन युक्ति लगी है तो ये युक्तियां उन विनिर्देशों की, जिनके अनुसार वे मूलत: बनी हैं, अपेक्षाओं के अनुसार लगाई जाएंगी।
- 6. सिलेंडरों पर चिह्नांकन :- (1) सिलेंडर पर चिह्नांकन निम्नलिखित के अनुसार होगा:-
 - (क) प्रत्येक गैस सिलेंडर को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्टाम्प लगाकर उत्कीर्णन या ऐसी ही प्रक्रिया द्वारा सुस्पष्टत: और स्थायी रूप से चिह्नांकन किया जाएगा, अर्थात-
 - (i) जो गढ़ाई या अन्य साधन द्वारा उसके स्कंध पर, प्रबलित किया जाएगा, या
 - (ii) उसके ऐसे भाग पर, जो सिलेंडर से अविंच्छेद रूप में बध्द है और जिस पर सिलेंडर के भीतर की गैस दाब के प्रतिबल से प्रभाव नहीं पड़ता है या नगण्य प्रभाव पड़ता है।
 - (ख) यदि संरक्षण या भंगुरता का जोखिम है तो सिलेंडर पर नाम पट्टिका सोल्डर करके नहीं लगाई जाएंगी।
 - (ग) मूल चिह्नांकन के साथ ही नियतिकालिक निरीक्षण के समय प्राप्त परीक्षण आंकड़ो की मोहर लगाने के लिए स्थान छोड़ा जाएगा।
 - (घ) चिह्नांकन इस प्रकार किया जाएगा और प्रयोग में लग जानेवाले अंक और अक्षर ऐसे आकार और माप के होंगे कि चिह्नांकन को स्पष्टतया और आसानी से पढ़ा जा सके और उसमें कोई गलती की सम्भावना न हो।
- (2) स्थायी और द्रवशील सिलेंडर पर चिह्नांकन निम्नलिखित के अनुसार होगा:-
 - (क) प्रत्येक सिलेंडर पर निम्नलिखित चिह्नांकन किया जाएगा, अर्थात:-
 - (i) विनिर्माता, स्वामी और निरीक्षक के चिन्ह और क्रम संख्यांक (इन चिह्नांकनों को मुख्य नियंत्रक के पास रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा);
 - (ii) विनिर्देश, जिसके अनुसार सिलेंडर बना है;
 - (iii) विनिर्माण के दौरान या मरम्मत के पश्चात् की गई उष्मा अभिक्रिया (जैसे सामान्यीकरण, शमन या परावर्तन) की प्रकृति को दर्शाने वाला संकेत;
 - (iv) यथास्थिति, पिछले द्रवस्थैतिक परीक्षण, या द्रवस्थैतिक वृध्दि परीक्षण की तारीख तथा उस मान्यताप्राप्त परीक्षण स्थान का संकेत चिन्ह जहां परीक्षण किया गया है। संकेत चिन्ह मुख्य नियंत्रक के पास रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा और द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की दशा में उसकी गर्दन के घेरे पर या स्कंध पर परीक्षण की तिमाही और वर्ष की बाबत अतिरिक्त चिन्हांकन किया जाएगा;
 - (v) कार्यकरण दाब और परीक्षण दाब;

- (vi) आधेय भार-स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए द्रवशील गैस सिलेंडर की दशा में, आधेय भार में सिलण्डरों में लगे वाल्वों का भार भी सम्मलित होगा। वाल्व का भार अलग से दर्शाया जाएगा।
- (vii) जल क्षमता।
- (viii) हाइड्रोजन और एंब्रिटलमेंट गैसों के लिए चिह्नांकन "एच";
- (ix) सीएनजी ऑन-बोर्ड सिलेंडरों, अन्य सीएनजी सिलेंडरों, और ऑटो एलपीजी अधानों पर समाप्ति तारीख का चिह्नांकन
- (ख) विनिर्माता के चिन्हांकन के सिवाय, जो आधार पर लगे हो सकते हैं, सभी चिन्हांकन, सिलेंडर की गर्दन के सिरे पर किया जाएगा। तथापि, सीमरहित सिलेंडर, जिनमें पाद मुद्रिका या घेरा नहीं है, तो सिलेंडर के गर्दन के सिरे पर विनिमार्ता का चिन्हांकन किया जाएगा।
- 7. वाल्व पर चिन्हांकन:- सिलेंडरों में लगे वाल्वों पर, स्टाम्प लगाकर, उत्कीर्णन या समान प्रक्रियाओं द्वारा सुस्पष्टतया और स्थायी तौर पर निम्नलिखित विशिष्टियां चिन्हांकित की जाएगी, अर्थात:
 - i) वाल्व का विनिर्देश;
 - ii) विनिर्माण का वर्ष और तिमाही
- iii) विनिर्माता का प्रतीक
- iv) कार्यकरण दाब;
- v) जिस गैस के लिए वाल्व का उपयोग किया जाना है, उसका नाम और रासयनिक प्रतीक;
- vi) निर्गम व्दार की पेंच की चूड़ी का प्रकार अर्थात् बाएं हाथ वाली (बा.हा.);
- vii) निरीक्षक की स्टाम्प; जहाँ डिप टयुब दी गई हैं, वहाँ वाल्व पर या सिलेंडर पर वाल्व के बीच में लगे बैज पर सुस्प्ष्ट और स्थायी चिन्हांकन द्वारा विशेष निर्देश दिए जाएंगे और ट्युब की मिलीमीटर में कुल लम्बाई भी दर्शाई जाएगी।
- 8. पहचान रंग.- (1) किसी सिलेंडर में कोई संपीडित गैस भरने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके भण्डारण या प्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सिलेंडर को, औद्योगिक सिलेंडरों की दशा में भा.म. आईएस 4379, अग्निशामक यंत्रों हेतु भारतीय मानक आईएस 15683 या भारतीय मानक आईएस 2878 और चिकित्सीय सिलेंडरों की दशा में भारतीय मानक आईएस 3933 में विनिर्दिष्ट यथोचित पहचान रंगों में रंग दिया गया है।
- (2) नई गैसों और गैस मिश्रणों के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों को, जिनके लिए पहचान रंग उपनियम (1) में नहीं दिए गए हैं, निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए रंगों से रोगन किया जाएगा, अर्थात्:-

सिलेंडरों में भरी गैस का नाम	सिलेंडर के कवच	सिलेंडर की गर्दन के सिरे का रंग
	का रंग	
अज्वलनशील और अविषैली	सफेद	
अज्वलनशील किन्तु विषैली	सफेद	पीला,(भारतीय मानक आईएस मानक रंग सं. 356)
एल.पी.जी. से भिन्न, ज्वलनशील किन्तु अविषैली	सफेद	लाल,(भारतीय मानक आईएस मानक लाल रंग सं. 537)
ज्वलनशील और विषैली	सफेद	लाल और पीला, (भारतीय मानक आईएस मानक रंग सं.537और 356)
गैस मिश्रण	मुख्य गैस रंग	सिलेंडर की लंबाई के लगभग 1/5 बैंड
(भारतीय मानक 4379 या भारतीय मानक		चौड़ाई वाली माइनर गैस।

:3933 के अंतर्गत न आने वाले)		
अग्निशामक	लाल	लाल(भारतीय मानक आईएस 5 मानक रंग 536 और 538)

टिप्पण- गैस मिश्रण के लिसे आशयित सिलेंडरों को "गैस मिश्रण" या "मिश्रण गैस"से चिह्नांकित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि सिलेंडर किसी विशिष्ट गैस मिश्रण के लिए स्थायी रूप में प्रयुक्त होते हैं तो सिलेंडरों को मिश्रण के संघटकों के नाम से (प्रतीक यदि आवश्यक हो तो) स्टाम्प लगाकर और यदि सिलेंडर किसी विशिष्ट गैस मिश्रण के लिए यदाकता प्रयुक्त होता है तो पेंट लगाकर चिह्नांकित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति गैस सिलेंडर पर रोगन किये गए रंग में किसी भी प्रकार छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं करेगा:

परंतु इस उपनियम की किसी भी बात के होते हुए, वह सिलेंडर के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होने पर इन नियमों के अनुसार उस पर वही पहचान रंग, जो उस पर पहले से पेंट है, पुन: रोगन करने या सिलेंडर को एक गैस सेवा से दूसरी गैस सेवा के लिए परिवर्तित करने के लिए उसे पुन: रोगन करने को निषिद्ध करती है।

- **9. सिलेंडरों पर लेबल लगाना-** (1) प्रत्येक सिलेंडर पर गैस के नाम और उस व्यक्ति के नाम तथा पते का, जिसके द्वारा सिलेंडर में गैस भरी थी, लेबल लगाया जाएगा।
- (2) प्रत्येक निर्यात किए जाने वाले सिलेंडर को आईएस ओ 7225 के साथ एच ए जेड सी एच ई एम यूएन नंबर के अनुसार गैस का नाम अंकित किया जाएगा।
- (3) स्थायी या द्रवशील गैस से भरे प्रत्येक सिलेंडर से निम्नलिखित से निम्नलिखित निबंधन संलग्न की जाएगी, अर्थात:-

"चेतावनी"

गैस सिलेंडर नियम, 2016

- i) इस सिलेंडर का रंग न बदलिए।
- ii) इस सिलेंडर में अभी जो गैस भरी है, उससे भिन्न कोई गैस नहीं भरी जानी चाहिए।
- iii) इस सिलेंडर के ठीक समीप या उसी कमरे में, जहाँ यह रखी जाती है, किसी भी ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाना चाहिये।
- iv) इस सिलेंडर के वाल्वों का अन्य फिटिंगों पर कोई भी तेल या तत्समान स्नेहक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- v) कृपया परीक्षण की अगली तारीख देखें, जो सिलेंडर की गर्दन और वाल्व के बीच लगाये गए धातु रिंग पर चिह्नांकित है और यदि वह तारीख बीत चुकी है तो भरने के लिए सिलेंडर अपेक्षित न करें।
- 10. सिलेंडर के परिदान या प्रेषण पर निर्बन्धन.- (1) कोई भी व्यक्ति भारत में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो इस प्रकार को संपीडित गैस सिलेंडर रखने के लिए अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं है, संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों का परिदान या प्रेषण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना ऐसे संपीडित गैस सिलेंडर रखने के लिए छूट नहीं मिली हुई है।
- (2) उपनियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा परिदत्त या प्रेषित गैस सिलेंडर , उस प्रकार के होंगे जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति दी गई है और ऐसे परिदत्त या प्रेषित गैस सिलेंडर्स की संख्या, उस संख्या से अधिक नहीं होगी, जिसे रखने के लिए इन नियमों के अधीन वह व्यक्ति, जिसे ऐसा परिदान या प्रेषण किया गया है, प्राधिकृत है।
- (3) उपनियम (1) और उपनियम (2) की कोई बात संघ के रक्षा बलों, पत्तन प्राधिकारियों या रेल प्रशासन और अन्य अर्धसैनिक बलों को गैस सिलेंडरों से परिदान या प्रेषण लागू नहीं होगी ;

पंरतु, इन संगठनों के कल्याण संघों द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी समितिायों के लिए इस उप-नियम के उपाबंध लागू नहीं होंगे।

11.सीवन रहित गैस सिलेंडरों की उपयोग के दौरान मरम्मत-

कोई व्यक्ति किसी सीवन रहित गैस सिलेंडर के ढांचे में कोई मरम्मत नहीं करेगा या उसकी मरम्मत नहीं कराएगा।

12.वेलडित किए गए/झाले हुए सिलेंडरों की मरम्मत-

- (1) वेलडित किये गए या पीतल से झाले हुए सिलेंडरों का वैल्ड की हुई या पीतल से झाली हुई सीवन से भिन्न किसी भी स्थान पर रिसने वाले सिलेंडर की मरम्मत नहीं की जाएगी और उसे अप्रयोज्य ठहरा दिया जाएगा।
- (2) वेलडित किये गए/पीतल से झाले सीवन वाले सिलेंडरों में लघु दोषों की मरम्मत, जैसे, डेन्ट्स, फूट रिंग को क्षति, वॉल्व संरक्षण रिंग्स और अन्य संरक्षण फिटमेंट्स अनुज्ञात की जा सकती है परन्तु यह तब, जक कि—
 - (क) घर्षण,तष्टन,गर्तन या अन्य अनुमोदित रीतियों द्वारा त्रुटियों दूर कर दी गई हो;
 - (ख) सिलेंडर के विनिर्माता के परिसर या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित परिसर में योग्य और अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन प्रमाणित वैल्डर द्वारा मरम्मत की गई हो।
 - (ग) मरम्मत के पश्चात् सिलेंडर ठीक ढंग से उष्मोपचारित किये जाते हैं,
 - (घ) सिलेंडरों को वैल्ड की गई या पीतल से झाली हुई सीवन रेडियोग्राफ की गई है यदि इसके विनिर्माण के पश्चात् सिलेंडर को मूलत: रेडियोगाफ किया जाना अपेक्षित था;
 - (ङ) मरम्मत और उष्मोपचारित के पश्चात् सिलेंडर की उसी वातीय और द्रवस्थैतिक या द्रवस्थैतिक प्रतिबल जांच की जाती है, जैसा कि विनिर्माण के समय की गई थी।
- (3) वेलडित किये गए या पीतल से झाले हुए सिलेंडर मरम्मत के पूर्व, पूर्णत: साफ किये जाएंगे या गैस मुक्त किये जाएंगे या अन्यथा तप्त कार्य करने के लिए सुरक्षित रूप में तैयार किये जाएंगे और कंपनी में नियोजित व्यक्ति जिसे संबंधित क्षेत्र का कार्यानुभव हो, द्वारा लिखित रूप में यह प्रमाणित किया जाएगा कि सिलेंडर को इस प्रकार तैयार किया गया है। प्रमाणपत्र तीन मास तक परिरक्षित किया जाएगा और मांग किए जाने पर मुख्य नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति किसी सिलेंडर में, जिसकी उपनियम(2) के अधीन मरम्मत की गई है, कोई गैस तब तक पुन: नहीं भरेगा जब तक कि सिलेंडर की बाबत की गई मरम्मत और परीक्षण की पूरी रिपोर्ट, मरम्मत करनेवाले के परीक्षण प्रमाणपत्र के साथ मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत नहीं कर दी जाती और उसके पुनर्भरण के लिए उसकी अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती।
- (5) उपनियम(2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन एसेटिलीन गैस सिलेंडर की, जिसकी वैल्ड सीवन में रिसन हो, कोई मरम्मत नहीं की जाएगी।
- (6) अनुसूची 5 में यथा निर्धारित फीस।

13.बालकों और मत्त व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध-

अठारह वर्ष की आयु से कम आयु को कोई बालक तथा कोई व्यक्ति, जो मत्तता की हालत में है, संपीडित गैस सिलेंडर की लदाई, उतराई या परिवहन कार्य में, या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किसी परिसर में, नियोजित नहीं किया जाएगा।

14. धुम्रपान,अग्नि,प्रकाश और खतरनाक पदार्थों का प्रतिषेध-

- (1)किसी भी समय ऐसे स्थान के समीप, जहां ज्वलनशील गैसों के लिए सिलेंडर का भरण, भण्डारण या धरा-उठाई की जाती है, कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा और मरम्मत के लिए धमन पाइप ज्वाला से भिन्न या ज्वलनशील प्रकृति की या स्वत: प्रज्वलित होनेवाली या अग्नि या विस्फोट पैदा करने या लगानेवाली वस्तु या पदार्थ अनुज्ञाप्त नहीं किये जाएंगे।
- (2)किसी ऐसे स्थान में या उसके निकट, जहाँ ज्वलनशील गैसों के सिलेंडर का भरे जाते हैं, या उनकी धरा-उठाई की जाती है, कोई भी व्यक्ति कोई माचिस,फ्यूज, मोबाइल फोन या चिंगारी उत्पन्न करने या विस्फोट के लिए, अन्या साधित्र अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
- 15. सधारण पूर्वावधानिया- (1) वाल्वों और अन्य फिटिंग सहित सिलेंडर और इन नियमों के अधीन पहचान रंग सदैव अच्छी दशा में अनुरक्षण किया जाएगा।
- (2) सिलेंडर के किसी वाल्व या उसकी अन्य फिटींग में कोई तेल या तत्समान स्नेहक का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (3) नियम 12 और अनुसूची 4 के खंड ख 2(1)(ख) में यथा उपबन्धित है उसके सिवाए, किसी भी सिलेण्डर का उष्मोपचार नहीं किया जाएगा या उसे उच्च तापमान या धूप में नहीं रखा जाएगा या अन्य किसी ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री के साथ उसका भण्डारण नहीं किया जाएगा।

- (4) संपीडित गैस से भरे प्रत्येक सिलेंडर का वाल्व भली प्रकार बन्द रखा जाएगा जिससे कि रिसन को रोका जा सके। द्रवित पेट्रोलियत गैस और अत्यन्त विषैली गैसों ,जैसे बोरन,ट्राइफ्लोराइड, कार्बन मोनो-आक्साइड, फ्लुओरिन, हाइड्रोजन क्लोराइड,साइनोजन क्लोराइड,क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड , हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथील ब्रोमाइड, नाइट्रोजन टेट्राआक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या सल्फर डाइआक्साइड से भरे सिलेंडरों में लगे वाल्व के निर्गम व्दार पर गैस के रिसन को रोकने के लिए सहायक साधन के रूप में कार्य करने के लिए सुरक्षा प्लग लगा होगा।
- (5) यदि वाल्व से रिसन को भराई वाली नली के नट या तर्कु को कसने से भी ना रोका जा सके तो सिलेंडर को ऐसे खुले स्थान में ले जाया जाएगा जहां वह जनजीवन और सम्पत्ति के लिए कम से कम खतरनाक है और भरणकर्ता को सूचित किया जाएगा और एलपीजी सिलेंडर के मामले में, सुरक्षा टोपी रिसाव को रोकने उसकी सुरक्षा कैप लगाई जाएगी और सिलेंडर एक खुली जगह में ले जाया जाएगा।
- 6) विषाक्त और संक्षारक गैसों के लिए सिलेंडर भरने और भंडारण क्षेत्र में समुचित निष्प्रभावीकरण या स्क्रबिंग प्रणाली उपलब्ध की जाएगी।
- (7) विषैले, संक्षारक और ज्वलनशील गैस भंडारण शेड में पर्याप्त आपात स्थिति से निपटने के उपकरणों या किट और सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे, हाथ के दस्ताने, गैस मास्क, श्वास उपकरण, काले चश्मे,गम बृट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (8) विषाक्त और संक्षारक गैस भंडारण परिसर में प्रचालन स्विच के साथ कार्यक्षम अलार्म उपलब्ध किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में, स्विच द्वारा नियंत्रण कक्ष में चेतावनी सुनी जा सकें।
- **16. दुर्घटना से बचाव के लिए विशेष पूर्वावधानिया-** (1) किसी ऐसे स्थान में या उसके पास, जहां दाब के अधीन गैस का, सिलेंडर में भण्डारण, धराई-उठाई या परिवहन किया जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने का प्रयत्न नहीं करेगा जिससे आग लग सके या विस्फोट हो सके।
- (2) संपीडित गैस सिलेंडरों का भण्डारण करनेवाला और ऐसे गैस सिलेंडरों के भण्डारण, उनकी उठाई-धराई और परिवहन का प्रभारी या उसमें लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों पर—
 - (क) इन नियमों के उपबन्धों का और उनके संबंध में किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन करेगा;
 - (ख) अग्नि या विस्फोट से दुर्घटना को रोकने के लिए सभी पूर्वावधानियां बरतेगा; और
 - (ग) उपनियम(1) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा।
- 17. सक्षम व्यक्ति ही प्रचालनों का प्रभारी होगा- इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला या उसके अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब भी सिलेंडर भरे जाते हैं, लादे जाते हैं, उतारे जात हैं, उनकी परीक्षा या जांच की जाती है, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी भी उक्त संक्रिया को देखने हेतु किसी सक्षम और अनुभवी व्यक्ति को उक्त संक्रियाओं के दौरान उपस्थित रहने और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी संक्रियाओं का संचालन करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। प्रत्येक पारी में लगाए गए ऐसे कार्मिकों के नाम, अर्हता और अनुभव की जानकारी लगातार भरण अनुमित पर विचार करने के लिए मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को प्रस्तुत की जाएगी।
- **18. उठाई-धराई और उपयोग –**(1) धरा-उठाई के दौरान सिलेंडरों की पर्याप्तत: संभाल की जाएगी।
- (2) सिलेंडरों को हटाते समय यथासंभव पर्याप्त मजबूत ट्रालियों और क्रेडलों का उपयोग किया जाएगा। सिलेंडर वाल्व को किसी क्षति से बचाने के लिए सावधानी बरती जाएगी।
- (3) सिलेंडरों की धरा-उठाई सावधानीपूर्वक की जाएगी और वे एक दूसरे पर गिरने नहीं दिए जाएंगे या अन्यथा उन्हें अनावश्यक धक्का नहीं लगने दिया जाएगा।
- (4) सिलेंडरों को सरकाना, गिराना, उनसे खिलवाड़ करना प्रतिषिध्द है।
- (5) द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर और द्रवशील गैस से भरे सिलेंडर सदैव सीधे रखे जाएंगे और उन्हें इस प्रकार रखा जाएगा कि वे गिरें नहीं।
- (6) क्षैतिज में प्रयुक्त सिलेंडरों को इस प्रकार रखा जाएगा कि वे लुढ़के नहीं।
- (7) वैल्ड करने, काटने और गर्म करने के समय उपयोग में लाए जानेवाले सिलेंडरों के सिवाय , किसी भी सिलेंडर के ठीक समीप खुली लौ, प्रकाश, मोबाइल फोन, आग जलाना,वैल्ड करना और धूम्रपान प्रतिषिध्द है।
- (8) अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए कार्य स्थलों को भण्डारण स्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

- **19. भरण पर निर्बन्धन.-**(1) वैल्ड किये गए सिलेंडर में कोई स्थायी उच्च दाब द्रवशील गैस या अत्यंत विषैली गैसों, जैसे, बोरन-द-ट्राइक्लोराइड, कार्बोनोल सायनोजन, हाइड्रोजन सायनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं भरी जाएगी:
- (2) निर्यात के लिए संपीडित गैस का निम्न दाब पर भरण किया जाए, जो कि अंतरराष्ट्रीय मेरीटाईम डेंजरस गुड्स कोड (आयएमडीजी कोड) या इंटरनेशनल कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स बाय रोड (एडीआर) से संबंधित समझौते के अनुसार तथा मुख्य नियंत्रक के पूर्वानुमोदन से संपीडित गैस का कम दबाव पर भरण किया जा सकता है।
- (3) कोई भी सिलेंडर , जिसका उपयोग एक बार कोयला गैस, कार्बन मोनाआक्साइड, संपिडित बायोगैस, हायड्रोजन, सीएनजी, कोल बेड मीथेन और मीथेन के भण्डारण और परिवहन के लिए किया जा चुका है, अन्य किसी गैस के साथ, अक्रिया गैसों के साथ इन गैसों के मिश्रण के सिवाय उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
- (4) किसी भी सिलेंडर में ऐसी कोई गैस नहीं भरी जाएगी, जिसका रासायनिक तौर पर सिलेंडर से संयोजन हो सकता है जिससे इस प्रकार उसकी प्रयोज्यता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **20. सिलेंडरों या कासकेड्स की लदाई,उतराई और परिवहन.-** किसी संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों या कासकेड्स का परिवहन, अनुसूची 6 में अधिकथित उपबंधो का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए और यथालागू अन्य कानूनों के सुसंगत उपबंधों का भी पालन करते हुए किया जाएगा।
- 21. सिलेंडरों का भण्डारण –(1) सिलेंडरों का भण्डारण ठंडे, शुष्क, अच्छादित किन्तु भली प्रकार संवातित स्थलों में तथा बायलरों, खुली लौ, वाष्प पाइपों या किसी ताप के विभव उदगम से दूर किया जाएगा और ऐसे भण्डारण के स्थानों तक पहुँच सुगमता से होगी।
- (2) भण्डारण-कक्ष या शेड, अग्निरोधी संनिर्माण के होंगे।
- (3) पतली दीवाल वाले सिलेंडर जैसे द्रवित पेट्रोलियम, गैस सिलेंडर और विलीन गैस सिलेंडर क्षैतिज स्थिति में नहीं रखे जाएंगे।
- (4) ज्वलनशील और विषैली गैसों से भरे सिलेंडर एक दूसरे से अलग रखे जाएंगे और अन्य प्रकार की गैसों वाले सिलेंडरों से पर्याप्त दूरी पर या उपयुक्त विभाजक दीवाल द्वारा अलग रखे जाएंगे।
- (5) सिलेंडर ऐसी परिस्थितियों में नहीं रखे जाएंगे कि वे संक्षारित हो सकें।
- (6) सिलेंडरों का ज्वलनशील पदार्थ के साथ भण्डारण नहीं किया जाएगा।
- (7) खाली सिलेंडरों को भरे सिलेंडरों से अलग रखा जाएगा और यह ध्यान रखा जाएगा कि सभी वाल्व कस कर बन्द कर दिए गए हैं।
- 22.विद्युत संस्थापन- सिलेंडरों में ज्वलनशील गैसों के भरण और भण्डारण के परिसरों में समस्त विद्युत मीटर, वितरण बोर्ड, स्विच, फ्युज,प्लग और साकेट, विद्युत स्थिरलैम्प, सुवाह्य हैंड लैम्प और मोटरें, समय समय पर यथासंशोधित आईएस या आईईसी-60079-1 या आईईसी-60079-11 (भारतीय मानक: आईएस 2148 के स्थान पर) और अन्य कोई मानक के अनुरूप मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित ज्वालासह प्रकार की होंगी और उन्हें प्रभावी तौर पर भूयोजित किया जाएगा।
- **23.गैस की शुध्दता-** (1) संपीडित गैसे ऐसी अशुध्दताओं से मुक्त होंगी जो सिलेंडर की धातु को संक्षरित कर सकती हैं या जो उसके साथ विस्फोटक पदार्थ बना सकती हैं या जो गैसों को अपघटित या विस्फोटित कर सकती हैं।
- (2) गैसें यथासंभव शुष्क रहेंगी और किसी भी दशा में जल द्रवित गैस को 0º सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जलीय प्रवस्था के अलग होने की कोई संभावना न हो।
- (3) किसी सिलेंडर में गैस, जैसे कार्बन मोनोआक्साईड, कोयला गैस, हाइड्रोजन या मिथेन, भरने के पूर्व गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य सल्फ्युरस अशुध्दियों से यथासाध्य मुक्त रखा जाएगा। गैस के सामान्य ताप और दाब पर आद्रता 0.02 ग्राम घन मीटर से कम होगी।
- (4) गैस की शुद्धता मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होंगी।
- **24. अग्नि प्रभावित सिलेंडर.-** (1) (क) अग्नि प्रभावित सिलेंडर का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी उचित परीक्षा और द्रवस्थैतिक परीक्षण या द्रवस्थैतिक प्रतिबल की जांच न की गई हो।

- (ख) यदि यह आशंका है कि अग्नि की ताप क्रिया के कारण सामग्री में हानिकारक संरचनात्मक परिवर्तन हो गए हैं, तो सिलेंडर का उचित उष्मोपचार किया जाएगा और उसके बाद सिलेंडर की, उपयोग में लाने के पूर्व यथास्थिति द्रवस्थैतिक जांच या द्रवस्थैतिक प्रतिबल जांच की जाएगी।
- (2) ऐसे विलीन ऐसिटीलीन सिलेंडर, जो अग्नि से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, निष्प्रयोज्य हो जाएंगे और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति जो विलीन ऐसिटीलीन सिलेंडर की हथलाई में शामिल खतरों से परिचित हैं और जो अनुपयोगी करने के दौरान सिलेंडरों की आकस्मिक विस्फोट से उत्पन्न होने वाली किसी स्थिति से निपटने में भी सक्षम है, द्वारा समुचित पूर्वावधानी के साथ नष्ट करा दिया जाएगा।

ऐसे विलीन ऐसिटीलीन सिलेंडर , जो अग्नि से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, निष्प्रयोज्य हो जाएंगे और उन्हें किसी अनुभवी और सक्षम व्यक्ति जिसे द्वारा समुचित पूर्वावधानी के साथ नष्ट करा दिया जाएगा।

- 25. सिलेंडर का स्वामित्व –संपीडित गैस से भरे सिलेंडर का परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सिलेंडर के स्वामी द्वारा या उसकी लिखित सहमति से न भरा गया हो।
- **26.सिलेंडर का पुनर्परीक्षण-** ऐसे सिलेंडर , को जिसके नियतकालिक पुनर्परीक्षण का समय आ गया है, तब तक भरा नहीं जाएगा और उसका परिवहन नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा पुनर्परीक्षण मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्य संहिता के अनुसार ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जाता।
- **27. स्वामी का अभिलेख –** सिलेंडर का स्वामी, सिलेंडर की आयुपर्यन्त प्रत्येक सिलेंडर की बाबत निम्नलिखित जानकारी का अभिलेख रखेगा.—
 - (i) सिलेंडर के निर्माता का नाम और घूर्णन संख्यांक;
 - (ii) विनिर्देश संख्यांक, जिसके अनुसार सिलेंडर का विनिर्माण हुआ है;
 - (iii) मूल द्रवस्थैतिक जांच या द्रवस्थैतिक प्रतिबल जांच की तारीख या न्यूमेटिक परीक्षण;
 - (iv) सिलेंडर विनिर्माता की जांच और निरीक्षण प्रमाणपत्र:
 - (v) मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदन पत्र का संख्याक और तारीख।
- 28. सिलेंडरों का संपरिवर्तन.- (1) विशिष्ट गैस से भरे जाने के लिए अभिकल्पना किये गए और अनुमोदित गैस सिलेंडर निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य गैस के भरने के लिए उपयोग में तब तक नहीं जाए जाएंगे जब तक कि मुख्य या नियंत्रक का विशेष अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है;-

परंतु कि समान विनिर्देश और डिजाइन के बने अक्रिय गैसों, आक्सीजन और संपीडित वायु सिलेंडर जो नियम 26 के अनुसार प्रमाणित है, को मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुमति के बिना, उपयुक्त वाल्व लगाने और उचित पहचान रंग पेंट करने के पश्चात, आईएसओः11621 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्य अन्य कोई संहिता का पालन करते हुए सिलेंडर के स्वामी के अनुमोदन से एक गैस से किसी अन्य गैस के लिए संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

परंतु ऐसे संपरिवर्तनों का उचित अभिलेख गैस अभिकर्ता और सिलेंडर के स्वामी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक की परीक्षण के लिए रखा जाएगा।

- (2) संपरिवर्तन के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-
 - (i) यह उपदर्शित करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य कि सिलेंडर उसके द्वारा क्रय किए गए हैं;
 - (ii) पूर्व में सिलेंडरों के भरण की अनुमति देनेवाले पत्र की अधिप्रमाणित प्रति;
 - (iii) बढ़ते क्रम में सिलेंडरों के विनिर्माता की क्रम संख्यांक दर्शित करनेवाला दो प्रतियों में एक विवरण;
 - (iv) इस बात का प्रमाणपत्र कि सिलेंडरों को पूर्व में किसी अन्य गैस सेवा के लिए संपरिवर्तित नहीं किया गया था;
 - (v) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस।

अध्याय 3

सिलेंडरों, वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटरों का आयात

भाग-I

साधारण

- 29. गैस सिलेंडरों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति –(1) कोई भी व्यक्ति संपीडित गैस भरने या भरे जाने के लिए आशयित किसी गैस सिलेंडर का इन नियमों और विदेश व्यापार(विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के सुसंगत उपबंधों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उसके अनुसार ही आयात करेगा अन्यथा नहीं।
- (2) कोई भी व्यक्ति गैस सिलेंडर पर लगाने के लिए आशयित किसी वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटर का आयात इन नियमों के अंतर्गत जारी अनुमोदन की शर्तों के अधीन या अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं।
- (3) सिलेंडरों का आयात करने वाले व्यक्ति के पास आपात कार्य योजना और प्रशिक्षित तकनीकी मानवशक्ति सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा, हथलाई, परिवहन और भंडारण की सुविधा उपलब्ध रहें।
- (4) यदि आयात किए गए सिलेंडरों में इन नियमों के नियम 44 के अंतर्गत दी गई छूट से अधिक मात्रा में संपिडित गैस भरी हो, तो सिलेंडरों में संपीडित गैस के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति अनिवार्य है।

भाग 2

समुद्र मार्ग से आयात

- **30. जलयान के मास्टर या जलयान के अभिकर्ता द्वारा घोषणा.-** (1) भारत में आयात के लिए संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों का वहन करनेवाले प्रत्येक जलयान का मास्टर या ऐसे जलयान का अभिकर्ता, पत्तन पर उसके आशयित आगमन की सूचना कम से कम अडतालीस घंटे पूर्व पत्तन के संरक्षक को देगा:
- (2) ऐसे सिलेंडरों का वहन करने वाले प्रत्येक जलयान का मास्टर किसी पत्तन में प्रवेश के पूर्व पाइल्ट को स्व-हस्ताक्षरित एक लिखित घोषणा प्ररूप "क" में देगाः
- परंतु यदि ऐसे जलयान का अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक को उपनियम (2) में उल्लिखित स्व-हस्ताक्षरित लिखित घोषणा दे देता है तो जलयान के मास्टर द्वारा ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी।
- (3) पाइलट, उपनियम (2) के अधीन उसे परिदत्त की गई प्रत्येक घोषणा को अविलम्ब पत्तन के संरक्षक को सौंप देगा और पत्तन संरक्षक प्राप्त समस्त घोषणाएं पत्तन के सीमा-शुल्क आयुक्त को यथाशीघ्र भेज देगा।
- 31.आयात के लिए अनुज्ञिप्त पेश करना संपीडित गैस से भरे या भरने के लिए आशयित, सिलेंडरों, वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटरों का आयात करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या अपने अभिकर्ता के माध्यम से, यथा स्थिति सीमा-शुल्क आयुक्त के समक्ष ऐसे गैस सिलेंडरों, यथास्थिति वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटर्स के आयात के लिए अपनी अनुज्ञिप्त पेश करेगा।
- **32. सीमा-शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा.-** (1) आयात किया गया कोई भी सिलेंडर , वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटरों सीमा-शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा के बिना उतारा नहीं जाएगा।
- (2)यदि सीमा-शुल्क आयुक्त का समाधान हो जाता है कि गैस सिलेंडरों, वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटरों का विधिपूर्वक आयात किया जा सकता है तो वह उनकी उतराई की अनुज्ञा प्रदान करेगा।
- (3) इस नियम की कोई बात सीमा-शुल्क आयुक्त की, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, गैस सिलेंडरों, वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटरों को रोके रखने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

भाग - 3

भूमार्ग से आयात

33. भूमार्ग से आयात-

संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों , वॉल्व और एलपीजी रेगुलेटरों का भूमार्ग से आयात तभी किया जाएगा जब कि प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार ने पूर्व मंजूरी दे दी हो और आयत ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन किया गया हो जो वह अधिरोपित करें।

भाग- 4

वायुमार्ग से आयात

34.वायुमार्ग से आयात –संपीडित गैस से भरे सिलेंडर का वायुमार्ग से आयात तभी किया जाएगा जब प्रत्येक मामले में,सिविल विमानन के महानिदेशक ने पूर्व मंजूरी दे दी हो।

अध्याय 4

सिलेंडरों की परीक्षा और जाँच

- 35. सिलेंडरों की परीक्षा और जाँच की कालिक.- (1) कोई भी व्यक्ति किसी सिलेंडर में संपीडित गैस तबतक नहीं भरेगा, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए भारतीय मानक आईएस 15975 में विनिर्दिष्ट या मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित अवधि के भीतर सिलेंडर की परीक्षा और यथास्थिति, द्रव्यस्थैतिक जाँच या द्रव्यस्थैतिक प्रतिबल जाँच और अनुसूची 4 में वर्णित अन्य परीक्षण नहीं किए जा चुके हों।
- (2) सिलेंडरों की आवधिक जाँच और परीक्षा के लिए मान्यताप्राप्त करने का इच्छुक कोई परीक्षण स्टेशन अनुसूची 4 में वर्णित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की विशिष्टियां और अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस मुख्य नियंत्रक को देगा।
- (3) मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित सिलेंडर परीक्षण केन्द्रों में सिलेंडर रिक्तीकरण, विषाक्त और संक्षारक गैसों के लिए निष्प्रभावीकरण या स्क्रबिंग और सिलेंडर अनुपयोगी करने की सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी।
- (4) सिलेंडर परीक्षण केन्द्रों के लिए अनुमोदन प्रथमतः एक वर्ष की अविध के लिए, जो दस वर्ष की अधिकतम अविध तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा जारी किया गया वैध आईएसओ मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वैधता अविध के लिए परीक्षण अभिलेखों और अनुसूचि 5 में यथाविर्निष्ट शुल्क का भुगतान किया गया हो।
- 36. सिलेंडरों को निष्प्रयोजय करना.- (1) यदि कोई सिलेंडर नियतकालिक परीक्षा में ठीक नहीं पाया जाता है या जिसका आधेय भर पाँच प्रतिशत से अधिक कम हो जाता है या जो किसी अन्य दोष के कारण अथवा सिलेंडर की सेवा आयु की समाप्ति के पश्चात् उपयोग के लिए असुरक्षित पाया जाता है, तो वो किसी संपीडित गैस से नहीं भरी जाएगी और उसे चपटीकरण के द्वारा पूर्णत: नष्ट कर दिया जाएगा या उसके इस ढंग से टुकड़े कर दिए जाएंगे कि टुकड़े को वैल्ड करके या भारतीय मानक आईएस: 8198 में विनिर्दिष्ट रूप में मालिक को सुचना के अधीन अन्यथा जोड़कर पुन: सिलेंडर न बनाया जा सके।
- स्पष्टीकरण जब तक कि संबंधित कोडों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस नियम के प्रयोजन के लिए आनबोर्ड सी.एन.जी. सिलेंडरों और अन्य सीएनजी सिलेंडरों की सेवा आयु बीस वर्ष होगी और पतले कार्बन स्टील से बने आटो एल.पी.जी.आधानों की पंद्रह वर्ष होगी।
- (2) सिलेंडर नष्ट करने के पूर्व उसके सभी चिन्हांकन विकृत कर दिए जाएंगे।

- (3) ऐसे सिलेंडरों का इतिवृत्त या अभिलेख बन्द कर दिया जाएगा और दो वर्षों के लिए अभिलेख में रखा जाएगा और ऐसे बन्द किए गए इतिवृत्त पन्ने या अभिलेखों के विवरण की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक को लिखित रूप में प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर की तारीख को भेजी जाएगी।
- (4) जिस सिलेंडर को किसी गैस के जनन या भण्डारण, परिवहन और संपीडित गैस के उपयोग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे इन नियमों के अर्थ में उसके इस प्रकार प्रयोग के लिए नष्ट कर दिया गया और अनुपयुक्त समझा जाएगा।
- (5) सिलेंडर परीक्षण केन्द्रों द्वारा इस नियम के उप-नियम (1) से (4) के अनुसार अनुपयोगी करने के लिए बकाया सिलेंडर को नष्ट किया जाएगा ।

अध्याय 5

विलीन एसिटीलीन गैस सिलेंडर

- **37. विलीन एसिटीलीन गैस सिलेंडरों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं.-** विलीन एसिटीलीन गैस सिलेंडरों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए, अर्थात :-
 - (i) उस सिलेंडर में, जिसमें एसिटीलीन संपीडित कि जाती है, पोरसमास यथासंभव पूर्णत : भर दिया जाएगा।
 - (ii) द्रव्यमान की सरंध्रता किसी भी दशा में बानवे प्रतिशित से अधिक और पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं होगी।
 - (iii) उपयोग में लाए जानेवाले किसी विलायक की एसिटीलीन गैस या पोरसमास या सिलेंडर की धातु से रासायनिक प्रतिक्रिया संभव नहीं होगी।
 - (iv) यदि एसिटोन विलायक के रूप में उपयोग में लाई जाती है तो वह भारतीय मानक आईएस 170 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी। घोल में गैस सहित एसिटोन की मात्रा इतनी होगी कि सिलेंडर भारतीय मानक आईएस 7312 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त जाँचों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो। परन्तु यह कि सिलेंडर में एसिटोन की अधिकतम मात्रा भारतीय मानक आईएस 7312 में विनिर्दिष्ट विलायक द्रव्यमान की संरध्रता के अनुपात से भरी जाएगी।
 - (v) सिलेंडर के वाल्वों की संरचना में सत्तर प्रतिशत से अधिक ताम्बा नहीं होगा।
 - (vi) 15º सेल्सियस के तापमान, पर सिलेंडर मे दाब 16 के.जी.एफ/से.मी.² से अधिक नहीं होगा।
 - (vii) सरंध्र द्रव्यमान के भरे जाने से पूर्व 60 के.जी.एफ प्रति से.मी² से अन्यून के दाब पर प्रत्येक सिलेंडर की जाँच की जाएगी। यदि सिलेंडर में संगलीय प्लग लगा है तो इस दाब को 53 के.जी.एफ.प्रति से.मी.² तक घटाया जा सकता है। कोई भी ऐसा सिलेंडर, जो द्रव्यस्थैतिक प्रतिबल की जाँच के दौरान कुल प्रतिबल के 7-1/2 प्रतिशत से अधिक स्थायी प्रतिबल दर्शाता है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
 - (viii) यदि सुरक्षा मोचन युक्तियां लगी हैं, तो वे 53 के.जी.एफ./से.मी.² से अन्यून दाब पर या 100º सेल्सियस (+) 4º (–) 2º सेल्सियस के तापमान पर प्रचालित होंगी।
 - (ix) प्रत्येक सिलेंडर पर या उस पर सोल्डर की गई पीतल की प्लेट पर विनिर्माता का नाम और "पोरसमास में ठीक से संपीडित एसिटीलीन" शब्द और निम्नलिखित चिन्हांकन स्थायी और सहजदृश्य रूप में चिन्हांकित किए जाएंगे, अर्थातृ :--
 - (क) विनिर्माताओं का क्रमांक और पहचान चिन्ह;
 - (ख) मान संख्यांक ;
 - (ग) जांच दाब;
 - (घ) द्रवस्थैमिक प्रतिबल जांच की तारीख और उस स्थान का कोड चिन्ह, जहां जाँच की गई है;
 - (ङ) पोरसमास के भरण की तारीख:
 - (च) जलक्षमता;
 - (छ) उष्मोपचार की प्रकृति और दर्शाने वाला प्रतीक;

- (ज) पोरसमास और सरंध्रता के प्रतिशत की पहचान;
- (झ) आधेय भार (वाल्व सहित);
- (ञ) निरीक्षक का शासकीय चिन्ह; और
- (ट) अधिकतम गैस धारिता।

स्पष्टीकरण: एसिटिलीन के निर्धारित प्रभार के लिए एसिटिलीन सिलेंडरों को बनाया जाता हैं, सॉल्वैंट की नाममात्र मात्रा के अनुसार गैस की मात्रा निर्धारित की जाती है। सिलेंडर के सुरक्षित संचालन के लिए गैस और सॉल्वैंट की मात्रा के उचित अनुपात का अनुपालन करना शर्तों में से एक है। अत्याधिक तापमान बढ़ने पर अतिरिक्त सॉल्वैंट के परिणाम स्वरूप सिलेंडर हाइड्रॉलिक रूप से भरा होगा और उसमें उच्च आंतरिक दबाव विकसित हो सकता है। सॉल्वैंट की अल्पता का परिणाम सिलेंडर को फ़्लैश बैक के कारण अपघटन से कम प्रतिरोधी बना सकता हैं। एसिटिलीन सिलेंडरों के सॉल्वेंट की पुन: पूर्ति करना आवश्यक है और इसलिए यह कार्य उचित सावधानी के साथ सिलेंडरों में एसिटिलीन गैस पुनः भरने से पूर्व किया जाए।

- **38. विलीन एसिटीलीन सिलेंडरों के भरण पर निर्बन्धन.** कोई भी व्यक्ति किसी सिलेंडर में एसिटीलीन तब तक नहीं भरेगा जब तक कि उसके पास ऐसे सिलेंडर का पूरा विवरण और पूर्व इतिवृत्त नहीं है और उसने अन्यथा अपने आपको इस बाबत आश्वस्त नहीं कर लिया है कि सिलेंडर इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।
- **39.भरने से पूर्व विलीन एसिटीलीन सिलेंडरों की परीक्षा.-** (1) सिलेंडर में एसिटिलीन भरने से पूर्व भारतीय मानक आईएस 8433 के अनुसार उसकी पूर्णत: परीक्षा की जाएगी,
- (2) यदि सिलेंडर का इतिवृत्त यह दर्शाता है कि उसकी उप-नियम (1) के अंतर्गत, पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की परीक्षा नहीं हुई है तो उसी समय वाल्व हटा दिए जाएंगे और सिलेंडर की गर्दन पर सरंध्र द्रव्यमान की स्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
- **40. एसिटिलीन के संपीड़न के लिए अनुज्ञप्ति. –** एसिटिलीन गैस का संपीड़न मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्त परिसरों में ही किया जाएगा।
- 41.विलीन एसिटिलीन सिलेंडरों का अभिलेख.- (1) सिलेंडरों में एसिटिलीन भरने वाली प्रत्येक फर्म अपने द्वारा भरे गए प्रत्येक सिलेंडर का अभिलेख रखेगी। इस अभिलेख में निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात् :-
 - (क) प्रत्येक भरण के लिए -
 - i) सिलेंडर के भरण की तारीख ;
 - ii) गैस रहित खाली सिलेंडर का भार:
 - iii) गैस भरण से पूर्व भरे गए विलायक का भार;
 - iv) सिलेंडर का पूर्ण भार;
 - (ख) विलायक डाले जाने की तारीख;
 - (ग) वह तारीख जिसको सिलेंडर की पूर्णत: परीक्षा हुई है, जैसा नियम 39 में उपबन्धित है, ऐसी प्रत्येक परीक्षा के परिणाम और ऐसी परीक्षाएं करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रथम बार फर्म द्वारा जारी किए गए सिलेंडरों की दशा में पोरसमास और एसिटोन या अन्य विलायक सहित सिलेंडर का आधेय भार; विलायक की प्रकृति और सिलेंडर में अनुज्ञप्त अधिकतम दाब।
 - (2) अभिलेख मुख्य नियंत्रक और नियंत्रक के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
- **42. विलीन एसिटिलीन सिलेंडरों पर लेबल लगाना.-** नियम 9 के उपनियम (2) में दी गई विशिष्टयों के अतिरिक्त प्रत्येक विलीन एसिटिलीन सिलेंडर पर एक चेतावनी लेबल लगाया जाएगा, जिसमें निम्निलिखित अतिरिक्त विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात :-
 - (क) वह तारीख जिसको सिलेंडर में अन्तिम बार गैस भरी गई है; और
 - (ख) भरी गई गैस का भार;
 - (ग) सिलेंडर का पूर्ण भार;
 - (घ) कंपनी का नाम जिसने अंतिम तारीख को गैस भरी है।

अध्याय 6

भरण और कब्जा

- **43. भरण और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति.-** (1) इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार ही कोई व्यक्ति किसी सिलेंडर में संपीडित गैस भरेगा और संपीडित गैस से भरा सिलेंडर अपने कब्जे में रखेगा अन्यथा नहीं।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त परिसरों में, सिलेंडरों के भरण और कब्जे से संबंधित संक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होगा।
- **44. कितपय दशाओं में भरण और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक न होना.** नियम 43 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं होगी, के लिए: (क)इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार वहन के प्रयोजन के लिए संपीडित गैस से भरे किसी सिलेंडर को वाहक या अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखे जाने के लिए;

(ख)निम्नलिखित से भरे सिलेंडरों को स्वयं के उपयोग के लिए और बिक्री या व्यापार के लिए नहीं, कब्जे में रखने के लिए-

- i) कोई ज्वलनशील और अविषैली गैस जबिक किसी एक समय में ऐसी गैस से भरे सिलेंडरों की कुल संख्या 25 से अधिक नहीं है या गैस का कुल भार 200 किलोग्राम से अधिक नहीं है, इनमें से जो भी कम है;।
- ii) कोई अज्वलनशील अविषैली गैस, जब ऐसे सिलेंडरों की कुल संख्या एक समय में दो सौ से अधिक नहीं है;
- iii) कोई विषैली गैस, जब ऐसे सिलेंडरों की कुल मात्रा एक समय में 5 से अधिक नहीं है;
- iv) विलीन स्थित में सिलेंडरों में भरी हुई एसिटिलीन गैस, जब किसी एक समय में ऐसे सिलेंडरों की कुल संख्या पच्चीस से अधिक नहीं है।
- (ग) द्रवित पेट्रोलियम गैस, जब किसी एक समय स्वयं के उपयोग, वितरण या अपनी अपनी तेल वितरक कंपनी के बिक्री कक्ष से विक्रय के लिए, गैस की कुल क्षमता 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी तो उप-खंड 44(ख) के उपाबंध लागू नही होंगे।

अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी कार्यस्थलों जहां एलपीजी सिलेंडर मैनिफोल्ड से सीधे जुडे हुए) के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य नही है लेकिन भारतीय मानक आईएस 6044 के भाग-1 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और ऐसे मैनीफोल्ड अधिष्ठापनों का विनिर्माण उत्कृष्ट प्रकार की इंजिनियरिंग की कार्यप्रणाली के अनुकूलन में किया जाए और एलपीजी की मात्रा किसी भी समय भारतीय मानक आईएस 6044 के भाग-1 में निर्धारित सीमा से अधिक ना हो।

- **45. भरण पर निर्बन्धन.** कोई भी व्यक्ति किसी सिलेंडर में कोई संपीडित गैस तब तक नहीं भरेगा जब तक कि सिलेंडर और उसका वाल्व या अन्य फिटिंगें—
 - (क) नियम 3 के अनुसार अनुमोदित प्रकार और मानक की नहीं हैं और भरण के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट: अनुमोदित नहीं हैं;
 - (ख) नियम 35 में विनिर्दिष्ट परीक्षा में ठीक नहीं पाई गई हैं; और
 - (ग) नियम 4,5,6,7 और 8 के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है।
- **46. कार्यकरण दाब और भरण अनुपात.-** (1) स्थायी गैस से भरे किसी सिलेंडर में कार्यकरण और आन्तरिक दाब, सिलेंडर विनिर्माण कोड में निर्धारित परीक्षण दाब के गुणन कारक से अधिक नहीं होगा।
- (2) द्रवशील गैसों से भरे सिलेंडर निम्नदाब द्रवशील गैस की दशा में भारतीय मानक आईएस 3710 और उच्च दाब द्रवशील गैस की दशा में भारतीय मानक आईएस:15975 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्य अन्य कोई संहिता, में विनिर्दिष्ट भरण अनुपात से अधिक नहीं भरे जाएंगे।

- 47. विनिर्देशों और अनुज्ञप्त किए जाने वाले प्रस्तावित परिसर के रेखांक का पूर्वीनुमोदन.- (1) किसी संपीडित गैस को किसी सिलेंडर में भरने और भण्डारण की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,-
 - (क) विनिर्देश और मापमान के अनुसार रेखांक, जो तीन प्रतियों में होंगे, जिनमें निम्नलिखित बातों का स्पष्टत: उल्लेख किया जाएगा:
 - i) वह रीति, जिसमें इन नियमों में विहित उपबन्धों का पालन किया जाएगा;
 - अनुज्ञप्त किए जाने वाला प्रस्तावित परिसर, जिसके क्षेत्रफल को स्पष्टता: रंग किया जाएगा या अन्यथा चिन्हांकन किया जाएगा;
 - iii) जिन सुविधाओं के लिए अनुज्ञप्ति का प्रस्ताव है, उनके आसपास चारों ओर 100 मीटर क्षेत्र;
 - (ख) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस संदत्त की जाएगी।
- (2) यदि मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक का, विनिर्देशों और रेखांको की संवीक्षा करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्त किए जाने वाले प्रस्तावित परिसर में इन नियमो के उपबन्धो के अनुसार संपीडित गैस का भरण और भण्डारण किया जाएगा तो वह आवेदक की समस्त विनिर्देशों और रेखांकों की एक-एक प्रति हस्ताक्षर करके वापस कर देगा और अपनी मंजूरी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाए, सूचित करेगा।
- **48. अनापत्ति प्रमाणपत्र.-** (1) प्ररूप 'च' में एलपीजी, विषैली गैसों और संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो बिक्री/ व्यापार के लिए आशयित है, स्वयं के उपयोग के लिए नहीं अनुज्ञप्ति लेने के लिए कोई आवेदक, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर के अवस्थान को दर्शित करने वाले स्थल-रेखांक की दो प्रतियों सहित जिला प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
- (2) सी.एन.जी. वितरण स्टेशन के लिए प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति लेने के लिए कोई आवेदक, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर के अवस्थान को दर्शित करने वाले स्थल-रेखांक की दो प्रतियों सहित जिला प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
- यदि जिला प्राधिकारी को संतोष हो जाता है, और कोई आपत्ति नहीं तो प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र देगा, जो आवेदन के साथ उसे मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।
- (3) उप नियम (1) के तहत प्ररूप 'च' में ज्वलनशील, विषैली गैसों और संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो भरण संयंत्र का भाग है, के लिए नई अनुज्ञप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता, लागु नहीं होगी।
- (4) ऊपर उपनियम (1) के अधीन जिला प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र के साथ शासकीय मुद्रा के अधीन उसके द्वारा सम्यक पृष्ठांकित स्थल रेखांक की प्रति होगी।
- (5) मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक, उसके संप्रेक्षण के लिए, उपनियम (1) के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र केसाथ न आनेवाले आवेदन को जिला प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- (6) यदि जिला प्राधिकारी, उसे निर्देश किए जाने पर या अन्यथा, मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक को यह संसूचना देता है कि ऐसी कोई अनुज्ञप्ति जिसके लिए आवेदन किया गया है, उसकी राय में नहीं दी जानी चाहिए तो ऐसी अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना जारी नहीं की जाएगी।
- **49. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के लिए आवेदन.-** (1)इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमोदन अभिप्राप्त करने या नवीकरण का इच्छुक व्यक्ति, मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक को एक लिखित आवेदन.-
 - (क) नियम 51 के उपनियम (1) में विहित में अनुज्ञप्ति के लिए, प्ररूप 'ख' में देगा; और
 - (ख) नियम 51 के उपनियम (2) में विहित में अनुज्ञप्ति के लिए, प्ररूप 'ग' में देगा।
- (2) सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर्स के विनिर्माण के लिए अनुमोदन के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दो प्रतियों में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थातः-

- (i) अनुसूची 5 के अनुसार फीस;
- (ii) सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण के लिए अनुमोदन हेतु अनुसूची 3 में सुसंगत अन्य सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन।
- (iii) अनुमोदन प्राप्त करने के एक वर्ष के अन्दर आईएसओ प्रत्यायन या किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किए गए समकक्ष प्रमाण पत्र
- (iv) सुसंगत कोड, विनिर्देशों और उपलब्ध तकनीकी साहित्य की सूची;
- (v) ऐसी भूमि जहा इस तरह की सुविधा स्थापित की जानी प्रस्तावित है, उस भूमि के विधिक और वास्तविक कब्जे के लिए स्वामित्व सबूत;
- (vi) विनिर्माताओं, निरीक्षण और परीक्षण का प्रस्तावित पालन किए जाने की विस्तृत रिपोर्ट,
- (vii) विनिर्माण हेतु प्रस्तावित सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों के सम्यक मान्यता प्राप्त तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरणों द्वारा जांच की गई अभिकल्पना आरेखण; तथा विर्निमाण और परीक्षण की योजना
- (viii) सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण कार्य में लगे कर्मियों की अर्हता एवं अनुभव के विनिर्दिष्ट संदर्भ के साथ आवेदक का संगठनात्मक ढांचा; और
- (3) सिलेंडर परीक्षण केन्द्र और एलपीजी या वेलडित सिलेंडर के हॉट रिपेयर के लिए अनुमोदन हेतु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दो प्रतियों में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, अर्थातः-
 - (i) अनुसूची 5 के अनुसार फीस;
 - (ii) ऐसी भूमि हा इस तरह की सुविधा स्थापित की जानी प्रस्तावित है, उस भूमि के विधिक और वास्तविक कब्जे के लिए स्वामित्व प्रमाण;
 - (iii) आवेदको के नाम और टेलिफोन नंबर, ई-मेल पते सहित उनका पूरा पता;
 - (iv) सिलेंडर परीक्षण केन्द्र या हॉट मरम्मत सुविधाओं का प्रस्तावित स्थान;
 - (v) ज्वलनशील गैस सिलेंडर परीक्षण केन्द्र के मामले में डिगैसिंग का स्थान दर्शाते साइट और अभिन्यास की छः प्रतियां, विषाक्त गैस सिलेंडर परीक्षण के मामले में निष्प्रभावीकरण सुविधाओं का विवरण और सिलेंडर परीक्षण भंडार में परीक्षण उपकरणों का स्थान दर्शाते प्रत्येक स्थल और अभिन्यास योजना की छः प्रतियां।
 - (vi) सिलेंडरों की जांच और परीक्षण के लिए या एलपीजी या वेलडित सिलेंडरों की हॉट मरम्मत के लिए अपनाए जाने हेतु प्रस्तावित विनिर्देश या कोड;
 - (vii) सिलेंडरों का परीक्षण या सिलेंडरों की हॉट मरम्मत के कार्य में लगे कर्मियों की अर्हता एवं अनुभव के विनिर्दिष्ट संदर्भ के साथ आवेदक का संगठनात्मक ढांचा:
 - (viii) सिलेंडरों के परीक्षण या एलपीजी या वेलडित सिलेंडरों की हॉट मरम्मत के प्रत्येक चरण में किए गए परीक्षणों की जांच या क्वालिटी नियंत्रण जांच;
 - (ix) जांच या परीक्षण हेतु उपलब्ध किए गए सांचा या प्रमापक (गेजेस) का ब्यौरा।
 - (x) परीक्षण और उपकरणों की सटीकता की जांच के लिए उठाए गए कदम और नियमित अंतराल में की गई ऐसी जांच का परीक्षण;
 - (xi) गैर-विनाशकारी परीक्षण करने के लिए गामा-रे या एक्स-रे उपकरण, दर्शक, आदि जैसे रेडियोग्राफिक परीक्षण हेतु उपलब्ध उपकरण, डाई पेनेट्रेशन और चुंबकीय कण परीक्षण, आदि के लिए उपलब्ध अल्टासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर उपकरण:

- (xii) सिलेंडर परीक्षण केन्द्र या सिलेंडरों की हॉट मरम्मत शॉप्स द्वारा किए जाने वाले विभिन्न परीक्षणों के अभिलेख और प्रमाण-पत्रों के प्रोफार्मा।
- (xiii) किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी आईएस ओ प्रमाण-पत्र।
- (xiv) सुसंगत कोड, विनिर्देशों और उपलब्ध तकनीकी साहित्य की सूची; और
- **50. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन का दिया जाना.-** (1) यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुमोदन, 5 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक द्वारा इन नियम के अधीन दी जा सकेगी।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या अनुमोदन, तब दी जाएगी जब आवेदक द्वारा इन नियमों के उपबंधो का अनुपालन कर दिया जाता है।
 - (3) इन नियमों के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
 - (4) जब अनुज्ञापन प्राधिकारी परिसर का निरीक्षण कर अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात प्ररूप ङ, च, और छ में अनुज्ञप्ति जारी करता है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पृष्ठांकित की जाएगी और इस पृष्ठांकन की तारीख से अनुज्ञप्ति प्रवृत्त होगी।
 - (5) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी निरीक्षण करने पर यह देखता है कि परिसर अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानो के अनुरूप नहीं है और पृष्ठांकन करने योग्य नहीं है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा,
 - (i) कमी को सुधारने के लिए उनके निर्देश; या
 - (ii) नियमित रूप से अनुज्ञप्ति पृष्ठांकित न करने के कारण; या
 - (iii) अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण के कारण, जैसा भी मामला हो।
- **51. अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकती है या उसका नवीकरण किया जा सकता है.-** (1) संपीडित गैस संभरण या भरण के लिए आशयित सिलेंडरों , वॉल्व्स और एलपीजी रेगुलेटरों के आयात के लिए प्ररूप 'घ' में अनुज्ञप्ति उतनी अवधि के लिए दी जा सकती है, जितनी मुख्य नियंत्रक ठीक समझे, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष की हो सकती है।
- (2) संपीडित गैस से भरण और भण्डारण के लिए इन नियमों के अधीन क्रमश: प्ररूप 'ड', प्ररूप 'च', प्ररूप 'छ' में दी गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति उस वर्ष के तीस सितंबर के पर्यन्त प्रवृत्त रहेगी, जिस वर्ष तक के लिए अनुज्ञप्ति दी गई या नवीकृत की गई हैं, किन्तु ऐसी अवधि अधिक से अधिक दस वर्ष की होगी।
- (3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति किसी विशिष्ट कार्य के लिए अपेक्षित है जिसे उस वर्ष तक के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है या नवीकृत की गई है, 30 सितंबर तक पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह उतनी और अविध के लिए जितनी आवश्यक हो, अनुज्ञप्ति दे सकता है या नवीकृत कर सकता है।
- 52. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की विशिष्टियां.- (1) इन नियमों के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी और उसमें वे सब विशिष्टियां होंगी जो इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप में है।
- (2)अनुज्ञप्ति परिसर से संबंधित रेखांक या रेखांको की एक प्रति, जिस पर मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक के अनुमोदन के प्रतीकस्वरूप उसके हस्ताक्षर होंगे, अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न की जाएगी और वह ऐसी अनुज्ञप्ती का भागरूप होगी, और वैसी ही एक प्रति मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक के कार्यालय में अभिलेख के लिए फाइल की जाएगी।
- **53. अनुज्ञप्ति परिसर में परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक.-** (1) अनुज्ञप्त परिसरों में कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन को दर्शित करने वाले रेखांक को दर्शित करनेवाले रेखांक को मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक ने लिखित रूप में अनुमोदित नहीं कर दिया है।
 - (2) अनुज्ञप्त परिसरों में परिवर्तन करने का इच्छुक व्यक्ति, मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक के,-
 - (क) अनुज्ञप्त परिसर के समुचित रूप से आरेखित रेखांक की तीन प्रतियां देगा, जिसमें कि प्रस्थापित परिवर्तन को अलग रंग में दिखाया गया हो, तथा परिवर्तन के कारणों का उल्लेख किया गया हो।

- (ख) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस देगा।
- (3) यदि, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक का प्रस्थापित परिवर्तन दर्शाने वाले रेखांक की संवीक्षा करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने पश्चात् जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तन किए जा सकते हैं तो वह अनुज्ञप्तिधारी को रेखांक की एक प्रति हस्ताक्षर करके वापस कर देगा और उसे अपनी मंजूरी ऐसी शर्त या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, सूचित करेगा।
- (4) जैसे ही मंजूर किया गया परिवर्तन कर दिया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी, मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक को अनुज्ञप्त के संशोधन के लिए आवेदन करेगा।
- (5) मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक द्वारा मंजूर किए गए किसी परिवर्धन या परिवर्तन को तब तक, उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सम्यकत: संशोधित अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हो जाती है।
- **54. अनुज्ञप्ति तथा अनुमोदन का संशोधन और स्थानांतरण** (1) इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति तथा अनुमोदन मुख्य नियंत्रक/ मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा संशोधित या स्थानांतरित की जा सकेगी।
- (2) किसी अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संशोधन फीस होगी तथा उसके अतिरिक्त उतनी रकम, यदि कोई हो, होगी जितनी कि अनुज्ञप्ति के लिए मूलत: संदत्त फीस में उस दशा में अधिक होती है जब अनुज्ञप्ति मूलत: ही ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाती।
- (3) अनुज्ञप्ति में संशोधन का इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:
 - i) यदि अनुज्ञप्ति प्रारूप 'घ' में जारी की गई है तो आवेदन विधिवत रूप से फार्म 'ख' में भरा जाएगा और यदि अनुज्ञप्ति प्रारूप 'ङ' 'च' 'छ' में जारी की गई है तो फार्म 'ग' में;
 - ii) संशोधन के लिए आशयित अनुज्ञप्ति और साथ ही उससे संलग्न अनुमोदित रेखांक;
 - iii) जहां अनुज्ञप्त परिसर में कोई परिवर्तन कर दिया गया है, वहाँ नियम 53 के अधीन मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक द्वारा मंजूर किए गए परिवर्तन को दर्शित करनेवाले समुचित रूप से आरेखित नक्शे की तीन प्रतियां;
 - iv) अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए नियम 65 उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट फीस।
- (4) प्ररूप 'ड','च' या 'छ' में किसी अनुज्ञप्ति का धारक, अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पूर्व किसी समय, अनुज्ञापन प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिए आवेदन कर सकेगा। अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा—
 - i) अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा, उस व्यक्ति का, जिसको वह अनुज्ञप्ति का अंतरण और अनुज्ञप्त परिसर का पूर्ण कब्जा देना चाहता है, पूरा नाम और डाक का पता बताते हुए हस्ताक्षरित पत्र;
 - ii) अनुमोदित रेखांक या उसे संलग्न रेखांकों के साथ अंतरित किए जाने के लिए वांछित अनुज्ञप्ति;
 - iii) उस व्यक्ति द्वारा, जिसको अनुज्ञप्ति अंतरित की जाने की वांछा की गई है, प्ररूप 'ग' में सम्यक रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित आवेदन;
 - iv) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट संशोधन फीस नियम 65 के अनुसार।
- **55. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन का नवीकरण.-** (1) अनुज्ञप्ति या अनुमोदन का नवीकरण या उसकी विधिमान्यता मुख्य नियंत्रक द्वारा बढाई जाए।
- (2) इन नियमों के अधीन प्ररूप 'ड', प्ररूप 'च' और प्ररूप 'छ' में दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उस दशा में एक समय पर दस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
- (3) जहां कोई अनुज्ञप्ति, जो एक वर्ष से अधिक के लिए नवीकृत की गई है, वहां अविध की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पित कर दी जाती है तो अनुज्ञप्ति या अनुमोदन अनविसत अविध के लिए संदत्त नवीकरण फीस अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी, परन्तु किसी ऐसे वर्ष के लिए नवीकरण फीस लौटाई नहीं जाएगी जिसके दौरान मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक अभ्यर्पण के लिए नवीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है।
- (4) अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति, जिसका नवीकरण होना है तथा अनुज्ञप्ति से संलग्न या रहित अनुमोदित रेखांक और नवीकरण फीस दी जाएगी।

- (5) अनुज्ञप्ति के नवीकरण या अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन, इस प्रकार किया जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास उस तारीख से, जिसको वह समाप्त होनी है, पूर्व पहुंच जाए और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो अनुज्ञप्ति उस तारीख तक प्रवृत्त समझी जाएगी, जिसको मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक अनुज्ञप्ति का नवीकरण करता है या आवेदक को यह संसूचित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इन्कार कर दिया गया है।
- (6) जहां अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के नवीकरण से इन्कार कर दिया गया है वहां नवीकरण के लिए संदत्त फीस में से अनुपातत: उतनी फीस काटकर, जो उस तारीख से, जिसको अनुज्ञप्ति नवीकृत की गई थी, आरम्भ होनेवाली और उस तारीख को जिसको अनुज्ञप्ति/ अनुमोदन के नवीकरण से इन्कार किया जाता है, समाप्त होनवाली अवधि के लिए हो, शेष फीस अनुज्ञप्तिशारी को वापस कर दी जाएगी।
- (7) प्रत्येक बारह मास के लिए अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के नवीकरण के लिए उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी कि उसके देने के लिए दी जाती है:
- बशर्ते -
- (क) यदि उपनियम (4) के अधीन अपेक्षित संलग्नकों के साथ आवेदन उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है किन्तु तीन मास के अपश्चात् प्राप्त होता है तो अनुज्ञप्ति साधारणंतया संदेय फीस से दुगुनी रकम का संदाय करने पर ही नवीकृत या पुनर्वैध की जाएगी:
- (ख) यदि ऐसा कोई आवेदन संलग्नकों सिहत उसकी समाप्ति की तारीख से तीन मास के पश्चात् किन्तु उसकी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष तक मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को प्राप्त हो जाता है तो वह अनुज्ञप्ति, इस निमित्त की जा सकने वाले किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक तीन मास के विलंब या उसके भाग के लिए एक वर्ष की अनुज्ञप्ति या अनुमोदन फीस की दर से देरी संबंधी फीस के संदाय पर नवीकृत या पुनर्विधीकरण किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि यदि एक बार में एक वर्ष से अधिक की अविध के लिए अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो प्रथम परन्तुक के अधीन विहित फीस यदि संदेय हो, तो केवल नवीकरण के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए दी जाएगी।

- (8) यदि मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक को अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति से एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होता है तो अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा।
- (9)सिलेंडर विनिर्माण इकाइयों, वॉल्व्स विनिर्माण इकाइयों और एलपीजी रेगुलेटरों विनिर्माण इकाइयों, सिलेंडर परीक्षण स्टेशनों, हॉट मरम्मत या एलपीजी या अन्य वेलडित सिलेंडरों के लिए रिकंडिशनिंग स्टेशनों को जारी किए गए अनुमोदन के नवीकरण या अनुमोदन की विधिमान्यता अनुमोदन की समाप्ति पर या इससे पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने पर दस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बढाई जाएगी अर्थात;
 - ं। नवीकरण हेतु आवेदन या अनुरोध पत्र जो कंपनी के निदेशक या स्वामी या प्राधिकृत सम्यक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कंपनी के पत्रशीर्ष पर किया गया हो।
 - ii. अनुसूची 5 में यथा निर्दिष्ट नवीकरण या पुनर्वैधिकरण फीस का भुगतान।
- iii. अनुमोदन की विधिमान्य की संपूर्ण अवधि की विनिर्माण रिपोर्ट या परीक्षण अभिलेख या सुधार अभिलेख, अनुमोदन की वैधता की संपूर्ण अवधि के लिए किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व जारी विधिमान्य आईएसओ प्रमाण-पत्र;
- iv. अनुमोदन की विधिमान्य की अविध के दौरान संगठनात्मक ढाँचे और तकनीकी मानवशक्ति में कोई बदलाव नही हुआ है, इस आशय का कंपनी के निदेशक या स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वचन-बंध।
- v. अनुमोदन की मूल प्रति और
- vi. **मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य को**ई दस्तावेज।
- (10) ऐसे नवीकरण या विधिमान्यता बढाने के लिए प्रत्येक बारह मासों के लिए अनुमोदन की अवधि बढाने के लिए एक ही फीस ली जाएगी।

- (11) सिलेंडर विनिर्माण इकाइयों, वॉल्व्स विनिर्माण इकाइयों और एलपीजी रेगुलेटर विनिर्माण इकाइयों, सिलेंडर परीक्षण स्टेशनों, हॉट मरम्मत एलपीजी या अन्य वेलडित सिलेंडरों के लिए रिकंडिशनिंग स्टेशनों को जारी किए गए अनुमोदन के नवीकरण की विधिमान्यता की अविधि, ऐसे अनुमोदन के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी रहेगा।
- **56. अनुज्ञप्ति/ अनुमोदन का प्रतिषेध.-** (1) यदि मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन देने, उसे नवीकृत करने या उसमें कोई संशोधन करने से इन्कार करता है तो वह ऐसे इन्कार के कारण लेखबध्द करेगा।
- (2) इन्कार से पूर्व आवेदक या अनुज्ञप्तिधारक को उसका स्पष्टीकरण सुनवाई देने का अवसर दिया जाएगा।
- **57. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन का निलंबन और निरसन.-** (1) इन नियमों के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या ऐसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के किसी उल्लंघन के कारण अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से, या यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी के पास अनुज्ञप्ति का बना रहना आक्षेपणीय समझा जाता है तो केन्द्रीय सरकार के आदेश से, निलम्बित या रह की जा सकेगी:
- (2) इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या अनुमोदन को निलम्बित या रद्द करने का आदेश जारी करने से पूर्व-
 - (क) अनुज्ञप्तिधारी या अनुमोदन धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा;
 - (ख) उप-नियम (1) के अंतर्गत निलम्बन की अधिकतम अवधि तीन मास से अधिक नहीं होगी; और
 - (च) अनुज्ञप्ति या अनुमोदन निलम्बित हो जाने से अनुज्ञप्तिधारी, नियम 55 के उपबन्धों के अनुसार उसके नवीकरण के लिए आवेदन करने से विवर्जित नहीं होगा।
- (3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित दशाओं में उसकी अनुज्ञप्ति या अनुमोदन निलम्बित या रद्द करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:-
 - (क) जहाँ अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमो के उपबन्धों में से किसी के या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की किन्हीं शर्तों के अतिक्रमण के कारण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में निलम्बित कर दी जाती है या इस कारण निलम्बित कर दी जाती है कि उसकी राय में से ऐसे अतिक्रमण से जनता को आसन्न खतरा होने की संभावना है:
 - परंतु जहाँ अनुज्ञप्ति या अनुमोदन इस प्रकार निलम्बित कर दी जाती है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को निलम्बन का आदेश पुष्ट करने से पूर्व सुनवाई कर अवसर देगा;
 - (ख) जहां अनुज्ञप्ति या अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित या रद्द की जाती है और वह सरकार समझती है कि लोकहित में या राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।
- (4) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने वाला मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को, सिवाय उस दशा के जब अनुज्ञप्ति या अनुमोदन उपनियम (2) के अधीन निलंबित की गई हो, आवेदक को संसूचित करेगा।
- 58. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की समाप्ति, निलम्बन या रहकरण की दशा मे प्रक्रिया.-

संपीडित गैस के भरण या भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति व्यक्ति, ऐसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति निलम्बन या रद्दकरण की दशा में, मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक अपने कब्जाधीन संपीडित गैस के वर्ग और मात्रा की सूचना तुरन्त देगा और उन निदेशों का पालन करेगा जो मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक उसके निपटारे के लिए दे।

- **59. अपील.-** (1)अनुज्ञप्ति के देने या संशोधन करने या उसके नवीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलंबन के विरूध्द अपील, यदि आदेश मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को की जाएगी और नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के विरूध्द मुख्य नियंत्रक को की जाएगी।
- (2) प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी जिसके विरूध्द अपील की जा रही है और अनुसूची 5 के अनुसार फीस और ऐसे आदेश के पारित होने से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- 60. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या नि:शक्तता की दशा में प्रक्रिया.- यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है या अन्यथा नि:शक्त हो जाता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का कारबार चलाने वाला व्यक्ति / ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का विधिक वारिस उस अविध के दौरान, जो उस व्यक्ति के लिए अपने नाम में उतनी अविध के लिए, जितनी कि नई अनुज्ञप्ति या अनुमोदन लेने/विद्यमान अनुज्ञप्ति या अनुमोदन को अपने नाम मे अंतरिम कराने के लिए,

आवेदन करने के लिए युक्तियुक्त रूप में अपेक्षित है, अनुज्ञप्तिधारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के कारण अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शास्ति का या अधिहरण का भागी नहीं होगा:

परंतु इस नियम की किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग का प्राधिकार नहीं समझा जाएगा।

- **61.अनुज्ञप्ति या अनुमोदन खो जाना.-** जहां, इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या अनुमोदन खो जाती है या दुर्घटनावश नष्ट हो जाती है वहां ऐसे रेखांकों की, जो अनुज्ञप्ति से संलग्न किए गए रेखांक के समरूप हैं, प्रतियां प्रस्तुत किए जाने पर और अनुसूची **5** में विनिर्दिष्ट तरीके से भुगतान किए जाने पर एक दूसरी प्रति दी जा सकेगी।
- **62. मांग पर अनुज्ञप्ति या अनुमोदन का पेश किया जाना.-** (1) इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या अनुमोदन को धारण करने वाला या उसके अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियम 71 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उस स्थान पर जिसे अनुज्ञप्ति लागू है, अनुज्ञप्ति उसकी अधिप्रमाणित प्रति पेश करेगा:
- (2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की प्रतियां—
 - (क) प्रत्येक अधिप्रमाणित प्रति के लिए अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट फीस संदत्त कर दिए जाने पर; और
 - (ख) अनुज्ञप्ति या अनुमोदन से संलग्न अनुमोदित रेखांक या रेखांकों के समरूप रेखांक की प्रति या प्रतियां पेश कर दी जाने पर,

उस प्राधिकारी व्दारा अधिप्रमाणित की जा सकती हैं, जिसने की अनुज्ञप्ति दी है।

- **63. अतिलंघन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रक्रिया.** यदि अधिनियम या इन नियमों के अतिलंघन के संबंध में मुख्य नियंत्रक जिला प्राधिकारी को कोई रिपोर्ट करता है तो जिला प्राधिकारी उस बाबत अपने द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक को देगा।
- **64. प्राधिकारियों पर कार्यपालक नियंत्रण.-** केन्द्रीय सरकार से भिन्न इस अध्याय के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक प्राधिकारी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए करेगा:

परंतु इस नियम की कोई भी बात के होते हुए भी मुख्य नियत्रक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की कार्यपालक शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

- **65. अनुज्ञप्ति फीस और अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न फीस.-** (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण कर सकेंगी।
- (2) इन नियमों के अधीन संदेय सभी फीसों का संदाय, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/विस्फोटक नियंत्रक के नाम में किसी भी राष्ट्रीय या अनुसूचित बैंक पर लिखे गए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा यथास्थिति, या ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से, जहाँ ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, अपने-अपने स्थानों पर देय किया जाएगा।

अध्याय 7

66. छूट देने की शक्ति.- यदि मुख्य नियंत्रक को यह समाधान हो जाता है कि किसी सिलेंडर या सिलेंडरों के वर्ग या किसी प्रवहण पध्दित के संबंध में इन नियमों की किन्हीं भी अपेक्षाओं का निरापद रूप में निलम्बित या परिवर्तित किया जा सकता है तो वह ऐसी अविध के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह ठीक समझे, इस प्रकार का निलम्बन या परिवर्तन प्राधिकृत कर सकता है। ऐसे किसी आदेश को किसी भी समय प्रतिसंह्रत किया जा सकता है:

परंतु, इस तरह के निलंबन या उपांतरण के लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा ।

अध्याय 8

दुर्घटना और जांच

- **67. दुर्घटनाओं की सूचना.-** (1) किसी दुर्घटना की सूचना, जो अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दी जानी अपेक्षित है:-
 - (क) मुख्य नियंत्रक को या निकटतम स्टेशन के नियंत्रक को फैक्स या ई मेल द्वारा तुरंत दी जाएगी और उसके बारह घंटे के भीतर घटना के ब्यौरे देनेवाला एक पत्र भेजा जाएगा:

- (ख) जिला प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी; और
- (ग) निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तीव्रतम संचार साधन द्वारा तुरंत दी जाएगी।
- (2) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक के आने तक या मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक से यह अनुदेश मिलने तक कि वह आगे कोई अन्वेषण या जांच नहीं करना चाहता है, सभी ध्वस्त सामग्री और मलबा सिवाय उसके जिसका उठाया जाना आहत व्यक्तियों के बचाव के लिए और दुर्घटना से मरनेवाले किन्हीं व्यक्तियों के शवों को निकालने के लिए, या रेलों/सड़को की दशा में, संचार व्यवस्था, यातायात को पुन: स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा।
- 68. दुर्घटना की जांच.- (1) जब कभी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ मजिस्ट्रेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् मजिस्ट्रेट कहा गया है) कोई जांच करता है तो वह उसे तब तक के लिए स्थिगत कर देगा जब तक कि मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक य उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी कार्यवाही पर निगरानी रखने के लिए उपस्थित नहीं होता या मजिस्ट्रेट को मुख्य नियंत्रक से लिखित रूप में यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है कि वह प्रतिनिधि भेजना नहीं चाहता है।
- (2) मजिस्ट्रेट स्थगित जांच को पुन: प्रारंभ करने से कम से कम चौदह दिन पूर्व मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को स्थगित जांच के होने कि समय और स्थान के बारे में लिखित सूचना देगां।
- (3) जहां दुर्घटना में जनजीवन की क्षति हुई है, वहां मजिस्ट्रेट उपनियम (1) के अधीन जांच स्थगित करने के पूर्व शवों की पहचान करने के लिए साक्ष्य ले सकेगा और उनके स्थान बंधन का आदेश दे सकेगा।
 - (4) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि ऐसी जांच में किसी भी साक्षी की परीक्षा कर सकेगा।
- (5) यदि नियंत्रक या नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी उपस्थित नहीं है, और जांच में ऐसी उपेक्षा का साक्ष्य दिया जाता है जिसके कारण या जो विस्फोट या दुर्घटना हुई है या किसी प्रतिष्ठापन के आस पास या उसके संबंध में या यान में कोई ऐसी खराबी हुई है जिसका मजिस्ट्रेट या जूरी उपचार करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट मुख्य नियंत्रक को ऐसी उपेक्षा या दोष की लिखित सूचना देगा।
- **69. अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच.-** (1) यदि अधिनियम की धारा 9 क के अधीन कोई जांच की जाती है तो जांच करने वाले व्यक्ति, खुले न्यायालय में ऐसे ढंग और ऐसी शर्तों के अधीन जांच करेंगे जो वे दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझें और इस नियम के अधीन रिपोर्ट देने में उन्हें समर्थ करें:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश दे तो जांच कमरे की निगरानी में की जा सकती है।

- (2) जांच न्यायालय के समक्ष हाजिर होनेवाल साक्षियों को ऐसा व्यय अनुज्ञात किया जाएगा जो उस स्थान में, जहां जांच की जानी है, अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय में हाजिर होनेवाले साक्षियों को अनुज्ञात होता है और यदि अनुज्ञप्त की जानेवाली रकम के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह मामला स्थानीय मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाएगा जो जांच अधिकारी द्वारा निवदेन किए जाने पर ऐसे खर्च की उचित रकम अभिनिश्चित करेगा और प्रमाणित करेगा।
- (3) इस नियम 69 के उपनियम (2) के अधीन की गई जांच या अन्वेषण में या उसके संबंध में उपगत सभी व्यय अधिनियम के निष्पादन के लिए पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए व्यय का भाग समझे जाएंगे।

अध्याय 9 शक्तियां

- 70. खतरनाक व्यवहार.- (1) यदि किसी मामले में, जिसके लिए इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध में या किसी शर्त में व्यवस्था नहीं की गई है नियंत्रक को यह पता लगता है कि कोई संपीडित गैस भरण स्टेशन या भंडारण स्थान; जहां सिलेंडर भरा या रखा जाता है या उसका कोई भाग या कोई बात या उसमें या उससे संबंधित कोई पध्दित या संपीडित गैस सिलेंडरों की धराई उठाई या परिवहन इस प्रकार खतरनाक या त्रुटिपूर्ण है जो उसकी राय में लोक सुरक्षा के या किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो ऐसा नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा ऐसे भरण स्थान के अधिष्ठाता या सिलेंडर के स्वामी से ऐसे समय के भीतर, जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उसके उपचार की अपेक्षा कर सकता है और उक्त अधिष्ठाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेशों का पालन करेगा।
- (2) जहां अधिष्ठाता या स्वामी उपनियम (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो वहाँ वह आदेश में अनुपालन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर, मुख्य नियंत्रक को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर मुख्य नियंत्रक का आदेश अंतिम होगा।

- (3) उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरूध्द अपील की गई है, एक प्रति लगाई जाएगी और जिस आदेश के विरूध्द की गई है, उस आदेश की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर की जाएगी।
- (4) यदि अधिष्ठाता या स्वामी उपनियम (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या, यदि अपील उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत की गई है तो उस पर मुख्य नियंत्रक के आदेश का ऐसे आदेश में नियत समय के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस नियम का भंग किया है।
- 71. निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध और हटाने की शक्तियां.- (1) निम्नलिखित सारणी के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट कोई भी अधिकारी, अधिनियम की धारा (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग उन क्षेत्रों में कर सकता है जो उसी सारणी के दूसरे स्तम्भ की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है:

<u>सारणी</u>

अधिकारी	क्षेत्र
1. मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक	सम्पूर्ण भारत में
2. सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनके अपने - अपने जिले में
3. जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी मजिस्ट्रेट	उनकी अपनी – अपनी अधिकारिता में
4. पुलिस आयुक्त और निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के सभी पुलिस अधिकारी	उनका संबंधित क्षेत्राधिकार

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा हटाए जाने और नष्ट करने संबंधी अधिकारों का प्रयोग मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक के अनुदेशों के अधीन और उसके अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- (3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों का सम्यक पालन हो रहा है, प्रत्येक सुविधा दी जाएगी।
- 72. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.- (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इन नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई हों या की जाने के लिए आशयित हों, केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक किसी व्यक्ति के विरूध्द न होगी।
- (2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के, जो इन नियमों के अनुसरण में की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो, कारण हुए या होनेवाले संभावित किसी नुकसान के बारे में केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक के विरूध्द नहीं होगी।

73. निरसन और व्यावृत्ति.-

- (1) गैस सिलेंडर नियम, 2004, इसके द्वारा निरसित किए जाते है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, -
- (क) उक्त नियमों के अधीन दी गई या नवीकृत सभी अनुज्ञप्तियों या अनुमोदन और अधिरोपित या उदगृहीत सभी फीसें, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, यथास्थिति दी गई, नवीकृत या अधिरोपित या उदगृहीत की गई समझी जाएंगी; और
- (ख) किसी अधिसूचना या नियम द्वारा या उसके अधीन किए गए सभी अनुमोदन और प्रदत्त शक्तियां, जहां तक वे अधिनियम और इन नियमों से संगत हैं, इन नियमों द्वारा या इनके अधीन दिए गए या प्रवृत्त की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची । [नियम 3(1) देखें]

सिलेंडरों / वाल्वों और एलपीजी रेगुलेटरों के प्रकार और मानक

क. सिलेंडरो /आधान

1. भारतीय मूल-

(क) सिलेंडरो

कम दाब द्रवशील गैसों के लिए वैल्ड किए गए हल्के कार्बन इस्पात के सिलेंडर, भारतीय मानक आईएस 3196, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, भारतीय मानक आईएस 7142 के अनुरूप, आटो-एल.पी.जी. आधान, विनिर्मित भारतीय मानक आईएस 14899 के अनुरूप, डी.ए. सिलेंडर्स भारतीय मानक 7312 के अनुरूप विनिर्मित, ईएन-1251, ईएन-13458, एएसएमई एसइसी VIII खंड I और एडी 2000 एमबी के अनुरूप विनिर्मित क्रायोजनिक कंटेनर, ईएन-14427, आईएस ओ-11119-3 और ईएन-12245 या अन्य विनिर्देश जो मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत और भारतीय मानक ब्यूरो या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अन्य कोई निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के अनुरूप निर्मित संघटक सिलेंडरो।

मेसर्स लक्स्फर उत्तम इंडिया प्रा. लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा आईएसओ 7866 और आईएस 15660 के अनुसार विनिर्मित सीमलेस एल्यूमिनियम मिश्र धातु के सिलेंडर जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित है या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य निरीक्षण प्राधिकरण । बीएसः5045: भाग.3, आईएसओ 7866 या ईन के समकक्ष विनिर्देश के अनुरूप एल्यूमीनियम सिलेंडर। मेसर्स भारत पंप्स एण्ड कॉम्प्रेसर्स लि, नैनी, इलाहाबाद, मे. एवरेस्ट कैन्टो सिलेंडर लि, मुंबई, (तारापुर, महाराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में विनिर्माण युनिट) और मे. एवरेस्ट कैन्टो सिलेंडर लि, हलोल, गुजरात, मे.रामा सिलेंडर्स प्रा.लि., कच्छ, गुजरात, मे. रेडसन इंडिस्ट्रिज प्रा. लि., आ.प्र.,मे. सरजू इंपेक्स, भरूच, गुजरात, मे. यूरो सिलेंडर्स, मे. लाईझर सिलेंडर्स, कच्छ, गुजरात--, मे. शाहूवाला हाय प्रेशर सिलेंडर्स, विशाखापटनम, आ.प्र., मे. कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लि, विशाखापटनम,आ.प्र., मे. असोसिएट हाय प्रेशर टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., कच्छ, गुजरात, मे. नितिन सिलेंडर्स लि, मुंबई, मे. जेएफई सिलेंडर्स,दिल्ली, मे. शबा सिलेंडर्स प्रा. लि., उज्जैन, म.प्र., द्वारा भारतीय मानक आईएस 7285 के अनुरूप विनिर्मित सीवन रहित सिलेंडर और भारतीय मानक आईएस 15490 के अनुरूप विनिर्मित सीएनजी ऑन-बोर्ड सिलेंडर्स मे. एवरेस्ट कैन्टो सिलेंडर लि. द्वारा आईएस ओ-11120 के अनुरूप विनिर्मित जंबो सिलेंडर्स जो भारतीय मानक ब्यूरो या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अन्य निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं।

(ख) आधान

बीएस 1500, ए.एस.एम.इ.सेक्शन-8 तथा आईएस 2825 के अनुसार, नई दिल्ली, मैसर्स इंडियन शुगर एंड जनरल इंजि.कारपोरेशन, यमुना नगर, मैसर्स अनूप इंजिनियरी लि., अहमदाबाद, मैसर्स कोसन मेटल प्रॉडक्ट प्रा.लि., मुंबई, मैसर्स मीनाक्षी एसोसिएटेड प्रा.लि., सूरजपुर, जिला गाजियाबाद, मैसर्स टिटेनियम इक्विपमेंट एंड एनोड मैनुफैक्चरिंग कं.लि.,चैन्नई, मैसर्स एक्स्पों गैस कंटेनर्स लि., मुंबई द्वारा विनिर्मित और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित और किसी निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित।

2. आस्ट्रियाई मूल

- (क) एफ.एम-200 गैस सेवा के लिए बी.एस.:5045: भाग 1: 1982 के अनुरूप सिलेंडर, मैसर्स वर्थिंगटन हेजर सिलेंडर, जी एम बी एच, आस्ट्रिया द्वारा विनिर्मित और ब्यूरो वेरिटास द्वारा प्रमाणित।
- (ख) अनुमोदित अभिकल्पना के अनुसार स्थायी और द्रवशील गैसों के लिए बी.एस.:5045: भाग 1: 1982 के अनुरूप सिलेंडर, मैसर्स वर्थिंगटन हेजर सिलेंडर, जी एम बी एच, आस्ट्रिया द्वारा विनिर्मित और ब्यूरो वेरिटास द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

- (ग) आन बोर्ड सी.एन.जी. गैस सेवा के लिए एन.जेड.एस: 5454-1989 विनिर्देश के अनुरूप कार्य दाब 200 बार और परीक्षण दाब 335 बार वाले सीवन रहित सिलेंडर, अनुमोदित डिजाइन के अनुसार मैसर्स वर्थिंगटन सिलेंडर जी एम बी एच, आस्ट्रिया द्वारा विनिर्मित और मैसर्स ब्यूरा वेरिटास द्वारा प्रमाणित।
- (घ) स्थायी और द्रवित गैसों के लिए इएनः1964:1/आईएस ओ:9809-1 और इएन:1964:2/ आईएस ओ:9809-2 के अनुरूप मे. वर्थिंगटन हेज़र सिलेंडर्स जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया द्वारा विनिर्मित और ब्यूरो वेरिटास द्वारा निरक्षित सिलेंडर्स।

3. अर्जेण्टीना मूल

आन बोर्ड पर सी.एन.जी. गैस सेवा के लिए आईएस ओ:11439-2000 के अनुरूप कार्य दाब 200 बार और परीक्षण दाब 335 बार वाले सीवन रहित सिलेंडर, अनुमोदित डिजाइन के अनुसार, मैसर्स अर्जेन्टाइल एस.ए., अर्जेण्टीना द्वारा विनिर्मित और मैसर्स ब्यूरो वेरिटास द्वारा प्रमाणित।

4. चीनी मूल

- (क) उच्च दाब गैस सिलेंडरों के लिए भारतीय मानक आईएस 7285(भाग 1)2004, भारतीय मानक आईएस 7285(भाग 2)2004 और आईएस ओ: 9809-1 विनिर्देश के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर मैसर्स बीजिंग टेनहाई इंडस्ट्री कं.लि., बीजिंग, चीन द्वारा विनिर्मित और अनुमोदित आरेखण के अनुसार लॉएड रजिस्टर द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।
- (ख) उच्च दाब गैस सिलेंडरों के लिए भारतीय मानक आईएस 7285(भाग 2)2004 और आईएस ओ: 9809-1 विनिर्देश के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर मैसर्स झेजियांग जिंदुन प्रेशर वेसल कंपनी लिमिटेड, चीन द्वारा विनिर्मित और अनुमोदित आरेखण के अनुसार ब्यूरो वेरिटाज द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।
- (ग) उच्च दाब गैस सिलेंडरों के लिए आईएस ओः 9801-3 विनिर्देश के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर मैसर्स झेजियांग जिंदुन प्रेशर वेसल्स कंपनी लि., चीन- द्वारा विनिर्मित और मे. ब्यूरो वेरिटास द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

इटेलियन मूल

- (क) स्थायी गैसों (वायु/आक्सीजन) के लिए बी.एस.: 5045: भाग 1: 1982 के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर, मैसर्स फेबर इंडस्ट्रीज एस.पी.ए., इटली द्वारा विनिर्मित यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार लॉयड्स द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।
- (ख) संपीडित और द्रवशील गैसों के लिए डी.ओ.टी: 3 ए ए विनिर्देश के अनुरूप 80 लीटर जल क्षमता और 120 लीटर कार्य दाब 79 बार और परीक्षण दाब 132 बार, वाले सीवन रहित स्टील सिलेंडर, मैसर्स फेबर इंडस्ट्रीज एस.पी.ए., इटली द्वारा विनिर्मित यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार मैसर्स लॉयड्स द्वारा प्रमाणित।
- (ग) आन बोर्ड सी.एन.जी. गैस सेवा के लिए आईएस ओ:11439 के अनुरूप कार्य दाब 200 बार और परीक्षण दाब 335 बार वाले सीवन रहित स्टील सिलेंडर, मैसर्स फेबर इंडस्ट्रीज, एस.पी.ए., इटली द्वारा विनिर्मित, अनुमोदित आरेखन के अनुसार मैसर्स लॉयड्स द्वारा प्रमाणित।

6. स्पेन मूल

एफ.एम.-200 गैस सेवा के लिए बी.एस: 5045 भाग 1 के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर मैसर्स प्राडॅक्टस टुबुलेयर्स, एस.ए. द्वारा विनिर्मित तथा लोयाड्स द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार।

7. जापान मूल

(क) स्थायी गैसों के लिए मैंगनीज स्टील के संबंध में विनिर्देश डा.ओ.टी.: 3-एए:1800 और अधिक, जे आई एस :बी: 8241: 1963 और द्रवशील गैसों के लिए यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार विनिर्देश डी ओ टी: 3ए/डी ओ टी: 3 एए के अनुरूप मैसर्स शोवा कोट्सू कोग्यो कं.लि. द्वारा विनिर्मित स्टील सिलेंडर-कंपनी के अपने निरीक्षक या के.एच.के. या लॉयड्स या ब्यूरो वेरिटास द्वारा निरीक्षत और प्रमाणित।

(ख) मैसर्स केंटो कोअट्सू- योकी मैनुफॅक्चरिंग कंपनी लि., चीन द्वारा विनिर्मित, स्टील सिलेंडरों के लिए अनुमोदित आरेखण के अनुसार हाय प्रेशर गैस सेफ्टी लॉ, जापान के अनुरूप कंपनी के अपने निरीक्षक या केएसके या ब्यूरो वेरिटास द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

8. पोलिश मूल

इ सी इ- आर 67-01 विनिर्देश के अनुरूप बने आटो एल पी जी आधान, मैसर्स स्टाको, पोलण्ड द्वारा विनिर्मित यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार परिवहन तकनीकी अधीक्षण संस्थान द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

9. यू.के.मूल

- (क) बी.एस:5045: भाग 3 या समतुल्य ईएन मानक के अनुरूप एल्यूमिनियम मिश्र धातु सिलेंडर, मैसर्स लक्सफर गैस सिलेंडर यू.के. द्वारा विनिर्मित यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार परिवहन तकनीकी अधीक्षण संस्थान द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।
- (ख) स्थायी और द्रवशील गैसों के लिए बी.एस.: 5045: भाग 1 के अनुरूप सावन रहित स्टील सिलेंडर, मैसर्स यू ई एफ चेस्टफील्ड सिलेंडर्स, यू.के. द्वारा विनिर्मित यथाअनुमोदित आरेखनों के अनुसार लॉयड्स या ब्यूरा वेरिटास या ब्रिटिश निरीक्षण इंजिनियरिंग लि. या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षत और प्रमाणित।
- (ग) स्थायी और द्रवशील गैसों के लिए डी.ओ.टी : 3 टी विनिर्देश के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर, यू.ई.एफ चेस्टफील्ड सिलेंडर्स, यू.के. द्वारा विनिर्मित यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार ब्रिटिश निरीक्षण इंजीनियरी लि. द्वारा निरीक्षण और प्रमाणित।
- (घ) एफ.एम.-200 गैस सेवा के लिए डा.ओ.टी: 4 बी.ए.:500 विनिर्देश के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर, यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार 650 पौंड जल क्षमता, भरण अनुपात 1.04, 19.72 बार पर नाइट्रोजन से अत्यधिक दाब वाले, मैसर्स फाइक प्रोटेक्शन एंड सिस्टम्स, यू.के. द्वारा विनिर्मित।
- (ड) ऑन बोर्ड सी.एन.जी. गैस सेवा के लिए बी.एस: 5045-1982 भाग 1 के अनुरूप कार्यदाब 200 बार और परीक्षण दाब 344 बार वाले सीवन रहित स्टील सिलेंडर, मैसर्स यू.ई.एफ. चेस्टरफील्ड सिलेंडर, डर्बीशायर, यू.के.द्वारा विनिर्मित, यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार मैसर्स ब्रिटिश निरीक्षण इंजिनियरिंग लिमिटेड द्वारा प्रमाणित।
- (च) कार्बन कंपोजिट सिलेंडर्स (श्वसन -उपकरण का उपसाधन) इएनः12245 विनिर्देश के अनुरूप मैसर्स ड्रेगर सेफ्टी यूके लि द्वारा विनिर्मित और मे. लॉएड्स रजिस्टर द्वारा अनुमोदित आरेखण के अनुसार परीक्षण और निरीक्षण किया गया।

10. यू.एस.ए. मूल

(क) स्थायी और द्रवशील गैसों के लिए विनिर्देश डी.ओ.टी. : 3ए/3एए के अनुरूप स्टील सिलेंडर यथाअनुमोदित आरेखन के अनुसार (1) मैसर्स नोरिस सिलेंडर कं.; (2) मैसर्स टेयलर्स व्हटिन कं.(3) मैसर्स वोरथिंगटन सिलेंडर कं.; (4) मैसर्स नोरिस इंडस्ट्रीज; (5) मैसर्स हैरिस वर्ग स्टील कं.; और (6) मैसर्स प्रेस्ड स्टील टेंक कं. द्वारा विनिर्मित, समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण और प्रमाणित।

डी.ओ.टी.:3एएल: 2216 विनिर्देश के अनुरूप एल्युमिनियम धातु मिश्रित सिलेंडर,मैसर्स लक्सफर गैस सिलेंडर्स यू.एस.ए.िल. द्वारा विनिर्मित-और प्राधिकृत जॉच इन्कॉर्पोरेशन या एरोहेड इन्कॉर्पोरेशन के अनुसार अनुमोदित आरेखण। 1) मेसर्स लक्स्फर गैस सिलेंडर्स, फ्रांस द्वारा आईएसओ 7866 के अनुरूप विनिर्मित सीमलेस एल्यूमिनियम मिश्र धातु के सिलेंडर और अनुमोदित आरेखण के अनुसार में. एपरागॅज, बेल्जियम द्वारा प्रमाणित और निरीक्षीत है।

मेसर्स लक्स्फर गैस सिलेंडर, अमरीका द्वारा एचएसई-एएल-एफडब्लु2/ इएन 12245 / डॉट-सीएफएफसी के अनुरूप विनिर्मित कार्बन मिश्रित एल्यूमिनियम रेखित गैस सिलेंडर और अनुमोदित आरेखण के अनुसार मेसर्स ऑथोराइज्ड टेस्टिंग इन्कॉ. या ऐरोहेड इन्कॉ. द्वारा प्रमाणित और निरीक्षीत है।

- (ख) मेसर्स लक्स्फर गैस सिलेंडर, जीएमबीएच द्वारा एल्यूमिनियम रेखित पूरी तरह से लिपटे कार्बन फाइबर कम्पोजिट प्रकार 3 सीएनजी सिलेंडर आईएसओ:11439/ ईसीई –आर- 110, ईसी 79, इएन: 12245-2009 के अनुरूप विनिर्मित और मेसर्स टीयूवी, नॉर्ड द्वारा प्रमाणित और निरीक्षीत है
- (ग) स्ट्रक्चरल कंपोजिट इंडस्ट्रिज द्वारा विनिर्मित और मेसर्स टीएचकोक्रेन लेबॉरेटरीज लि. द्वारा ट्यूब सिलेंडर्स आईएस ओः11120-1999 विनिर्देश के अनुरूप मैसर्स सीपी इंडस्ट्रिज द्वारा विनिर्मित और ब्रिटिश इन्स्पेक्टिंग इंजिनियर्स लि. द्वारा अनुमोदित आरेखण के अनुसार निरीक्षित और प्रमाणित ।
- (घ) कार्बन फायबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टिक फुल कंपोजिट सिलेंडर्स डीओटी-एसपी 10945-2216 विनिर्देश के अनुरूप निरीक्षित और प्रमाणित तथा अनुमोदित आरेखण के अनुसार पानी फुहार अग्निशमन प्रणाली मे प्रयुक्त ।
- (ङ) पूर्णतः वेष्टित कार्बन कंपोजिट अलुमिनियम लाईन्ड सीएनजी सिलेंडर्स एएनएसआय एनजीवी2-2000 टाईप 3 और एफएमबी एसएस304 विनिर्देश के अनुरूप मैसर्स लक्स्फर गैस सिलेंडर द्वारा विनिर्मित और अनुमोदित आरेखण के अनुसार मे. ऑथोराईज्ड टेस्टिंग, इंगकॉर्परैटड /एरोहेड इंडस्ट्रियल सर्विसेस, इंगकॉर्परैटड, द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

11. जर्मन मूल

- (क) स्थायी और द्रवशील गैस सेवा के लिए बीएस: 5045/1/सी.एम./एस. और डी.ओ.टी. : 3 एए के अनुरूप सीवन रहित स्टील सिलेंडर, मैसर्स मेन्नेसमान सिलेंडर सिस्टम्स जी एम बी एच, जर्मनी द्वारा विनिर्मित-यथाअनुमोदित आरेखनों के अनुसार लॉयड्स या टी यू वी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।
- (ख) पूर्णतः वेष्टित कार्बन फायबर अलुमिनियम कंपोजिट प्रकार 3 सीएनजी आईएस ओः 11439/इसीइ-आर-110, इएनः 12245-2009 विनिर्देश के अनुरूप मैसर्स मैन्नेसमैन सिलेंडर सिस्टम्स जीएमबीएच द्वारा विनिर्मित और अनुमोदित आरेखण के अनुसार मे. लाएड्स या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित ।

12. नॉर्वे मूल

पूर्णतः वेष्टित पूर्ण कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर्स, इएनः 12245-2002 विनिर्देश के अनुरूप मैसर्स रैगेस्को ए एस. नॉर्वे द्वारा विनिर्मित और अनुमोदित आरेखण के अनुसार मे. टीयुवी द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित ।

13. स्वीडन मूल

पूर्णतः वेष्टित पूर्ण कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर्स, इएनः 12245-2002 विनिर्देश के अनुरूप मैसर्स कंपोजिट स्कैंडिनेविया एबी द्वारा विनिर्मित और अनुमोदित आरेखण के अनुसार मे. इन्स्पेक्टा स्वीडन एबी, स्टॉकहोम/ डेट नोर्स्के वेरिटास द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

ख. वाल्व 1. भारतीय मूल

भारतीय मानक : आईएस 8776, भारतीय मानक : आईएस 8737 अनुरूप विनिर्मित एलपीजी वाल्व, भारतीय मानक : आईएस 9798 के अनुरूप विनिर्मित एलपीजी रेगुलेटर्स, मेडिकल गैस सिलेंडर की बाबत वाल्व और भारतीय मानक : आईएस 7302 के अनुरूप श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडर की बाबत वाल्व, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित।

भारतीय मानक : आईएस: 3224 के अनुरूप सी.एन.जी. सहित औद्योगिक गैस सिलेंडर की बाबत विनिर्मित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण द्वारा निरीक्षण और प्रमाणित ।

2. इटैलियन मूल

सी.एन.जी. वाल्व माडल 119, 198/1, 120 वी ए एल-बी-305, वी ए एल बी-323, वी ए एल-बी-323, वी ए एल-बी-315 मैसर्स इ.एम.इ.आर., एस.आर इटली द्वारा विनिर्मित और ब्यूरो वेरिटास ओएमबी सलेरी एसपीए इटैली द्वारा निरीक्षित और प्रमाणित।

विनिर्देश इ सी ई-आर- 67-01 के अनुरूप, अनुमोदित आरेखनों के अनुसार नियत दाब 2.2 एम पी ए वाला मैसर्स एम.टी.एम, एम.आर.1, इटली द्वारा विनिर्मित मल्टी फंक्शन वाल्व मॉडल मल्टीवालवोल बी आर सी यूरोपा, इमेर, एस.आर. 1, इटली इटली द्वारा मॉडल सं. इ एम इ आर, एस.आर. 1 टिपो ई-67-01, इमेर लेन्डी रेन्जो, मैसर्स लोवाटो एस.पी.ए., इटली द्वारा विनिर्मित माडल एम.वी.-305, मैसर्स टोमेसेट्टो अचिले, इटली द्वारा विनिर्मित माडल ओ.एम.वी.एल., टोमेसेट्टो अचिले, बोरेले जी.पी.एल. ग्रेनोबल, जी.एम.एस.। रेसिड्अल प्रेशर वाल्व मॉडल वीजीइ 3आरएआर 005-पी1230, आईएस ओ-10297 और आईएस ओ- 15996 विनिर्देश के अनुरूप परगोला एस आर एल कॉन सोशियो कैवेंगा एचपी डिविजन इटैली।

टिप्पण: "अनुमोदित" से मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है।

अभिलेख।

22. विनिर्माता का पहचान चिन्ह।

नोटः वेबसाइट http://peso.gov.in पर सभी अनुमोदनों की एक अद्यतन सूची उपलब्ध है।

अनुसूची 2

[नियम 3 (2) देखें]

क. अनुमोदित अभिकल्पना और विनिर्देश या संकेत के अनुसार विनिर्मित सिलेंडरों के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी से प्राप्त किए जानेवाले जांच और निरीक्षण प्रमाणपत्रों में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा, अर्थात् : -

1.	निरीक्षण का स्थान और तारीख
2.	गैस के लिए गैस सिलेंडर
3.	द्वारा विनिर्मित
4.	में अवस्थित
5.	के लिए विनिर्मित
6.	के लिए अवस्थान
7.	मात्रा
8.	क्रम संख्या से तक, जिसमें वे दोनों भी हैं
9.	विनिर्देश, जिनके अनुसार सिलेंडर विनिर्मित किए गए है।
10.	आकारमं.मं. मा.मी. बाहरी व्यासमा.मी.मीलंबी।
11.	न्यूनतम दीवाल की मोटाई
12.	विनिर्देश के अनुसार गर्दन और चूड़ी ।
13.	विनिर्माता की प्रक्रिया (स्पन प्रकार का या बिलेट भेदित या वेल्डित)
14.	उष्मोपचार की पध्दति।
15.	यथास्थिति 15º सेल्सियस या 65º सेल्सियस पर कि.ग्रा./सें.मी² में अभिकल्पना कार्यकरण दाब।
16.	द्रवस्थैतिम जांच/द्रवस्थैतिक प्रतिबल जांच दाब कि.ग्रा./सें.मी² में।
17.	प्रत्येक सिलेंडर के संबंध में द्रवस्थैतिम जांच/द्रवस्थैतिक प्रतिबल जांच का अभिलेख, जांच की तारीख सहित।
18.	वातीय जांच दाब कि.ग्रा./सें.मी² में।
19.	वातीय जांच का परिणाम।
20.	प्रत्येक सिलेंडर का अधिभार और जल क्षमता।
21.	सिलेंडर के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए इस्पात के रासायनिक विश्लेषण और भौतिक गुण-धर्म का

- 23. निरीक्षण का चिन्ह।
- 24. सिलेंडर के स्कंध पर लगाए गए चिन्ह।
- 25. निरीक्षण प्राधिकारी की मोहर और तारीख सहित हस्ताक्षर।

ख. अनुमोदित अभिकल्पना और विनिर्देश या संकेत के अनुसार विनिर्मित वाल्वों के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी से प्राप्त किए जाने वाले जांच और निरीक्षण प्रमाणपत्रों में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा, अर्थातु:-

- द्वारा विनिर्मित
 में अवस्थित
- 3. के लिए विनिर्मित
- 4. में अवस्थित
- 5. मात्रा
- 6. विनिर्देश
- 7. निरीक्षण के परिणाम—
 - (क) वाल्व प्रवेश संबंधन
 - (ख) वाल्व निर्गम संबंधन
 - (ग) वाल्व निर्गम संख्यांक
 - (घ) द्रवचालित दाब जांच
 - (ड) वातीय सबूत जांच
 - (च) तनन सामर्थ्य
 - (छ) दैध्यं वृध्दि प्रतिशत
 - (ज) संहत सामर्थ्य
 - (झ) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत मात्रा
 - (व) स्वीकार की गई मात्रा
 - (र) अस्वीकार की गई मात्रा और अस्वीकृति के कारण।
- 8. निरीक्षण प्राधिकारी की मोहर और तारीख सहित हस्ताक्षर।

अनुसूची 3

[नियम 3(3) देखें]

सिलेंडरों, वाल्वों और अन्य फिटिंगों को विनिर्मित करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विशिष्टियां।

- 1. आवेदक का नाम और टेलीफोन नंबर (नंबरों) तथा ई-मेल सहित पूरा पता।
- 2. क्या आवेदक ने किसी दाब पात्र/सिलेंडर/आधान/वाल्व का विनिर्माण किया है, यदि हां तो--
 - i) तारीख जिससे ऐसे आधान/वाल्वों का विनिर्माण किया गया।
 - ii) किसके लिए ऐसे आधान/वाल्व बनाए गए और उनकी लगभग संख्या।
 - iii) विनिर्मित दाब आधानों/वाल्वों का विवरण।
- 3. सिलेंडरों/आधानों/वाल्वों का विनिर्माण के लिए अंगीकृत किए जानेवाले विनिर्देश/संकेत।
- 4. सिलेंडरों/आधानों/वाल्वों के विनिर्माण में लगे कार्मिकों की अर्हताओं और अनुभव के प्रति विशेष निर्देश से आवेदक का संगठनात्मक ढांचा।

- 5. आवेदक द्वारा नियुक्त निरीक्षण कर्मिक का संगठन ढांचा।
- 6. कच्चे माल से प्रारंभ कर और सिलेंडरों/आधानों/वाल्वों पर समाप्त करते हुए, सिलेंडरों/आधानों/वाल्वों के विनिर्माण की प्रक्रिया।
- 7. सिलेंडरों/आधानों/वाल्वों को विनिर्माण के प्रत्येक प्रक्रम पर की गई क्वालिटी नियंत्रण जांच/परीक्षण।
- 8. i) रासायनिक विश्लेषण और यात्रिक जांच के लिए संस्थापित उपस्करों का ब्यौरा।
 - ii) जांच/परीक्षण के लिए दी गई टेम-प्लेट/गेजों का ब्यौरा।
 - iii) परीक्षण और जांच उपस्कर की जांच करने के लिए उठाए गए कदम और ऐसी जांच की आवृत्ति।
- 9. अविध्वंसकारी परीक्षा करने के लिए उपलब्ध उपस्कर, जैसे कि रेडियोग्राफी परीक्षा के लिए गामा-रे/एक्स रे उपस्कर, प्रेक्षक आदि, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर, डाई-पेनेट्रेशन और चुम्बकीय पार्टिकल जांचों, आदि के लिए उपस्कर।
- 10. सिलेंडरों/आधानों/वाल्वों के विनिर्माण के लिए दिए गए यंत्रों की सूची।
- 11. स्वतंत्र निरीक्षण प्रांधिकारी का नाम और पता।
- 12. जांचो के अभिलेख और प्रमाणपत्र
 - i) निरीक्षण और प्रमाणन संगठन द्वारा की गई विभिन्न जांचों के अभिलेख और प्रोफार्मा; और
 - ii) स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जांच और निरीक्षण प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा
- 13. क्या विनिर्माण इकाई को आई.एस.ओ. या समतुल्य प्रमाणन द्वारा प्रमाणित किया गया है। (यदि हां, तो उसका दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।)

14. सुसगत सकता, ।वानदशा आर उपलब	ब्ध तकनाका साहत्य का सूचा।
तारीख	हस्ताक्षर
स्थान	नाम और पदनाम

अनुसूची 4

[नियम 35 देखें]

क. सिलेंडर परीक्षण स्टेशनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं

पानी और कोल्ड फ्लेरिंग की सुविधायुक्त न्यूनतम 3x3 मीटर के आकार के सिलेंडर डिगैसिंग और वाल्व ओपनिंग प्लेटफार्म। 2.0 मीटर ऊंचाई की औद्योगिक प्रकार की बाड़ उपलब्ध कराई जाएगी, एलपीजी गैस को छोड़कर सीएनजी या हाइड्रोजन या अन्य कोई भी ज्वलनशील गैस के लिए 15 मीटर की दूरी पर सिलेंडर डिगैसिंग और वाल्व ओपनिंग प्लेटफार्म के सभी ओर वेंट स्टेक जिसकी ऊंचाई न्यूनतम 6.0 मीटर होगी, के माध्य से कोल्डं फ्लेरिंग की जाएगी। वाल्व ओपनिंग प्लेटफार्म और बाड़ के बीच एलपीजी के लिए सिलेंडर डिगैसिंग और वाल्व ओपनिंग प्लेटफार्म हेतु सभी ओर न्यूनतम 30.0 मीटर क्लीयरेंस का पालन किया जाएगा। सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक डिगैसिंग परिसर के अंदर न जाए, यह सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम 1.2 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार। सिलेंडरों के आसान और सुरक्षित आवाजाही के लिए सिलेंडर डिगैसिंग और वाल्व ओपनिंग प्लेटफार्म तक पहुंचने वाला 1.2 मीटर का सीमेंट का मार्ग उपलब्ध किया जाएगा। एक समय में अधिकतम पांच सिलेंडरों को गैसमुक्त किया जाएगा।

1. प्रबंधन

1.1 सधारण अपेक्षाएं-

कार्मिक उपस्कर, निरीक्षण प्रक्रिया अभिलेखन और संगठन पर्याप्त होंगे और परीक्षण स्टेशन को निरापद प्रचालन स्थितियों में प्रचालित किया जाएगा। प्रक्रिया और परीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो सिलेंडर इन नियमों की अपेक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं, वे साधारण सेवा के काम में वापस न लाए जाएं। समस्त कार्मिक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझेंगे और किसी भी कारणवश न्यूनतम निरीक्षण अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

टिप्पण:-

जिम्मेदारी का क्षेत्र नीचे दर्शित तीन भागों में बांटा जाएगा। तथापि, नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या काम की मात्रा पर आधारित होगी।

- 1.2 प्रबंधक परीक्षण स्टेशन के काम के लिए उत्तरदायी प्रबंधक उचित रूप से अर्हता प्राप्त प्रशिक्षित होगा; उसकी अर्हताओं के अंतर्गत गैस सिलेंडरों से संबध्द खतरों की बाबत प्रशिक्षण, निरीक्षण का प्रयोजन, परीक्षण के ढंग, उपस्कर, परीक्षण अपेक्षाएं और परीक्षण परिणामों का अभिलेखन होगा और उसमें यांत्रिक या रासायनिक इंजीनियरी में उपयुक्त तकनीकी अर्हता होगी। वह उन सिलेंडरों को, जिनके लिए परीक्षण स्टेशन अनुमोदित किया गया है, लागू होने वाले इन नियमों, संकेंतो, विनिर्देशों और या विनियमों का भी ज्ञान होगा।
- 1.3 पर्यवेक्षक: पर्यवेक्षक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थातु:
 - i) गैस सिलेंडरों के परीक्षण में कम से कम दो वर्ष का अनुभव
 - ii) आयु कम से कम 21 वर्ष
 - iii) सिलेंडरों को, जिनके लिए परीक्षण स्टेशन अनुमोदित किया गया है, लागू इन नियमों संकेतों, विनिर्देशोंं और/या विनियमों का ज्ञान।
- **1.4 प्रचालक.-** निरीक्षण और परीक्षण कार्य करने वाले कर्मिकों के पास उस कार्य से संबंधित वे अर्हताएं और अनुभव होगा, जिसके लिए वे नियुक्त किए गए है। उन्हें गैस सिलेंडर से संबध्द खतरों और निरीक्षण के प्रयोजन और ढंग को समझाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2. उपस्कर:

2.1 उपस्कर का प्रकार:,

परीक्षण स्टेशन पर सिलेंडरों की सफाई, निरीक्षण, परीक्षण और रंगाई के लिए इन नियमों के अधीन यथापेक्षित पर्याप्त उपस्कर रहेंगे। इनमें निम्नलिखित होंगे-

- i) उन सिलेंडरों को, जिनके परीक्षण के लिए परीक्षण स्टेशन प्राधिकृत हैं, लागू होने वाले इन नियमों, संकेंतों, विनिर्देशों और/या विनियमों का एक सेट। ये सभी नियम, संकेत, विनिर्देश और/या विनियमों सभी वर्तमान संशोधनों से अद्यतन रखे जाएंगे।
- ii) संपीडित गैस सिलेंडरों के द्रवस्थैतिक प्रतिबल परीक्षण भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार द्रवस्थैतिक परीक्षण साधित्र पद्धित के अन्तर्गत दाब उपस्कर, दाब गेज और आयतनी मापक उपस्कर है। साधित्र में कम से कम दो 15 से.मी. (न्यूनतम) व्यास वाले कार्यकरण दाब गेज लगे होंगे जिनमें से एक परीक्षण गेज के रूप में और दुसरा मास्टर गेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

टिप्पणः क्रायोजेनिक कंटेनरो का वायवीय परीक्षण डिजाइन दाब के 1.1 गुना या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत कोड के अनुसार किया जाएगा।

- iii) <u>रख-रखाव</u> के दौरान उत्पन्न स्ट्रेस करोजन क्रैक्स या फटीग क्रैक्स का पता लगाने के लिए गैर विनाशकारी परीक्षण सुविधाएं, जैसे, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, मापन सहित, ध्वनिक उत्सर्जन तकनीक, आदि।
- iv) उपयुक्त दाब रेंज वाला न्यूनतम 15 से.मी व्यास का अंश शोधन दाब गेज या उपयुक्त दाब रेंज वाला कुल-भार दाब गैज परीक्षण यंत्र;
- v) सिलेंडरों के आंतरिक हिस्से की भली प्रकार देखने के लिए अति निम्न वाल्टेज के लैम्प या बोरोस्कोप और बाहरी सतहों की सुक्ष्म परीक्षा के लिए आवश्यक अन्य लैम्प;
- vi) सीधीकोरें, टेम्पलेटें, प्रकीर्ण और माप गेज;
- vii) तौल उपस्कर, जहां लागू है;

- viii) सुसंगत कानूनी प्राधिकारी द्वारा मोहन लगाई हुई तौल मशीन के लिए मानक परीक्षण बाटों का एक सेट;
- ix) सिलेंडरों की धरा-उठाई के लिए पर्याप्त उपस्कर;
- x) पर्याप्त सिलेंडर अपवाहन उपस्कर;
- xi) सिलेंडरों के आन्तरिक भाग को शुष्क करने के लिए सुविधाएं;
- xii) चिन्हांकन और मोहर लगाने के उपस्कर।
- xiii) सिलेंडर पहचान विवरण की तस्वीर लेने के लिए सुविधाएं।
- xiv) कठोरता परीक्षण उपकरण।
- xv) उपयुक्त क्षमता के निकास पंखा लगे पेन्टींग बूथ।
- 2.2 शुध्दता:- उपस्कर की शुध्दता निम्नानुसार होगी:-
 - भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार द्रवस्थैतिक परीक्षण साधित्र आयतनी उपस्कर ऐसा हागा जिसमें परीक्षण के अधीन सिलेंडर के आयतन में उसकी कुल धारिता के 1/20,000 अंश तक के स्थायी परिवर्तन को माप जा सकता है।
 - ii) तौल उपस्कर त्रुटि जो (±)0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
 - iii) कार्यकरण दाब गेज त्रुटि, जो परिक्षण दाब के 1 प्रतिशत अधिक नहीं है।
 - iv) अंश शोधन दाब गेज त्रुटि, जो पूर्ण स्तर विक्षेप के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- 2.3 अंशशोधन :- उपस्करों के अंश शोधन के अन्तरालों की अवधि निन्नलिखित से अधिक नहीं होगी, अर्थात्:
 - i) कार्यकरण दाब गेज एक मास
 - ii) अंशशोधन दाब गेज छः मास
 - iii) तौल उपस्कर जांच परीक्षण भार द्वारा सेवा के दौरान प्रतिदिन की जाए।
 - iv) परीक्षण भार दो वर्ष
- 3. कार्य की शर्तें : परीक्षण स्टेशनों के लिए कार्य की शर्तें गैस सिलेंडरों के शुध्द और निरापद और परीक्षण के लिए उपयोगी होंगी। परीक्षण स्टेशन निन्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:-
 - इसमें गैस सिलेंडरों की तत्काल परीक्षा के लिए अच्छी प्रकाश व्यवस्था होगी। अच्छा यह होगा कि वहां प्राकृतिक प्रकाश हो।
 - ii) उसमें सिलेंडरों की अवशिष्ट गैसों के निकलने के लिए पर्याप्त संवातन होगा।
 - iii) निरापद कार्यकरण के लिए उसमें पर्याप्त जगह होगी।
 - iv) वह साफ शुष्क स्थिति में रखा जाएगा।
- 4. क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली- वेल्डेड सीवन रहित और मिश्रित सिलेंडर के लिए सिलेंडर परीक्षण स्टेशन की क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली को भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अभिकरण से भारतीय मानक संगठन मानकों के अधीन सम्यक रूप से प्रमाणित कराया जाएगा।

ख--सिलेंडरों का परीक्षण

1. परीक्षण के लिए सिलेंडरों की स्थिति: परीक्षण स्टेशन को परीक्षण के लिए भेजे जानेवाले सिलेंडरों की अंतर्वस्तु पहले निकाल दी जाएगी और तब उन पर "खाली" होने का लेबल लगा दिया जाएगा। इस लेबल के होते हुए भी विनिर्माता के संकर्मों में मौजूद सिलेंडरों को छोडकर अन्य समस्त सिलेंडरों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसमें दाब के अधीन गैस है और तदनुसार निम्नलिखित पूर्वावधानियां बरती जाएंगी:-

- i) सिलेंडर में गैस की प्रकृति से संबध्द खतरों को ध्यान मे रखते हुए सिलेंडर की अंतर्वस्तु निरापद रूप में निकाली जाएगी। ऐसे सिलेंडरों को, जिनमें विषैली या हानिकारक पदार्थ भरा है या जो संदूषित हो चुके हैं, ऐसे परीक्षण स्टेशनों द्वारा ही खाली किया जाएगा जो उस विशिष्ट गैस की धरा-उठाई करने के लिए ठीक से सज्जित और अनुभव प्राप्त है। ऐसे सिलेंडरों पर स्पष्टत: यह लेबल लगाया जाएगा कि वे संदूषित हो चूके हैं।
- ii) वाल्व खोला जाएगा और यदि कोई गैस नहीं निकलती है और प्रवेश व्दार अवरूध्द नहीं दिखता है तो वाल्व निर्गम व्दार में निम्न दाब नाइट्रोजन या अन्य निष्क्रिय गैस ब्लो की जाएगी। नाईट्रोजन प्रदाय को हटाने के पश्चात् गैस का निकलना दर्शाता है कि सिलेंडर खाली है। जब कोई गैस नहीं निकलती है तब वाल्व "अवरूध्द" समझे जाएंगे। यदि सिलेंडर में विषैली या हानिकर पदार्थ भरा है और यह शंका हो कि वाल्व अवरूध्द है तो अनुमोदित साधित्र में गैस निकाली जाएगी और वाल्व को इस ढंग से हटाया जाएगा कि गैस प्रचालक को कोई खतरा पहुंचाए बिना बाहर निकल जाए।
- iii) यदि वाल्व अवरूध्द है तो उपर्युक्त (i) में जैसे बताया गया है उस के अनुसार सिलेंडर की अन्तर्वस्तु को निरापद ढंग से निर्मुक्त किया जाएगा। बाह्य गैस भरे सिलेंडरों पर कोई कार्य बाहर खुले में डिगैसिंग परिसर में किया जाएगा।

टिप्पण: ऐसे वाल्व से, जिसमें तर्कु हटाया नहीं जा सकता है, व्यवहार करने का ढंग यह है कि वाल्व बाडी में से होकर तर्कु आसन के नीचे गैस मार्ग में 1/16 इंच (1.6 मी.मी) व्यास वाला छेद हाथ-ड्रिल द्वारा किया जाएगा। विकल्पत;, तेज आरी काम में लायी जा सकती है। गैस के बाहर निकलने के प्रथम संकेत पर ही, वधन और आरा-कार्य बंद कर दिया जाना चाहिए। कर्तन औजार की और लगातार पानी की धार छोड़ा जाए और प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें।

2. द्रवस्थैतिक/ द्रवस्थैतिक प्रतिबल परीक्षण कराने के पूर्व सिलेंडरों का निरीक्षण-

- (1) द्रवस्थैतिक/ द्रवस्थैतिक प्रतिबल परीक्षण कराने के पूर्व, प्रत्येक सिलेंडर को वाष्प क्लीनिंग या अनुमोदित विलायकों से धोकर साफ किया जाएगा जहाँ सिलेंडर का भीतरी भाग धूल या अन्य बाह्य पदार्थों से प्रभावित हो, वहाँ उसे निम्नलिखित किसी भी एक पध्दित से साफ किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) शॉट ब्लास्टिंग; रोटरी तार से रगड़ कर
 - (ख) किसी भट्टी मे एक घंटे से अनिधक अविध के लिए 300º सेल्सियस से अनिधिक तापमान पर की गई दाहक अभिक्रिया, जिसके पश्चात् सभी निकले जंगों और अन्य बाहरी पदार्थों को वाष्प सफाई या अनुमोदित विलायकों से धोकर हटाया जाएगा।
- (2) सफाई करने के पश्चात् सिलेंडरों को, यथास्थिति, भारतीय मानक आईएस 5845, भारतीय मानक आईएस 8451 या भारतीय मानक आईएस 13258, आसएसओः11623 जैसा मामला हो, या मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित मे अनुमोदित किसी अन्य संकेत के अनुसार सतही दोष के लिए बाहर से जहाँ तक संभव हो, भीतर से भी देखकर जॉच की जाएगी।
- (3) क्रायोजेनिक आधानों को अभिकल्पना दाब के 1.1 गुना परीक्षण दाब पर वायवीय परीक्षण किया जाएगा।

3. हाइड्रोस्थैतिक/ हाइड्रोस्थैतिक प्रतिबल परीक्षण/सबूत दाब-परीक्षण-

- (1) स्थायी गैसों, उच्च दाब द्रवशील गैसों और सभी विषैली और संरक्षक गैसों के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों के लिए-
 - i) सिलेंडर भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार हाइड्रोस्थैतिक परीक्षण के अधीन होंगे। सिलेंडर के संबंध में उपयोग किए गए परीक्षण दाब को 30 सेकेण्ड से अन्यून की अवधि के लिए बनाया रखा जाएगा।
 - ii) परीक्षण दाब से उत्पन्न स्थायी प्रतिबल नुकसान कुल प्रतिबल के 10 % से अधिक नही होगा।
 - iii) 30 सेकेंड तक रोकने के दौरान देखी गई दाब में कमी या स्त्राव, दृश्यमान उभार या विकृति को परीक्षण में असफल मामले के रूप में माना जाना चाहिए।
- (2) कम दाब असंक्षारित द्रवशील गैसों वाले सिलेंडरो के लिए
 - i) सिलेंडर, सिवाय इस बात के कि परीक्षण के दौरान परिमाण संबंधी परिवर्तनों को मापे जाने की आवश्यकता नहीं है, गेर-जैकेट पध्दित द्वारा भारतीय मानक आईएस 5844 के अनुसार द्रवस्थैतिक परीक्षण के अधीन होगा।

- ii) परीक्षण दाब 30 सेकेंड से अन्यून अवधि तक रोका जाएगा। इस रोकने की अवधि के दौरान देखी गई दाब में किसी कमी या किसी स्त्राव, दृश्यमान उभार या विकृति को परीक्षण में असफल रहने का मामला माना जाएगा।
- (3) परीक्षण पूरा होते ही, सिलेंडर को भीतर से पूरी तरह सुखाया जाएगा और गर्दन पर स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है, और परीक्षण की तारीख उपदर्शित करने वाले चिन्ह और अंकोवाली छाप लगाई जाएगी। उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है, संकेत चिन्ह को मुख्य नियंत्रक के पास रजिस्टर्ड किया जाएगा।
- (4) ऐसे सिलेंडर के बारें में, जो आवधिक जांच का परीक्षण में असफल रहता है। या जिसका भार 5 प्रतिशत से अधिक कम हो जाता है या जिसे किसी अन्य दोष के कारण उपयोग के लिए असुरक्षित पाया जाता है और नियम 11 तथा नियम 12 के अनुसार जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है,सिलेंडर के मालिक को रिपोर्ट की जाएगी और ऐसे सिलेंडर को, नियम 36 के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार असुरक्षित बनाते हुए नष्ट कर दिया जाएगा।
- **5. परीक्षण के अभिलेख:-** किसी परीक्षण स्टेशन में जॉच और परीक्षण किए गए सिलेंडरों का, निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए, पुरा अभिलेख रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) सिलेंडर के विनिर्माता और स्वामी का नाम
 - (ख) चक्रानुक्रम सं./ सिलेंडर क्रम संख्या
 - (ग) सिलेंडर किस विनिर्देश के अनुरूप है
 - (घ) मूल द्रवस्थैतिकम/द्रवस्थैतिक प्रतिबल परीक्षण की तारीख
 - (ङ) विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टे और प्रमाणपत्र
 - (च) परीक्षण दाब
 - (छ) अधिकतम कार्यकरण दाब
 - (ज) जल क्षमता
 - (झ) कुल भार
 - (ञ) सिलेंडर पर चिन्हित कुल वजन और वास्तविक कुल वजन में अंतर, यदि कोई हो
 - (ट) सिलेंडर कवच की दशा
 - (ठ) गैस का नाम
 - (ड) फिट किए गए वाल्व की किस्म, और
 - (ढ) टिप्पणियां, यदि कोई हों।
- टिप्पण (1) : उपर्युक्त विशिष्टियां प्रत्येक सिलेंडर का इतिवृत्त कार्ड/अभिलेख बनेंगी और समय-समय पर सभी परिवर्तनों को उसमें उपदर्शित किया जाएगा।
- (2): परीक्षण स्टेशन पर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, जो इन नियमों की अपेक्षाओं और मुख्य नियंत्रक द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पूरी तरह अनुरूप हों।
- 6. सिलेंडर परीक्षण स्टेशन और हॉट रिपेअर या एलपीजी और वेलडित सिलेंडरों के पुनर्नवीयन अनुमोदन की विधिमान्यता सिलेंडर परीक्षण और हॉट रिपेअर या एलपीजी और वेलडित सिलेंडरों के पुनर्नवीयन के लिए अनुमोदन, प्रारंभ में एक वर्ष की अविध के लिए प्रदान किया जाएगा। इसे बादमें किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा विधिवत जारी किए गए विधिमान्य आईएसओ मान्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान वैधता के दौरान परीक्षण किए गए सिलेंडरों के परीक्षण या हॉट रिपेअर के अभिलेख प्रस्तुत करने तथा अनुसूची 5 के अनुसार शुल्क भरने पर दस साल तक की अधिकतम अविध के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अनुसूची 5

सभी अनुज्ञप्ति फीस नियम 65 के उपनियम (2) के अनुसार विहित होगी [नियम 3, 12, 28, 35, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62 और 65 देखें]

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति का प्रारूप	किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई है	प्राधिकरण का अधिकार	फीस	रूपए
1	घ	संपीडित गैस से भरे या भरने के लिए आशयित सिलेंडरों के आयात के लिए वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर	मुख्य नियंत्रक	प्रथम 100 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए 100 सिलेंडरों से अधिक किंतु 500 से अनधिक सिलेंडरों के लिए 500 सिलेंडरों से अधिक रू.4000/- प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए वाल्व और एलपीजी रेगेलेटर्स के आयात के लिए संवीक्षा फीस प्रति आवेदन	2000 4000 1000
2	ङ	सिलेंडरों में संपीडित गैस भरने के लिए	मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक	संयंत्र में भरी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए अर्थात्, यथास्थिति, (क) विषैली, (ख) अविषैली और अज्वलनशील; (ग) अविषैली और ज्वलनशील; (घ) विलीन एसिटिलीन गैस; (ड) एल.पी.जी. से भिन्न अविषैली और ज्वलनशील द्रवशील गैस; (च) द्रवित पेट्रोलियम गैस।	5000
3.	च	(क) भरण परिसर से संलग्न भण्डारण शेड में सिलेंडरों में संपीडित गैस के भण्डारकरण के लिए (ख) भरण परिसर से संलग्न भण्डारण शेड में सिलेंडरों में संपीडित गैस के	मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक नियंत्रक	(i) विषैली ज्वलनशील गैसो के लिए (स्थायी और द्रवित): 100 सिलेंडरों से अनधिक 100 सिलेंडरों से अधिक किंतु 500 से अनधिक 500 सिलेंडरों से अधिक, रू.4000/- प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	2000 4000
		भण्डारण के लिए		(ii) अविषैली और अज्वलनशील गैसों के लिए (स्थायी और द्रवित): 500 सिलेंडरों से अनधिक	2000
				500 सिलेंडरों से अधिक रू.4000/- प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	1000 2000
				(iii) द्रवित पेट्रोलियम गैसों के लिए:	4000

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति का प्रारूप	किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई है	प्राधिकरण का अधिकार	फीस	रूपए
				100 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 500 कि.ग्रा. से अनिधक 500 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 2000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 2000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 5000 कि.ग्रा. से अनिधक 5000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 10,000 कि.ग्रा. से अनिधक 10,000 कि.ग्रा. से अधिक प्रत्येक रू.2000/- अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके किसी भाग के लिए (iv) विलीन स्थिति में सिलेंडरों में भरी एसिटिलीन गैस के लिए: 200 सिलेडरों से अनिधक 200 सिलेडरों से अधिक रु. 2000/- प्रत्येक अतिरिक्त 200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	2000
4	छ	किसी मूल स्टेशन, उपस्टेशन या किसी सी.एन.जी. आन लाइन स्टेशन से आटोमोटिव ईंधन से रूप में सी.एन.जी. के वितरण के लिए	मुख्य नियंत्रक	किसी मूल स्टेशन, उपस्टेशन या किसी सी.एन.जी. आन लाइन स्टेशन से आटोमोटिव ईंधन के रूप में सी.एन.जी. के वितरण के लिए	10000

आ.-- अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न फीस

क्रम सं.	प्रयोजन	फीस	रुपए
1	नियम 3 के उपनियम (1) के	प्रथम 100 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए संवीक्षा	1000
	खंड ख के अधीन भरण अनुज्ञा	फीस,	
	जारी करना	100 सिलेंडरों से अधिक रु. 2000/-	
		प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	
		टिप्पणः सिलेंडरों की संख्या पर ध्यान दिए बिना,	
		भरे हुए और निर्यात के उद्देश्य से बने सिलेंडरों के लिए केवल लागू फी	1000

क्रम सं.	प्रयोजन	फीस	रुपए
2	नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सिलेंडरों, वाल्वों या एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण के लिए अभिकल्पना का अनुमोदन	(क) विनिर्माण एकक अनुमोदन जारी करने के लिए पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्यता फीस के साथ संवीक्षा फीस (ख) नई अभिकल्पना के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए (ग) अभिकल्पना में बदलाव होने पर पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए	10000 2000 1000 2000
		(घ)सिलेंडर, वाल्व के नवीकरण और एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण के एककों के लिए वार्षिक फीस	
	उप नियम 3 (4) के अंतर्गत विदेशी निर्माता द्वारा सिलेंडर या वाल्व या एलपीजी नियामकों के विनिर्माण के लिए डिजाइन का अनुमोदन	(क) विनिर्माण एकक अनुमोदन जारी करने के लिए पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्यता फीस के साथ संवीक्षा फीस (ख) नए डिजाईन के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए (ग) डिजाइन में किसी बदलाव के लिए पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए (घ) सिलेंडर, वाल्व के नवीकरण और रेगुलेटरों के विनिर्माण एकको की वार्षिक फीस	6,50,000 65000 13000 32,500
3	नियम 28 के उपनियम (2) के अधीन सिलेंडरों का संपरिवर्तन	पहले 10 सिलेंडरो या उसके भाग के लिए संवीक्षा फीस 10 से अधिक सिलेंडर 1000/-प्रत्येक 100 सिलेंडरों के लिए	400 1000
4.	नियम 35 के अधीन सिलेंडर परीक्षण केंद्र का अनुमोदन तथा नियम12 के अधीन वेलडित या ब्रेज्ड सिलेण्डरो का हॉट रेपेयर	पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्य फी के साथ संवीक्षा फीस सिलेंडर परीक्षण या हॉट रिपेअर अनुमोदन के लिए वार्षिक नवीकरण फी	10000 2000
5.	नियम 47 या नियम 53 के अधीन विनिर्दिशों या रेखांकनों का पूर्व अनुमोदन	संवीक्षा फीस	1000
6.	नियम 54 के अधीन अनुज्ञप्ति का संशोधन	संवीक्षा फीस	1000
7	नियम 61 के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना	संवीक्षा फीस	1000
8	नियम 62 के अधीन अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति जारी करना	संवीक्षा फीस	1000
9.	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के लिए – i) ऐसी अपील को केंद्रीय सरकार या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से प्राथमिकता दी जाती है, तो	संवीक्षा फीस	1000

प्ररूप क

[नियम 30 (2) देखें]

संपीडित गैस/गैसों के भरे सिलेंडरों का वहन करने वाले पोत के मास्टर या पोत अभिकर्ता द्वारा पत्तन में प्रवेश करने के पूर्व की जाने वाली घोषणा

_										
पात	का	न	ाम	 	 		_	_	_	

भरे सिलेंडरों का विवरण	रासायनिक नाम और प्रकृति अर्थात् क्या वह ज्वलनशील,	-	जाने वाली कुल त्रा गैस कि.ग्रा. में या घन मीटरों में	पत्तन पर उतारी ज सिलेंडरों की संख्या	गैस कि.ग्रा. में या घन³ मीटरों में	टिप्पणियां
	संक्षारित या विषैली है?					

तारीख20	पोत के मास्टर/अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	(शासकीय स्टैंप सहित)

प्ररूप ख (नियम 49 और 54 देखें)

सिलेंडरों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति देने/उसमें संशोधन/नवीकरण/गैस सिलेंडर वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर्स को आयात करने के लिए अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन

1.	(i) वह	नाम	जिसमें	अनुज्ञप्ति	अपेक्षित	है
	1.7 .6					٧.

- (ii) पिन कोड के साथ आवेदक का पूरा डाक पता
- (iii) आवेदक का फोन/मोबाइल नंबर
- (iv) आवेदक का ई-मेल
- 2. धारण की गई भंडारण अनुज्ञप्ति का विवरण (वाल्व और एलपीजी नियामकों के लिए लागू नहीं):
 - (i) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/ नियंत्रक द्वारा जारी की गई भंडारण अनुज्ञप्ति या अनुमोदन संख्या
 - (ii) विधिमान्यता की तारीखः

	_	\sim			
(iii)	उपराक्त	अनुज्ञप्ति के	अनुसार	भडारण	क्षमता:

- (iv) सिलेंडरों के भंडारण के लिए पता:
- 3. आयात किए जाने वाले सिलेंडरों/वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों का विवरण:
 - (i) सिलेंडरों/वाल्व/एलपीजी रेगुलेटरों की संख्या
 - (ii) सिलेंडरों/वाल्व/एलपीजी रेग्लेटरों के विनिर्देश
 - (iii) विनिर्माता का नाम
 - (iv) निरीक्षक व परीक्षक का विवरणः
 - (v) सिलेंडरों में लगे वाल्वों के विनिर्देश
 - (vi) गैस का नाम (केवल सिलेंडरों के मामले में)(गैस का सही रासायनिक नाम)
 - (vii) यदि स्थायी गैस या विलीन एसिटिलीन गैस भरी है तो 15º सेल्सियस पर भरण दाब *
 - (viii) यदि द्रवशील गैस से भरी है तो भरण अनुपात (केवल सिलेंडरों के मामले में)*
 - (ix) अंतिम द्रवचालित प्रतिबल परीक्षण की तारीख
 - (x) सिलेंडरों की घूर्णन संख्या/वाल्वों /एलपीजी रेगुलेटरों की क्रम संख्या
- 4. बंदरगाह/हवाईअड्डे का नाम जहां सिलेंडरों/ वाल्व/ एलपीजी रेगुलेटरों को आयातित किया जाना प्रस्तावित हैं:
- 5. टिप्पणियां

आवेदन की तारीख **आवेदक के हस्ताक्षर**

टिप्पण :-

1.यदि खाली सिलेंडर आयात किया जाना वांछित है, तो * से चिहिनत विशिष्टियाँ देना अपेक्षित नहीं है।

- 2.सिलेंडरों और वाल्वों के प्रत्येक लाट से संबंध में विनिर्माता का सभी प्रकार से पूर्ण परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।
- 3.यदि सम्यक गैस से भरे सिलेंडरों का आयात किया जाना है तो उप-मद सं. (vi), (vii) और (viii) के संबंध में भरण प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

प्ररूप ग (नियम 49, 54 और 55 देखें)

सिलेंडरों में संपीडित गैस भरने और/अथवा उस के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति के देने/संशोधन/नवीकरण/अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन

R	ति के लिए आवेदन							
S .								
1) आवेदक का ब्यौरा								
(i) वह नाम जिसमें अनुज्ञप्ति अपेक्षित है **								
(ii) पिन कोड के साथ आवेदक का पूरा डाक पता								
(iii) आवेदक का फोन/मोबाइल नंबर								
(iv) आवेदक का ई-मेल								
2. जिस परिसर में संपीडित गैर का भण्डारण/भरण व	जरना है उसकी अवस्थिति							
(i) सर्वेक्षण नंबर/प्लाट नंबर								
(ii) नगरया ग्राम								
(iii) जिला								
(iv) राज्य								
(v) पिन कोड								
(vi) टेलीफोन नंबर								
3. भण्डारण/भरण के लिए प्रस्तावित प्रत्येक	संपीडित गैस का नाम तथा उसकी प्रकृति :-							

गैस का प्रकार	गैस का नाम	भरण बिंदु की संख्या	भंडारण के लिए प्रस्तावित भरे सिलेंडरों की संख्या / किग्रा गैस
(i) विषैली			
(ii) अविषैली और अज्वलनशील			
(iii) अविषैली और ज्वलनशील			
(iv) विलीन एसिटिलीन गैस			
(v) एल.पी.जी. से भिन्न अविषैली और ज्वलनशील द्रवशील गैस; या			
(vi) द्रवित पेट्रोलियम गैस			

4. भण्डारण/भरण के लिए प्रस्तावित प्रत्येक संपीडित गैस का नाम तथा उसकी प्रकृति (संशोधन के मामले में लागू):

गैस का प्रकार	गैस का नाम	भरण बिंदु की संख्या	भंडारण के लिए प्रस्तावित भरे सिलेंडरों की संख्या / किग्रा गैस
(i) विषैली			
(ii) अविषैली और अज्वलनशील			
(iii) अविषैली और ज्वलनशील			
(iv) विलीन एसिटिलीन गैस			
(v) एल.पी.जी. से भिन्न अविषैली और ज्वलनशील द्रवशील गैस; या			
(vi) द्रवित पेट्रोलियम गैस			

- 5. परिसरों के लिए धारित अनुज्ञप्तियों की संख्या (नए मामले में लागू नहीं)
- 6. जिला प्राधिकरी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण, जहां लागू
- 7. सीएनजी डिस्पेंसर्स/ कासकेड्स और कंप्रेसर का ब्योरा (फार्म छ अनुज्ञप्ति के मामले में)

टिप्पण :- प्ररूप "छ" में अनुज्ञप्ति को प्रदान करने/ संशोधन के लिए आवेदन की दशा में संपीडित कंप्रेसर, सीएनजी सिलेंडर कासकेड्स, सीएनजी डिस्पेंसरों, आदि की विशिष्टियां भी दी जाएंगी।

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथनों की मैंने जॉच कर ली है और वे सही हैं और मैं उस अनुज्ञप्ति के, जो मुझे दी जाएंगी, समस्त मानदंडों और शर्तों की पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हूं।

						·
अ	0	उ	का	त	र	ख

आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम

**जहां आवेदन कम्पनी की ओर से किया जाता है वहां कम्पनी का नाम और पता तथा निदेशक/ भागीदार/प्रबंधक का नाम दिया जाना चाहिए और आवेदन पर उसी के हस्ताक्षर होने चाहिए। निदेशक/ भागीदार/प्रबंधक के नाम में प्रत्येक परिवर्तन को, अनुज्ञापन प्राधिकारी को शीघ्र संसूचित किया जाएगा और उसके नमूना हस्ताक्षर अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास फाइल किए जाएंगे।

प्ररूप "ड", प्ररूप "च" और प्रारूप "छ" में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

- (i) नियम 47 के अधीन अनुमोदित विनिर्देशों और रेखांक की चार प्रतियां (संशोधन के बिना अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अपेक्षा नहीं)।
- (ii) अनुज्ञप्ति तथा उससे संलग्न अनुमोदित रेखांक और विनिर्देश । **(अनुज्ञप्ति के प्रथम बार दिए जाने के लिए अपेक्षा** नहीं) ।

- (iii) अनुज्ञप्ति के देने, उसके संशोधन या नवीकरण के लिए अपेक्षित फीस की रकम, जो नियम 65 में विनिर्दिष्ट रीति की गई है।
- (iv) अनुज्ञप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर के विधिक वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, पट्टा करार की प्रतियां, भागीदारी विलेख/ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद, अनुमोदन/समाशोधन/परिमट, जो स्थानीय प्रशासन, आदि द्वारा लागू हो।
- (v) यह कथन करने वाला एक वचनबंध कि राजस्व, अग्नि-शमन, स्थानीय प्रशासन, आदि से सभी आवश्यक समाशोधन प्राप्त कर लिए गए है और इन नियमों के अधीन सभी सुसंगत अपेक्षाओं का अनुपालन करने हुए अनुमोदित रेखांक के अनुसार परिसर का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
- (vi)बिक्री और व्यापार हेतु विषाक्त गैसों या संक्षारक गैसों या ज्वलनशील गैसो के भंडारण के लिए प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की दशा में नियम 48 के अधीन जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्ररूप और प्ररूप 'छ 'के लिए बने।
- (vii) विषैली गैसों या संक्षारक या ज्वलनशील के मामले में हैजोप अध्ययन/आपदा प्रबंधन योजना
- (viii) विषैली गैस हथलाई के बारे में एसओपी।
- (ix) सिलेंडर विनिर्माण अनुमित के नवीकरण, वाल्व विनिर्माण अनुमित, एलपीजी नियामक विनिर्माण अनुमित, सिलेंडर के परीक्षण की अनुमित और हॉट वर्क अनुमित के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज-
- (क) अनुसूची 5 में निर्धारित नवीकरण फीस।
- (ख) कंपनी के निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित एक वचनबंध कि संगठनात्मक ढांचे, संयंत्र मशीनरी और मानवशक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हैं।
- (ग) अनुमति के अंतिम विधिमान्यता की अवधि के लिए कार्यक्षमता रिपोर्ट।
- (घ) भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा सम्यक जारी विधिमान्य आईएसओ प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ।
- (ङ) अनुमोदन के अनुदान / नवीकरण के समय अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए गए अन्य शर्त, यदि कोई हो, का अनुपालन ।

प्ररूप घ (नियम 50, 51 और 54 देखें)

समुद्री-मार्ग द्वारा गैस सिलैण्डरों, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति

संख्या		फीसरू.
मैसर्स	को निम्नलिखित वर्णन के सिलेंडरों , वाल्व	और एलपीजी रेगुलेटरों का किसी एक समय
में प	ात्तन पर केवल को परेषण के	ि लिए आयात करने के लिए, विस्फोटक
अधिनियम, 1884 और उसके हुए, विधिमान्य अनुज्ञप्ति दी जात	अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और इस अ ती है	नुज्ञप्ति के पीछे दी गई शर्तों के अधीन रहते
यह अनुज्ञप्ति20) तक प्रवृत्त रहेगी।	
तारीख		मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

सिलेंडरों, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों का वर्णन

तारीख	20 मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/विस्फोटक नियंत्रक
	यह अनुज्ञप्ति 30 सितंबर, 20 तक प्रवृत्त रहेगी।
	नेलेंडरों में संपीडित गैर भरने के लिए ही विधिमान्य अनुज्ञप्ति दी जाती है।
1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तो के अधीन रहते हुए
G	श्री को, नीचे वर्णित और रेखांक सं में दर्शाए गए अनुज्ञप्त परिसर में, विस्फोटक अधिनियम,
अनुज्ञप्ति	· सं फीस रुपए
	'सिलेंडरों में संपीडित गैर भरने के लिए अनुज्ञप्ति'
	(नियम 50, नियम 51 और नियम 54 देखें)
	प्ररूप ङ
	3. अनुज्ञप्तिधारी भरे सिलेंडर को, आयात के पत्तन से किन्हीं प्राधिकृत परिसरों के लिए शीघ्र हटाने के लिए पूर्व व्यवस्था करेगा।
	2. भरे सिलेंडर खाली होने के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना पुन: अभिप्राप्त नहीं भरे जाएंगे।
	1. यह अनुज्ञप्ति इसमें दी गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् शून्य हो जाएगी।
	अनुज्ञप्ति की शर्ते
_	से किसी का उल्लंघन होने पर, अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक विस्फोटक अधिनियम, 1884 । 9ख में यथा उपबंधित किए गए अनुसार दण्डनीय भी होगा।
	यदि सिलेंडर अनुज्ञप्ति में दिए गए वर्णन के अनुरूप नहीं है या जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति दी गई
10.	सिलेंडरों की घूर्णन संख्या।
9.	अंतिम द्रवचालित प्रतिबल परीक्षण की तारीख
8.	यदि द्रवशील गैस से भरी है तो भरण अनुपात
7.	यदि स्थायी गैस या विलीन एसिटिलीन से भरी है तो 15º सेल्सियस पर भरण अनुपात
	(गैस का सही रासायनिक नाम)
6.	भरी गैस का विवरण
5.	सिलेंडरों में लगे वाल्वों के विनिर्देश
4.	परीक्षण अभिकरण का नाम व पता
3.	विनिर्माता का नामः
2.	सिलेंडरों के विनिर्देश (कोड डब्लू.सी., डब्लू.पी. और टी.पी.)
1.	सिलेंडरों, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों की संख्या

अनुज्ञप्त परिसर का वर्णन और अवस्थान

	निम्नलिखित विवरण के अनुसार सिलेंडरों में गैस भरने के लिए अनुज्ञप्त परिसर, जिसकी अभिन्यास सीमाओं और
अन्य वि	शिष्टियों को संलग्न अनुमोदित रेखांक सं में दिखाया गया है में अवस्थित है और जिसमें
	है :-
गैस का प्र	कार
	(क) विषैली
	(ख) अविषैली और ज्वलनशील
	(ग) अविषैली और ज्वलनशील
	(घ) विलीन एसिटिलीन गैस
	(ड) एल.पी.जी. से भिन्न अविषैली और ज्वलनशील द्रवशील गैस
	(च) द्रवित पेट्रोलियम गैस
	और ये(प्लाट संख्या)(गली का नाम) (गांव या
	नगर)(पुलिस थाना)(जिला) में स्थित है।

नवीक	रण के पृष्ठांकन के वि	लेए स्थान	
विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए गैस सिलेंडरों के नियम, 2016 के उपबंधों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में कोई छूट दिए बिना दस वर्ष तक नवीकरणीय होगी।		अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा

यदि सिलेंडर अनुज्ञप्ति में दिए गए वर्णन के अनुरूप नहीं है या जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति दी गई है उसमें से किसी का उल्लंघन होने पर, अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9ख में यथा उपबंधित किए गए अनुसार दण्डनीय भी होगा।

शर्ते

- (क) 1. अनुज्ञप्ति परिसरों का उपयोग, सिलेंडरों मे संपीडित गैस भरने और उसे वहां अस्थायी रूप से रखने और इससे संबध्द प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।
 - 2. किसी भी सिलेंडर में संपीडित गैस तब तक नहीं भरी जाएगी जब तक कि
 - (i) भरण के लिए ऐसे सिलेंडर को मुख्य नियंत्रक ने लिखित में अनुमोदित नहीं कर दिया है; और
 - (ii) सिलेंडर की परीक्षा और परीक्षण सुसंगत नियमों के अधीन अपेक्षित रूप से नहीं कर लिया गया है।

- 3. भरण के पूर्व, प्रत्येक सिलेंडर की, उसके वाल्व और अन्य फिटिंगों सिहत, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षा की जाएगी कि वह नियमों के सुसंगत उपबंधों के पूर्णत: अनुरूप है और भरण के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे पूर्णत: खाली कर दिया जाएगा।
- 4. किसी भी सिलेंडर में कोई संपीडित गैस, नियमों के अधीन विहित परिकल्पित जांच, दाब और अनुपात से अधिक नहीं भरी जाएगी।
- 5. जहां सिलेंडर के वाल्व और अन्य फिटिंगों को परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है वहां सिलेंडर पर स्थापित मूल भार पर नजर रखी जाएगी और किसी परिवर्तन के लिए आवश्यक सुधार किया जाएगा।
- 6. किसी भी ऐसे सिलेंडर में, जो नियमों में विहित समुचित रंग में पेंट नहीं किया गया है, संपीडित गैस नहीं भरी जाएगी।
- 7. किसी गैस के लिए संपीडन और भरण उपकरण किसी अन्य गैस के लिए संपीडन और भरण उपकरण से पूर्णत: अलग और असम्बध्द होगा।
- 8. किसी भी सिलेंडर में, इस अनुज्ञप्ति पर विशिष्टत: पृष्ठांकित रीति और अन्य शर्तों के अधीन ही सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कोई संपीडित गैस भरी जाएगी अन्यथा नहीं। तथापि, यह शर्त औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए आचार संहिता भारतीय मानक आईएसः 6665 के अनुरूप प्रकाश-व्यवस्था/प्रदीपन वाले अविषैली अज्लनशील गैस भरण संयंत्रों को लागू नहीं होगी।
- 9. ज्वलनशील गैसों के संपीडन और भण्डारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले परिसर में प्रतिष्ठापित समस्त विद्युत उपस्कर जैसे, मोटर, स्विचें, स्टार्टर इत्यादि भारतीय मानक आईएस 2148/ आईईसीः60079 (आईएसः2148 के बदले में) के अनुरूप अग्निसहय रचना के होंगे।
- 10. ऐसा कोई कृत्रिम प्रकाश, मोबाइल फोन, जिससे ज्वलनशील वाष्प या गैस मोबाइल फोन प्रज्विलत हो सकती है, किसी भी समय सिलेंडरों में संपीडित गैस के भरण के दौरान परिसर में नहीं रहा जाएगा और ऐसे भरण में लगा कोई व्यक्ति घुम्रपान नहीं करेगा।
- 11. अनुज्ञप्ति परिसर का प्रबन्ध करने वाला या उस पर उसके संबंध में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है और जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नही है तथा वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसा कार्य करने में निवारित करेगा।
- 12. प्रत्येक अनुज्ञिप्त परिसर के लिए अनुज्ञप्तिधारी कम से कम दो सुवाहय फोन प्रकार के या शुल्क रासायनिक प्रकार के 10 किलाग्राम क्षमता के अग्निशामकों को, जो आग लगने पर तुरन्त उपयोग में लाए जा सके, सुविधाजनक स्थानों पर, ज्वलनशील या विषैली गैसों के लिए अपेक्षित अन्य प्रशामक सुविधाओं के लिए अन्य अग्निशमनों के अतिरिक्त, तैयार रखेगा या उनकी व्यवस्था करेगा। ऐसे अग्निशामक यंत्रों की, उनकी उपयोगिता की दृष्टि से नियतकालिक जांच की जाएगी।
- 13. समस्त भरण, संक्रियाएं, किसी सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी।
- 14. द्रवित पेट्रोलियम गैस के संपीडित और संभरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अनुज्ञप्ति परिसर के चारों और हर समय एक सुरक्षा क्षेत्र होगा जो ओआईएस डी 169 तथा ओआईएस डी 144 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान, मार्ग या आसपास की सम्पत्ति से स्पष्टत: दूरी पर होगा।
- 15. अनुज्ञप्त परिसर अज्वनलशील सामग्री से बनाया जाएगा और पर्याप्तत: संवातित होगा।
- 16. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर होने वाली दुर्घटना, आग या विस्फोट या अप्रिय घटना की, तुरंत मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक, जिला मजिस्ट्रेट को और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को द्रुतगम संचार माध्यम से सूचना दी जाएगी।

17. नियम 71 में सूचीबध्द किसी भी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से पालन हो रहा है, हर सुविधा दी जाएगी।

(ख) विलीन एसिटिलीन सिलेंडर फिलिंग और भंडारण संयंत्रों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं: -

- 1. यह सुनिश्चित करने के लिए की दबाव, तापमान और प्रवाह के स्तर को सुरक्षा सीमाओं के भीतर रखा जाता है, एसिटिलीन सिलेंडर फिलिंग और भंडारण संयंत्रों में सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- 2. उपकरणों के डिजाइन, संचालन और रख रखाव इस तरह से किया जाएगा कि सधारण प्रचालन के दौरान उपकरणों में वायु/ऑक्सीजन के प्रवेश को रोका जा सके, कम दबाव रोका जा सके, हवा एसिटिलीन मिश्रण को परिष्करण द्वारा सुरक्षित रूप से हटाया जा सके तथा तापमान और दबाव में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सके।
- 3. रेगुलेटरों आईएसओः 7291 के अनुरूप होंगे और हाई प्रेशर होजेस आईएसओः14113 के अनुरूप होगे। हाई प्रेशर एसिटिलीन के लिए होजेस का बर्स्ट प्रेशर 1000 बार (100 एमपीए) से कम नहीं होगा।
- 4. प्रज्वलन और गैस के प्रवाह दोनों को रोकने के लिए फ्लेश बैक अरेस्टर / शट ऑफ उपकरणों की संयंत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर युक्तियां की जाएगी।
- 5. हालांकि फिलिंग मैनिफोल्ड में दबाव 25 बार हो सकता है किंतु मैनिफोल्ड अभिकल्पना करते समय एसिटिलीन अपघटन और विस्फोट प्रतिरोध की संभावना को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- 6. विलिन एसिटिलीन सिलेंडर फिलिंग और भंडारण संयंत्रों के लिए एक कुशल अग्नि सुरक्षा प्रणाली, बाढ़ प्रणाली और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान की जाएगी।
- 7. स्थैतिक बिजली उत्पादन के जोखिम के कारण ज्वलनशील गैस की आग बुझाने के लिए कार्बन डायऑक्साइड अग्निशामक उपयोग नहीं किया जाएगा। शुष्क रसायन चूर्ण प्रकार के अग्निशामक यंत्र एसिटिलीन फिलिंग और भंडारण संयंत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किया जाएगा।
- 8. कैल्शियम कार्बाइड के भंडारण तथा परिवहन, कार्बाइड अग्नि, कार्बाइड लाइम के छलकेने और गर्म एसिटिलीन सिलेंडरों के लिए एसिटिलीन संयंत्र को आपातकालीन प्रक्रियाओं से संस्थापित किया जाएगा।
- 9. गर्म सिलेंडरों पर ठंडे पानी का स्प्रे एक निरंतर अवधि के लिए जारी रखा जाएगा जब तक एसिटिलीन सिलेंडर ठंडे हो जाते है।

एसिटिलीन संयंत्र के लिए सुरक्षा दूरी सारणी

से	तक	दूरी मीटर में
एसिटिलीन संयंत्र	फैक्टरी सीमा दीवार, भवनों आसन्न संपत्ति, कार्यालय भवन आदि	15
एसिटिलीन संयंत्र	क्रायोजनिक द्रव भंडारण युक्त संपीडित पात्र	15
एसिटिलीन संयंत्र	ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र	30
एसिटिलीन संयंत्र	एयर दबाव हवा का प्रवेश बिंदु	90
लाइम स्लज सुखाने के गड्ढ़े	चारदीवारी और एसिटिलीन उत्पादन इकाई	9
एसिटिलीन जनरेशन तथा सिलेंडर फिलिंग क्षेत्र	गैर फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग	15

प्ररूप 'च' (नियम 50, 51 और 54 देखें)

सिलेंडरों में संपीडित गैस के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्यांक	फीस रूपए
श्री को, नीचे वर्णि	ति और रेखांक सं में दिशत किए गए अनुज्ञप्त परिसर में,
•	के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों रों को रखने के लिए ही विधिमान्य अनुज्ञप्ति दी जाती है। त रहेगी।
तारीख20	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/विस्फोटक नियंत्रक
अनुज्ञप्त र्पा	रेसर का वर्णन और अवस्थिति
और अन्य विशिष्टियों को संलग्न अनुमोदित रेखांक में	में भरी गैस रखने के लिए अनुज्ञप्त परिसर, जिसकी अभिन्यास सीमाओं दिखाया गया है में अवस्थित है और है और गैस युक्त सिलेंडर या कब्जा निम्न प्रकार से
	वर्णित है :-
गैस का प्रकार	मात्रा
(क) विषैली	
(ख) अविषैली और अज्वलनशील	
(ग) अविषैली और ज्वलनशील	
(घ) विलीन एसिटिलीन गैस	
(ड) एल.पी.जी. से भिन्न अविषैली और ज्वल	ानशील
द्रवशील गैस	
(च) द्रवित पेट्रोलियम गैस	
और ये (सर्वेक्षण संख्या) (गली का नाम) (गांव	त्र या नगर)(पुलिस थाना)(जिला)में स्थित है।

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान					
इस अनुज्ञप्ति को, विस्फोटक अधिनियम 1884 या	नवीकरण की	अनुज्ञप्ति की समाप्ति की	अनुज्ञापन प्राधिकारी के		
उसके अधीन बनाए गए गैस सिलेंडर्स नियम,	तारीख	तारीख	हस्ताक्षर और उसकी		
2016 के उपबंधों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का			स्टाम्प		
उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में कोई छूट					
दिए बिना दस वर्ष तक नवीकृत किया जाएगा।					

यदि सिलेंडर अनुज्ञप्ति में दिए गए वर्णन के अनुरूप नहीं है या जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति दी गई है उसमें से किसी का उल्लंघन होने पर, अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9ख में यथा उपबंधित किए गए अनुसार दण्डनीय भी होगा।

शर्ते

1. एलपीजी भंडारण शेड के संनिर्माण के ब्यौरे

- (क) एलपीजी सिलेंडर भंडारण शेड का विनिर्माण किसी भी अज्वलित सामग्री से किया जाएगा। 1000 कि.ग्रा. एलपीजी भंडारण के लिए इसके धरातल का क्षेत्रफल न्यूनतम 11 वर्ग मीटर का होगा। एलपीजी सिलेंडर भंडारण शेड में भारतीय मानक आईएस 1195/1196 के अनुरूप मैस्टिक फ्लोरिंग उपलब्ध की जाएगी। खिडकी का क्षेत्रफल, धरातल के क्षेत्रफल के न्यूनतम 10 % का होगा। अनुज्ञप्ति की सारणी के शर्त 5क के प्ररूप च में यथानिर्धारित न्यूनतम सुरक्षा दूरी बनाए रखी जाएगी और एलपीजी सिलेंडर भंडारण शेड की चारों ओर न्यूनतम 1.8 मी उंची ईंट की दीवार बनाई जाएगी जो प्रारूप च के 5क में यथाविनिर्दिष्ट शर्त की न्यूनतम सूरक्षा अंतर के अनुसार होगी। चहारदीवारी के फाटक की चौड़ाई 1.2 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होगी। एलपीजी सिलेंडर भंडारण शेड के सामने एलपीजी सिलेंडर ट्रक पार्किंग क्षेत्र का प्रबंध किया जाएगा जो औद्योगिक प्रकार के न्यूनतम 2.0 मी उंचाई वाली फेन्सींग से घिरा होगा।
- (ख) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर को संपीडीत गैस से भरे सिलेंडरों के रखने के सिवाय, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लागा जाएगा।
 - 2 संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों का भण्डार, भण्डारण शैड में ही किया जाएगा, जो कि उपयुक्त अज्वलनशील सामग्री से बना होगा: बशर्ते यदि केवल ज्वलनशील गैस से भरे सिलेंडरों का भण्डारण किया जाना है तो बीम, शहतीर, कालम, खिडिकयां और दरवाजे लकडी के हो सकते हैं।
 - 3 भण्डारण शैड भूमि की सतह तथा छत में या उसके निकट पर्याप्तत: संवातित होगा। यदि भण्डारण शैड द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर को रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो संवातन में बढिया तांबे या अन्य असंक्षारक धातु की तार की दोहरी जाली की व्यवस्था की जाएगी जिसमें प्रति सेंटीमीटर (लंबाई में) 11 अंश हों।
 - 4 एक की शैड में, यथासंभव, विभिन्न प्रकार की गैसों का भण्डारण नहीं किया जाएगा। यदि एक ही शैड में विभिन्न प्रकार की गैसों का भण्डारण किया जाना है तो सिलेंडरों को उनमें भरी गैसों की प्रकृति के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है, अर्थात् ज्वलनशील गैस सिलेंडरों और आक्सीकारक गैसों से भरे सिलेंडरों को परस्पर अलग-अलग रखने के लिए उनके बीच या तो एक मीटर स्थान रिक्त छोड दिया जाएगा या अग्निरोधी विभाजक दीवाल बना दी जाएगी और विषैली गैसों से भरे सिलेंडरों तथा अविषैली गैसों से भरे सिलेंडरों को इसी प्रकार अलग करने के लिए उनके बीच एक विभाजक दीवाल बना दी जाएगी।
 - 5 (क) िकसी भवन, सार्वजिनक स्थान, सार्वजिनिक मार्ग या आसपास में बनाई जाने वाली संपत्ति और द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों के भण्डारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भण्डारण शैड के बीच निम्नलिखित स्पष्ट दूरी सदैव बनाए रखी जाएगी, अर्थात् :-

सिलेंडरों में संपीडित गैस की मात्रा कि.ग्रा. कि.ग्रा.	रखी जाने वाली न्यूनतम स्पष्ट दूरी मीटर
0-101 101-2000	3
2001-3000 3001-4000 4001-6000 6001-8000 8001-10000 10001-12000	4 5 6 7 8
12001-20000 20000 से अधिक	9 12 15

परंतु निम्नलिखित दशाओं में मुख्य नियंत्रक ऊपर विनिर्दिष्ट दूरियों को कम कर सकता है, -

- (i) जब परदा दीवाल की व्यवस्था की गई हो या अन्य विशिष्ट पूर्वावधारियां बरती गई हों अथवा
- (ii) जहां ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हों जो मुख्य नियंत्रक की राय में इस प्रकार की कमी करने के लिए न्यायोचित है।
- (ख) एलपीजी के अलावा विषाक्त गैस और ज्वलनशील गैस भंडारण शेड की चारों ओर न्यूनतम 3.0 मी की स्पष्ट सुरक्षा दूरी बनाई रखी जाएगी। सिलेंडर भंडारण शेड की चारों ओर कम से कम 2.0 मी के औद्योगिक प्रकार की बाड़ें का प्रबंध किया जाएगा।
 - 6. ऊपर शर्त 5 में किसी बात के होते हुए भी 100 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 500 कि.ग्रा. से अनिधक, द्रवित पेट्रोलियम गैस से भरे सिलेंडर भवन के किसी भाग में या उससे संलग्न भण्डारण शैड में रखे जा सकते हैं: परंतु यह तब जबिक उसे एक मजबूत विभाजक भवन से अलग रखा जाए और उसमें प्रवेश करने का एक मात्र रास्ता बाहर से हो। ऐसा भण्डारण शैड किसी जीने के नीचे या शेष भवनों के लिए प्रवेश या निकास द्वार के पास या अन्य भवनों के पास अवस्थित नहीं होगा।
 - 7. द्रवित पेट्रोलियम सिलेंडरों के भण्डारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शैड को, शैड और उसके सुरक्षा जोन में अप्राधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए 1.8 मीटर ऊंची और 1.2 मीटर चौड़े गेट की ईटों की समुचित दीवार से, घेरा जाएगा।

टिप्पण : सिलेंडरों की उतराई/लदाई के लिए ट्रकों को पार्क करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

- पतली दीवाल वाले सिलेंडर क्षैतिज स्थिति में चट्टे लगाकर नहीं रखे जाएंगे परन्तु द्रवित पेट्रोलियम गैर सिलेंडरों की दशा में, निम्नलिखित चट्टा विधि अनुज्ञात की जा सकती है:-
 - (i) भरे सिलेंडर सीधी स्थिति में भण्डारण किए जाएंगे और चट्टा दो से अधिक ऊंचा नहीं लगाया जाएगा या
 - (ii) खाली सिलेंडर को, यदि सीधी स्थिति में भण्डारण किया जाना है तो 3 और यदि क्षैतिज स्थिति में भण्डारण किया जाना है तो, 5 से अधिक ऊंचा चट्टों में नहीं लगाया जाएगा।
 - (iii) सिलेंडरों का ढेर, छोरों पर अवरोधों के उपयोग द्वारा स्थिर रखा जाएगा।
 - (iv) प्रवेश और सिलेंडरों की धरा-उठाई के लिए इकहरी या दोहरे पंक्तियों के चट्टों के बीच और चट्टों और दीवालों के बीच न्यूनतम 60 से.मी. चौडा मार्ग रखा जाएगा।

- 9. भण्डारण शैड में गैस (गैसों) का (के) सही रासायनिक नाम सुस्पष्टत: दर्शाया जाएगा/दर्शाए जाएंगे।
- 10. भण्डारण शैड एक सक्षम व्यक्ति के भार साधन में रहेगा।
- 11. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर होने वाली किसी दुर्घटना, आग, विस्फोट या किसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट तुरंत मुख्य नियंत्रक, ई मेल नियंत्रक, जिला मजिस्ट्रेट और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दुतगम संचार माध्यम से दी जाएगी।
- 12. यदि गैस सिलेंडरों का भण्डारण करने वाले किसी व्यक्ति से, गैस सिलेंडरों के भण्डारण शैड में कोई ऐसी अभिवृध्दि परिवर्तन या मरम्मत करने के लिए लिखित रूप मे अपेक्षा की जाए, जो निरीक्षक प्राधिकारी की राय में परिसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो वह उक्त अभिवृध्दि, परिवर्तन या मरम्मत, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, कम से कम एक मास की ऐसी अविध के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, कर देगा।
- 13. सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ज्वलनशील गैसों के भण्डारण के लिए उपयोग में जाया जाने वाला कोई भी शैड न तो खोला जाएगो और न गैस सिलेंडरों की धराई उठाई अनुज्ञात की जाएगी। यह कार्य उस दशा में किया जा सकेगा जबिक अनन्यत: अनुमोदित विध्दुत प्रकाश का प्रयोग किया जाए।
- 14. भण्डारण शैड और इससे घिरे क्षेत्र को, सदैव मरम्मत ज्वलनशील सामग्री, रद्दी वनस्पति और कूडा, कर्कट से दूर रखा जाएगा।
- 15. (क) अग्निरोधी, विध्दुत प्रकाश और फिटिगों के सिवाय कोई अग्नि, भट्टी या अन्य ताप या प्रकाश स्त्रोत, भण्डारण शैड के भीतर और शर्त 5 के अधीन बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा क्षेत्र के भीतर अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।
 - (ख) कोई भी व्यक्ति भण्डारण शैड में धूम्रपान नहीं करेगा या माचिस, फ्यूज या चिन्गारी उत्पन्न करने वाले अन्य साधित्र को परिसर में नहीं ले जाएगा। "धूम्रपान मना है" के हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में सुस्पष्ट साइन – बोर्ड भण्डारण शैड के बाहर सहजदृश्य स्थानों पर लगाए जाएंगे या टांगे जाएंगे।
- 16. प्रत्येक अनुज्ञप्त परिसर के लिए अनुज्ञप्ति धारी कम से कम दो सुवाह्य फोम प्रकार के या शुष्क रासायनिक प्रकार के 10 किलोग्राम क्षमता के अग्निशामकों की जो बीआईएस प्रमाणित हो, जो आग लगने पर तुरन्त उपयोग में लाए जा सकें, सुविधाजनक स्थानों पर, ज्वलनशील या विषैली गैसें या अपेक्षित अन्य प्रशामक सुविधाओं के लिए अन्य अग्निशामनों के अतिरिक्त, तैयार रखने की व्यवस्था करेगा।
- 17. नियम 71 में सूचीबध्द किसी भी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से पालन हो रहा है. हर सविधा दी जाएगी।

प्ररूप छ (नियम 50, 51 और 54 देखें)

सी.एन.जी./सीबीजी वितरण स्टेशन में आटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस या संपीडित बायोगैस के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं	फीसरूपए
श्री को नीचे वर्णित अनुज्ञ	प्त परिसर में, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और
उसके अधीन बनाए गए गैस सिलेंडर नियम, 2016 तथा इ	इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, आटोमोटिव ईंधन के
रूपय में आन बोर्ड सिलेंडरों में सीएनजी/ सीबीजी भरने के	लिए ही विधिमान्य अनुज्ञप्ति दी जाती है।
यह अनुज्ञप्ति 30 सितंबर, 20 तक प्रवृत्तः	रहेगी।
तारीख20	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण और अवस्थान

अनुज्ञप्त परिसर, जिसकी अभिन्यास सीमाएं और अन्य विशिष्टियां संलग्न अनुमोदित रेखांक सं में दश	र्गिई
गई हैं, जो(सर्वेक्षण सं./प्लाट सं.)(गली का नाम)(ग्राम या नगर)(पुलिस थाना)(जिले) में स्थित हैं	भौर
इसमें (i) कासकेडस की सं. प्रत्येक में किलो लीटर जल क्षमता सहित (ii) संपीडनों की सं (iii) वितर	को
की सं. और (iv) अन्य स्विधाएं सम्मिलित है।	

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

यह अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम 1884 या	नवीकरण की	समाप्ति	की अनुज्ञापन प्राधिकारी के
उसके अधीन बनाए गए गैस सिलेंडर्स नियम,	तारीख	तारीख	हस्ताक्षर और कार्यालय की
2016 के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की शर्तों का			मुद्रा
उल्लंघन न होने की दशा में अनुज्ञप्ति फीस में कोई			
छूट दिए बिना दस वर्ष के लिए नवीकरणीय			
होगा।			

यदि सिलेंडर अनुज्ञप्ति में दिए गए वर्णन के अनुरूप नहीं है या जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति दी गई है उसमें से किसी का उल्लंघन होने पर, अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9ख में यथा उपबंधित किए गए अनुसार दण्डनीय भी होगा।

शर्तें

- 1. (क)यदि सीएनजी/सीबीजी कास्केड और कॉम्प्रेसर उपयुक्त आरसीसी/इस्पात संरचना पर और खुली जगह पर स्थापित किया गया है तो नियम के अन्य आवश्यकताओं के साथ निम्नलिखित शर्तों का भी पालन किया जाएः-
 - सीएनजी अथवा सीबीजी कास्केड भंडारण और आरसीसी संरचना पर रखें कॉम्प्रेसर, जो जमीनी स्तर से प्रचालित है या स्वयंचलित है, के लिए फ्लडिंग टाईप की अग्निशमन प्रणाली
 - ii. भारतीय मानक आईएस 1642-1989 के अनुरूप 4 घंटे की अग्नि प्रतिरोधी क्षमता दर्शाता विश्लेषण रिपोर्ट प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा बनाया जाएगा और उसे अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाएगा।
- iii. एक प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट बनाया जाएगा और यह रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाएगा।
- iv. एक प्रतिष्ठित संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा सभी उपकरणों के अधिरचना के स्थिर और गतिशील भार / कंपन के पूर्ण संचलन के संदर्भ में संरचनात्मक पर्याप्तता संचालित किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाएगा।

- v. एक प्रतिष्ठित इंजीनियरी फर्म द्वारा हॅझॉप (HAZOP) का अध्ययन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न की जाएगी।
- vi. सीएनजी उपकरण क्षेत्र के उचित उपयोग के लिए एक दूसरे से विपरीत न्यूनतम दो सीढि़यां उपलब्ध कराई जाएगी।
- vii. स्टेशन की करीबी से निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे न्यूनतम 24 घंटे की अभिलिखित की अवधारण क्षमता वाले मिनट प्रदान किया जाएगा।
- viii. जमीनी और छत स्तर पर आपातकालीन बटन उपलब्ध किए जाएंगे।
- 1. (ख) इंडिग्रेटेड सीएनजी डिस्पेंसिंग युनिट जिसमें भंडारण सिलेंडर, कंप्रेसर और डिस्पेंसर समाहित है, संपूर्ण रूप से ऐसे प्रकार का होगा जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हो और स्टैंडअलोन कंपोजिट सीएनजी वितरण यूनिट के सभी ओर न्यूनतम 4.0 मीटर की सुरक्षा दूरी स्पष्ट रखी जाएगी और अन्य सुरक्षा दूरी के लिए अनुज्ञप्ति की शर्त 6 लागू होगी।
- 1. (ग) अनुज्ञप्त परिसर का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए इसे अनुज्ञप्त किया गया है।
- 2. सी.एन.जी. अथवा सीबीजी केवल उन्हीं मोटर यानों के सिलेंडरों में वितरित की जाएगी, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हैं और जिन्होंने मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण स्टेशन द्वारा संचालित इन नियमों के अधीन आवधिक कानूनी परीक्षण पास कर लिया है।
- 3. सी.एन.जी. अथवा सीबीजी केसकेड, डिस्पेंसर, संपीडन, पाइप और अन्य फिटिंगें, गैस सिलेंडर नियम 2015 के अनुरूप सी.एन.जी. के लिए उपयुक्त डिजाइन की होंगी और सारणी 1 और 2 में नीचे दी गई सुरक्षा अंतरो का पालन किया जाएगा।
- 4. सिलेंडरों के सोपानी का भण्डारण एक तरु से खुले, हल्के छत या छतरी वाले सु-संवातित शैड में किया जाना चाहिए। कैस्केड के चारों ओर कम से कम 1 मीटर का क्षेत्र शैड के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा और उठाए गए प्लेटफार्म या मुडी दीवाल के द्वारा उसका सीमांकन किया जाएगा।
- 5. यदि सिलेंडर केसकेड को हल्के वाणिज्यिक वाहन में लगाया जाता है तो उसे ब्रेकों और चोकों के उपयुक्त उपयोग के द्वारा पूर्णतया अचल बनाया जाएगा।
- 6. सिलेंडरों में अभिकल्पित कार्यकरण के दाब से अधिक सी.एन.जी. अथवा सीबीजी नहीं भरी जाएगी।
- सी.एन.जी. अथवा सीबीजी वितरण स्टेशन में प्रतिष्ठापित किए गए विभिन्न उपस्करों, भंडारण कैसकेडों, डिस्पेंसरों आदि के बीच की अंतर – दूरी रखने में सारणी I और 2 के अनुसार सुरक्षा अंतरों का पालन किया जाएगा।

सारणी 1क

अंतर – दूरी भवनों और अन्य सीमाओं से गैस भण्डारण ईकाइयों तक

गैस भण्डारण कैसकेड यूनिटों की कुल क्षमता	भवनों और सीमाओं से न्यूनतम दूरी	(मीटर
(लीटर में)	में)	
4500 तक 4500 से 10000 तक	2.5	
1000 से 10000 तक 1000 से 100000	4.0	
	10.0	

सारणी 1ख

*दो कास्केड्स के बीच न्यूनतम 1.0 मी की दूरी रखी जाएगी

टिप्पण – संस्थापन की सीमा की ओर यदि ऊपर दर्शित दूरियां उपलब्ध नहीं है तो उस सीमा पर सिन्निर्मित सिलेंडर के ऊपरी भाग की पर्याप्त ऊंचाई और लंबाई की दीवार में 4 एच-एफआरआर आरसीसी में उपबंधित 2 मीटर तक और दीवार की दूसरी और उपलब्ध पर्याप्त स्पष्ट स्थल में से कम कर दिया जाएगा।

सारणी 2 सी.एन.जी. ईंधन स्टेशन में विभिन्न सुविधाओं के बीच की अंतर-दूरी

क्र. सं.	निम्नलिखित से दूरी (मीटर में) सी.एन.जी.	सी.एन.जी. /सीबीजी कम्प्रेसर	सी.एन.जी. /सीबीजी वितरण यूनिट	भंडारण कैसकेड	बाहरी सीमा दीवाल / सी एल एफ	एम.एस./एच. एस.डी. का डिस्पेंसर	भंडारण टेंकों के अधीन एम.एस./एच. एस.डी. का निर्गम	एम.एस./ एच. एस.डी. का भरण स्थल
	/सीबीजी कम्प्रेसर							(न्यून)
2	सी.एन.जी. /सीबीजी वितरण यूनिट	3	-	2	4	6	4	-यथोक्त-
3	भंडारण कैसकेड	2	2	-	ਟੀ-1	टी-1 (न्यून 6)	टी-1 (न्यून 4)	-यथोक्त-
4	बाहरी सीमा दीवाल/सी एल एफ	3	4	ਟੀ–1	-	6	4	-यथोक्त-
5	एम.एस./एच. एस.डी. डिस्पेंसर	6	6	टी-1 (न्यून 6)	6	-	6	-यथोक्त-
6	भंडारण टेंकों के अधीन एम.एस./एच. एस.डी. का निर्गम	6	4	टी-1 (न्यून 4)	4	6	-	6
7	एम.एस./एच. एस.डी. का भरण स्थल	टी-1 (न्यून – 3)						

* सी एल एफ – श्रृंखला कडी बाड़

टिप्पण --

- i) टी-1 सारणी 1 को उपदर्शित करता है।
- ii) "-" के रूप में दर्शित दूरियां प्रक्रियात्मक सुविधा के लिए कोई दूरी होगी।
- यानों को एकक के निकट आने से रोकने के लिए वितरक एकक के आधार पर एक समुचित नियंत्रण प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाएगी।
- iv) 4500 लीटर से अनिधिक की कुल जल क्षमता के सिलेंडरों के सी.एन.जी. /सीबीजी केसकेड पर संपीडित्र अधिसंरचना ऊपरी सिरे पर चढाई जा सकेगी। संयोजन के चारो ओर तीन मीटर की निकासी होगी और यह डिस्पेंसिंग यूनिट उसी दूरी पर होगी। इसमें सारणी | टिप्पण (i) के अनुसार 2 मीटर की कमी की जा सकती है।
- 8. सी.एन.जी. /सीबीजी वितरण के लिए डिस्पेंसर मुख्य नियंत्रण द्वारा अनुमोदित किस्म के होंगे।
- 9. मोटर यान में भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित प्रकार की सी.एन.जी. किट लगी होगी।
- 10. मोटर वाहन में, इंजन चालू रहने और जहों वाहन किराए पर छह से अधिक यात्रियों के वहन के लिए अनुज्ञप्त है वहाँ वाहन में किसी यात्री के मौजूद रहने के समय गेस नहीं भरी जाएगी।
- 11. वितरण स्टेशन और कंप्रेसर क्षेत्रों में सहजदृश्य **रूप में "वाहन रोकें"**, "सिगरेट पीना मना है", "मुक्त अग्नि की अनुमित नहीं है", "ज्वलनशील गैस" शब्दों वाले चेतावनी संकेत सप्रदर्शित किए जाएंगे।
- 12. ज्वलनशील गैसों के संपीडन और भरण के लिए प्रयुक्त परिसर में संस्थापित कंप्रेसरों, मोटरों, स्विचों, स्टार्टरों, आदि जैसे सभी विध्दुत उपस्कर भारतीय मानक आईएस 2148/ आयइसी 60079 (भारतीय मानक 2148 के स्थान पर) के अनुरूप ज्वालारोधी निर्मित होंगे या ऐसे अन्य विनिर्देश जो मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित हों।
- 13. अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना परिसर में कोई परिवर्तन/पांरेवर्धन नहीं किए जाएंगे। इस शर्त के अधीन इस प्रकार अनुमोदित सभी परिवर्तन, अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न किए जाने वाले संशोधित रेखांक में दर्शित किए जाएंगे।
- 14. परिसर के भीतर सिगरेट पीना, अनावरित प्रकाश, लैम्प, अग्नि के स्त्रोत या कोई अन्य औजार जो ज्वलनशील वाष्प या गैस को जलाने में समर्थ हों, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।
- 15. अनुज्ञप्त परिसर का प्रबंध करने वाला या उस पर अथवा उसमें नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है और जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है और वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसा कार्य करने से निवारित करेगा।
- 16. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में विभिन्न अवस्थानों पर कम से कम निम्नलिखित मानों के अनुसार अग्निशामक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा :-

अवस्थान	अग्नि-शमनों का प्रकार
डिस्पेसिंग यूनिट	1x10 कि.ग्रा. डी सी पी
कंप्रेसर (ऑन – लाइन)	1x70 कि.ग्रा. डी सी पी
(मुख्य स्टेशन)	
सी.एन.जी. भंडारण	1x10 कि.ग्रा. डी सी पी

केसकेड पुन: ईंधन भरण क्षेत्र	1x10 कि.ग्रा. डी सी पी
एस सी सी /विद्युत प्रतिष्ठापन	1x4.5 कि.ग्रा. कार्बन डाईऑक्साईड प्रति 25 वर्गमीटर भूमि – क्षेत्र

- 17. प्रचालक और परिचर सी.एन.जी. /सीबीजी के कार्यों, प्रक्रियाओं, अनुरक्षण और खतरों तथा उत्पाद की संभलाई से जुडे जोखिमों सहित वितरण क्रियाकलापों के सभी पहलुओं के बारे में पूर्णतया जानकार और प्रशिक्षित होंगे।
- 18. स्थानीय अग्नि शमन सेवा, पुलिस और मुख्य विपणन कंपनियों के आपात टेलीफोन नंबर और आपात अनुदेश अनुज्ञप्त परिसर में सहज – दृश्य रूप में संप्रदर्शित किए जाएंगे।
- 19. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, किसी अनुज्ञप्ति धारक से, अनुज्ञप्त परिसर मे ऐसी कोई मरम्मत कराने के लिए, जो उस प्राधिकारी की राय में परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लिखित सूचना द्वारा मांग करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो, मरम्मत कराएगा।
- 20. नियम 71 में सूचीबध्द किसी भी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से पालन हो रहा है, हर सुविधा दी जाएगी।
- 21. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर होने वाली किसी दुर्घटना, लगने वाली आग, विस्फोट या अप्रिय घटना की रिपोर्ट तुरंत मुख्य नियंत्रक, ई मेल नियंत्रक, जिला मजिस्ट्रेट और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को द्रुतगम संचार माध्यम से दी जाएगी।

अनुसूची 6

(नियम 20 देखें)

सिलेंडरों का परिवहन

(1) वाहनों द्वारा सिलेंडरों का परिवहन –

- (क) किसी संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों को किसी साईकिल या यांत्रिक रूप से यांत्रिक रूप से नोदित किसी अन्य दुपहिया वाहन में परिवहन नहीं किया जाएगा।
- (ख) सिलेंडर इस प्रकार परिवहन किए जाएंगे कि वे उस वाहन के, जिसमें उन्हें परिवहन किया जाता है, पार्श्वों के या कोनों से बाहर क्षैतिज समतल में न निकलें।
- (ग) वाहन के भीतरी और कोई तीव्र निकला हुआ भाग नहीं होगा।
- (घ) सिलेंडरों को वाहन से बाहर उनके गिरने से और खराब घराई उठाई, अत्यधिक झटकों या स्थानीय दबावों से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से सरक्षित रखा जाएगा।
- (ड) वाहनों में परिवहन किए गए सिलेंडरों को इस प्रकार जमाया जा रखा और सुरक्षित किया जाएगा कि उनको हिलने-डुलने, एक-दुसरे से टकराने या नीचे गिरने से रोका जा सकें।
- (च) किसी संपीडित गेस से भरे सिलेंडरों को अत्याधिक ज्वलनशील या क्षयकारी प्रकृति की किसी अन्य वस्तु के साथ परिवहन नहीं किया जाएगा।

(2) परिवहन पर निबंधन –

- (क) ज्वलनशील गैसों वाले सिलेंडरों या कास्केड्स को किसी अन्य प्रकार की संपीडित गैस वाले सिलेंडरों के साथ परिवहन नहीं किया जाएगा।
- (ख) विषैली या संक्षारित गैस वाले सिलेंडरों को खाद्य सामग्रियों के साथ परिवहन नहीं किया जाएगा।

- (ग) एसिटिलीन सिलेंडरों का परिवहन बंद वाहन में नहीं किया जाएगा।
- (घ) पतली दीवार के सिलेंडरों का परिवहन क्षैतिज स्थिति में नहीं किया जाएगा।

ऊपर खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, पच्चीस से अनधिक संख्या में डी.ए. सिलेंडरों का परिवहन अविषैली अज्वलनशील गैसों के साथ सम्यक् पूर्वावधानियां बरतते हुए किया जा सकेगा।

(3) परिवहन के लिए लदाई और उतराई -

- (क) किसी संपीडित गैस से भरे सिलेंडरों की लदाई और उतराई के लिए कोई उत्थापक चुंबक प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे।
- (ख) जहाँ ऐसा कोई कार्य किसी क्रेन या कांटा उत्थापक ट्रक के द्वारा किया जाता है, वहाँ सांकल या तार-रस्सी स्लिंग वाले उचित ढांचे का प्रयोग किया जाएगा।

(4) परिवहन के दौरान वाल्वों की सुरक्षा –

- (क) संपीडित गैस वाले प्रत्येक सिलेंडर का, जब परिवहन किया जाए, वाल्व, जब तक इसे किसी बस्ते में या क्रेट में सुरक्षित रूप से पैक न किया गया हो, उपनियम (ख) और (ग) में उपबंधित रीति में नुकसान के प्रति सुरक्षित होगा।
- (ख) जहां सिलेंडर के डिजाइन में, सिलेंडर की काठी के पूर्णतया निचले सिरे में वाल्व लगाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाईन का एक मजबूत धातु का आवरण, धातु का ढक्कन या एक सुरक्षित धातु का दल्ला या ग्रिल जाएगी, जिसका डिजाइन ऐसा होगा कि आवरण या ढक्कन या छल्ले या ग्रिल कहीं भी वाल्व ढांचे के किसी भाग से निकट सानिध्यता न हो।
- (ग) जहाँ हाइड्रोजन सायनाईड, फोसजीन, सायोजीन, साइनोजीन क्लोराईड जैसी अत्यधिक विषैली गैसों वाले सिलोंडरों से भिन्न सिलेंडरों में वाल्वों की सुरक्षा के लिए धातु के केपों या धातु के ढक्कन की व्यवस्था की जाती है, वहाँ इनकी व्यवस्था ऐसे आकार के छेद के साथ की जाएगी, जिससे की कैपों या ढक्कनों के भीतर किसी गैस दाब को रोका जा सके।
- (घ) हाइड्रोजिन सायनाईड, फोसजीन, सायनोजीन, सायनोजीन क्लोराइड गैसों जैसी अत्यधिक विषैली गैसों वाले सिलेंडरों में गैस-टाईट धातु की कैपों या ढक्कनों से सुरक्षित वाल्व होंगे।
- (ड) उपनियम (क), (ख) और (ग) की कोई भी बात 5 लीटर से अनिधक जलक्षमता वाले, चिकित्सीय प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन या नाईट्रियस ऑक्साइड वाले सिलेंडरों को लागू नहीं होगी।

(5) स्त्राव वाले सिलेंडर –

- (क) कोई भी व्यक्ति किसी स्त्राव वाले सिलेंडर को नहीं देगा या उसका परिवहन करेगा।
- (ख) किसी ज्वलनशील या विषैली गेस वाला कोई सिलेंडर, जिसमें परिवहन के दौरान स्त्राव होता है, तत्परतापूर्वक ज्वलन के किसी स्त्रोत से दूर एकांत में खुले स्थान पर हटा दिया जाएगा और उसके परिवहन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आवश्यक सलाह के लिए तुरंत भरणकर्ता या परेषक से संपर्क करेगा।

[फा. सं. 3(2)/2014-एक्सप्लोसीव्स])

शैलेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2016

GSR. 1081(E).— Whereas a draft of the Gas Cylinder Rules, 2015 was published as required by Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 13th October, 2015, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number GSR 779 (E), dated 13th October, 2015 inviting objections and suggestions

from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification are made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette were made available to the public on the same day;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and in supersession of the Gas Cylinders Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.(1) These rules may be called the Gas Cylinders Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions- In these rules unless the context otherwise requires, -
 - (i) "Act" means the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
 - (ii) "Auto LPG" means liquefied petroleum gas meant for automotive fuel conforming to specification IS:14861:
 - (iii) "Chief Controller" means the Chief Controller of Explosives;
 - (iv) "composite cylinder" means a cylinder made of resin impregnated continuous filament wound over a metallic or a non-metallic liner. Composite cylinders using non-metallic liners are referred to as all composite cylinders;
 - (v) "compressed gas" means any permanent gas, liquefiable gas or gas dissolved in liquid under pressure or gas mixture which in a closed gas cylinder exercises a pressure either exceeding 2.5 kgf/cm² abs (1.5 kgf/cm² gauge) at +15° C or a pressure exceeding 3kgf/cm² abs (2 kgf/cm² gauge) at +50° C or both including cryogenic liquids;
 - Explanation.— For the purposes of this clause Hydrogen Fluoride falls within the scope of compressed gas although its vapour pressure at 50° C is 1.7 to 1.8 atmosphere gauge;
 - (vi) "Conservator" in relation to a port includes any person acting under the authority of the officer or body of person appointed to be Conservator of that port under section 7 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);
 - (vii) "Controller" includes the Joint Chief Controller of Explosives, the Deputy Chief Controller of Explosives, the Controller of Explosives and the Deputy Controller of Explosives;
 - (viii) "Compressed Bio Gas (CBG)" means the mixture of hydrocarbon gases and vapours consisting mainly of Methane in gaseous form, which has been produced by the decomposition of animal and plant waste, purified and compressed for use as an automotive fuel and industrial application;
 - (ix) "Compressed Natural Gas (CNG)" means mixtures of hydrocarbon gases and vapours, consisting mainly of Methane or suitable mixture of Hydrogen and Methane in gaseous form, which has been compressed for use as automotive fuel and industrial application and includes Compressed Bio Gas;
 - (x) "Composite CNG dispensing unit" means an integrated unit comprising of CNG storage cascade, CNG compressor and CNG dispensing unit integrally attached with each other and installed inside an enclosure box;
 - (xi) "CNG mother station" means CNG facilities connected with natural gas pipeline and having a compressor meant primarily to fill mobile cascade of daughter station and includes stationery cascade for CNG dispensing to vehicles;
 - (xii) "CNG online station" means CNG facilities connected with natural gas pipeline and having a compressor primarily to fill stationary cascades for dispensing CNG to vehicles;
 - (xiii) "CNG daughter station" means CNG facilities not connected to natural gas pipeline and receives CNG through mobile cascade;
 - (xiv) "CNG daughter booster station" means CNG facilities not connected to natural gas pipeline and such CNG dispensing stations where mobile or stationary cascades are connected to the booster compressor for increase in discharge pressure for refueling of the vehicles;
 - (xv) "Critical temperature" means the temperature above which gas cannot be liquefied by the application of pressure alone;

- (xvi) "cryogenic container" means a double walled insulated closed metal container having volume exceeding 500 ml but not exceeding 1000 liters intended for filling, storage and transport of cryogenic liquid fabricated as per codes approved by the Chief Controller;
- (xvii) "cryogenic liquid" means liquid form of permanent gas having normal boiling point below minus150 °C;
- (xviii) "cylinder testing station" means facilities and infrastructure for periodical testing and examination of cylinder;
- "dissolved acetylene cylinder" means a cylinder having a valve and with or without safety devices, containing porous mass, a solvent for the storage of dissolved acetylene and at least sufficient quantity of acetylene to saturate acetone as solvent at atmospheric pressure and at a temperature of +15° C;

Explanation.- For the purpose of this clause, acetone or any other solvent used shall not be capable of chemical reaction with the acetylene gas or with the porous mass or with the metal of the cylinder or valve;

- (xx) "dissolved gas" means a gas which is dissolved under pressure in a fluid solvent appropriate to the particular gas;
- (xxi) "district authority" means-
 - (a) a Commissioner of Police or Deputy Commissioner of Police in any town having a Commissioner of Police; and
 - (b) in any other place, the District Magistrate;
- (xxii) "District Magistrate" includes an Additional District Magistrate, and in the States of Punjab and Haryana and in the Karaikal, Mahe and Yanam areas of the Union territory of Pondicherry, also includes a Sub-Divisional Magistrate;
- (xxiii) "fee" means the fee specified in Schedule V;
- (xxiv) "filling pressure" means the maximum permissible gauge pressure, converted to + 15° C, at which a gas cylinder for permanent gas or gas dissolved under pressure can be filled;
- (xxv) "filling ratio" means the ratio of the weight of a liquefiable gas introduced in the cylinder to the weight of the water that the cylinders will hold at 15°C;
- (xxvi) "flammable gas" means any gas which, if either a mixture of 13 percent or less (by volume) with air forms a flammable mixture or the flammability range with air is greater than 12 percent regardless of the lower limit and these limits shall be determined at atmospheric temperature and pressure;

Explanation.- For the purpose of this clause: "flammability range" means the difference between the minimum and maximum percentages by volume of the gas in mixture with air that forms a flammable mixture;

- (xxvii) "Form" means a Form set forth in Schedule V;
- (xxiii) "gas cylinder" or "cylinder" means any closed metal container having a volume exceeding 500 ml but not exceeding 1000 liters intended for the storage and transport of compressed gas, including any liquefied petroleum gas (LPG) container or compressed natural gas (CNG) cylinder fitted to a motor vehicle as its fuel tank but not including any other such container fitted to a special transport or undercarriage and includes a composite cylinder and cryogenic container, however, the water capacity of cylinder used for storage of CNG, nitrogen, compressed air, etc., may exceed 1000 liters up to 3000 liters provided the diameter of such cylinder does not exceed 60 cm;
- (xxix) "gas cylinders cascade " means a battery of cylinders connected with each other, a tube trailer, multiple element gas containers and bundle of cylinders, conforming to the specifications BS EN-13769, BS EN-13807, ISO-10961 or any other specification accepted by the Chief Controller;
 - (xxx) "high pressure liquefiable gas" means a liquefiable gas having a critical temperature between 10° C and + 70° C;
 - (xxxi) "hot repair or reconditioning of the LPG cylinders or other welded cylinders "means repair or replacement of valve protection ring, foot ring, other protective fitments and removal of permissible dents of LPG cylinders or other welded cylinder followed by heat treatment as per the standards or codes accepted by the Chief Controller;
- (xxxii) "hydrostatic stretch test" means subjecting the cylinder to a hydrostatic pressure equal to the test pressure of the cylinder and recording the permanent stretch undergone by the cylinder;

- (xxxiii) "hydrostatic test" means the test to which a cylinder is subjected to a hydrostatic pressure equal to the test pressure of the cylinder;
- (xxxiv) "import" means bringing into India by land, sea or air;
- (xxxv) "inert gas" means a gas which is resistant to chemical action under normally encountered conditions;
- (xxxvi) "inspecting authority" means a person having qualifications and experience in the field of design, manufacture and testing of gas cylinders, valves and LPG regulators and recognised by the Chief Controller as authority for inspection and certification of gas cylinder, valves and LPG regulators.;
- (xxxvii) "installation" means premises wherein a place has been specially prepared for the manufacture or filling or storage of compressed gas cylinders;
- (xxxviii) "liquefiable gas" means a gas that may be liquefied by pressure at -10° C but will be completely vaporised when in equilibrium with normal atmospheric pressure (760 mm. Hg) at 17.5°C which value shall be increased to 30°C for toxic gases;
- (xxxix) "liquefied petroleum gas" means any material, which comprises predominantly of any of the following hydrocarbons or mixture of them with vapour pressure not exceeding 16.87 kg/cm2 (gauge) at 65° C; Propane (C₃H₈), propylene (C₃H₆), butane ((C₄H₁₀), (n-butane and iso-butane) and butylene (C₄H₈);
- (xl) "low pressure liquefiable gas" means a liquefiable gas having critical temperature higher than +70°C;
- (xli) "manufacture of gas" means filling of a cylinder with any compressed gas and also includes transfer of compressed gas from one cylinder to any other cylinder;
- (xlii) "oxidising gas" means a gas which gives up oxygen readily or removes hydrogen from a compound or attracts negative electrons;
- (xliii) "permanent gas" means a gas whose critical temperature is below 10°C that is to say a gas which cannot be liquefied under any pressure at a temperature above 10°C;
- (xliv) "pneumatic test" means the test to which a gas cylinder is subjected to a pneumatic pressure equal to the pneumatic test pressure or working pressure, as specified in the manufacturing code;
- (xlv) "poisonous or toxic gas" means a gas which has a maximum allowable concentration in air for human respiration not exceeding 100 mg/m³ at 15°C and 1 kgf/cm² absolute pressure;
- (xlvi) "porous mass" means single or multi-component substance introduced into, or formed in the cylinder shell, in order to fill it and due to its porosity allow the absorption of the solvent and the acetylene gas conforming to EN 13807 : 2003 B.2.7;
- (xlvii) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
- (xlviii) "tare weight" in relation to
 - (a) acetylene cylinder, means the weight of the cylinder together with any fittings, permanently attached and includes the weight of valve any safety device, porous mass, requisite quantity of solvent for dissolving acetylene, and the weight of acetylene gas saturating the solvent at atmospheric pressure and temperature of 15°C;
 - (b) liquefiable gas cylinder, means the weight of the cylinder together with any fittings permanently attached thereto and includes the weight of valve;
 - (c) permanent gas cylinder, means the weight of the cylinder together with any fittings permanently attached thereto and excludes the weight of valve;
 - (d) cryogenic container, means the weight of the container together with any fittings permanently attached thereto along with the weight of insulating material including the weight of the valves;
- (xlix) "test pressure" means the internal pressure required for the hydrostatic test or hydrostatic stretch test or pneumatic test of the cylinder as specified in the cylinder manufacturing codes;
 - (l) "transport" means the moving of a cylinder filled with any compressed gas from one place to another;
 - (li) "water capacity" means the volume of water in litres, a cylinder will hold at 15°C;
 - (lii) "working pressure for low pressure liquefiable gas" means the saturated vapour pressure at 65°C; Explanation For the purposes of this clause, it is clarified that the values of saturated vapour pressure of different gases are specified in IS: 3710;
 - (1iii) "working pressure for permanent gas" means the internal pressure of the gas in the cylinder at a temperature of 15°C;
- (liv) "yield strength" means the stress corresponding to a permanent strain of 0.2 percent of the original gauge length in a tensile test.

CHAPTER II

GENERAL PROVISIONS

- 3. Filling, possession, import and transport of cylinder.- (1) No person shall fill any cylinder with any compressed gas or import, possess or transport any cylinder so filled or intended to be filled with such gas unless-
 - (a) such cylinder and its valve have been constructed to a type and standard specified in Schedule I as amended from time to time by an order issued by Chief Controller;
 - (b)the test and inspection certificates issued by the inspecting authority in respect of cylinder and its valve are made available to the Chief Controller and prior approval of the said authority is obtained.
- (2) For obtaining approval under clause (b) of sub-rule (1), the following particulars shall be submitted to the Chief Controller, namely:-
 - (i) total number and serial numbers of the cylinders;
 - (ii) name and address of the manufacturer of the cylinders;
 - (iii) specification of the cylinder and the valve;
 - (iv) previous approval, if any;
 - (v) the test and inspection certificates in respect of the cylinders;
 - (vi) the test and inspection certificate pertaining to the valves fitted or to be fitted to the cylinder;
 - (vii) a scrutiny fee as per Schedule V.
- (3) (a) The test and inspection certificate required to be obtained from the inspecting authority in respect of cylinder and valve inspected and certified by it in accordance with the approved design and specification or code shall contain the information specified in Schedule II.
 - (b) The Chief Controller may grant approval after making such inquiry, if any, as he may consider necessary, shall accord necessary permission for production of proto type;
 - (c) The physical evaluation of the manufacturer such as, inspection, testing, quality control facilities and witnessing the type testing of the prototype may be carried out by technical officers nominated by the Chief Controller along with inspecting authority to assess the capability of the firm to undertake the manufacture of the product by a technical team which shall submit an inspection report along with its recommendations to the Chief Controller.
 - (d) The Chief Controller on receipt of satisfactory compliance of the requirements specified in clauses (a) and (b) and after examining all the aspects of the inspection report, and making such inquiry, if any, as he may consider necessary, shall, subject to the other provisions of the Act and these rules ,by an order in writing either grant the approval to the manufacturer initially for a period of one year which may further be extended after receipt of satisfactory performance report or refuse to grant the same.
 - (e) In case of foreign manufacturers seeking approval, additional fees shall be paid as per Schedule V for physical evaluation of the unit:

Provided that if the Chief Controller grants approval without conducting the inspection, he shall issue provisional permission pending physical evaluation to the manufactured cylinders or valves for a period which may require for conducting physical evaluation of the manufacturing facilities as stipulated in clauses (b) and re-evaluation of the foreign manufacturer's unit shall be carried out once in a period of every five years.

- (f) While granting approval to a foreign manufacturer, his proven track record, manufacturing experience of ten years and widely distributed market share shall be considered before following the procedure laid down in sub-rule (3) (a) to (e).
- (g) Scrutiny fee to seek subsequent approval for any change in respect of design drawing shall be paid as specified in Schedule V.
- (4) (a) Any person desiring to manufacture cylinders, valves, LPG regulators attached to self-closing valves, multi-function valves and other fittings shall obtain approval from the Chief Controller and in order to seek such approval, submit the particulars set forth in Schedule III and a scrutiny fees as Per Schedule V together with design drawings and calculations duly endorsed by inspecting Authority.

- (b) Scrutiny fee to seek subsequent approval for any change in respect of design drawing shall be paid as specified in Schedule V.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), cylinders of specifications as amended from time to time not conforming to the specifications specified in Schedule I, imported into India for filling and shipment to the country of origin or supply to a foreign going vessel touching Indian port, could be filled with such gas, provided, namely:-
 - (a) the cylinder has passed the hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, within the period specified in these rules and the pressure applied during the test shall be the test pressure marked on the cylinder;
 - (b) the cylinder is not filled with-
 - (i) any liquefiable gas in excess of the filling ratio specified in IS:3710 for low pressure liquefiable gases and IS:15975 for high pressure liquefiable gases;
 - (ii) any permanent gas at a pressure in excess of the pressure for which the cylinder is designed;
 - (c) a separate record of the cylinder tested and filled is maintained at the filling station;
 - (d) the filled cylinders are removed from the filling station and shipped off as expeditiously as possible.
- 4. Valve.- (1) Valve fitted to gas cylinder shall comply in all respects with the following specifications, namely:
 - i. in respect of industrial gas cylinder and CNG on-board cylinder, IS:3224;
 - ii. in respect of medical gas cylinder, IS:3745;
 - iii. in respect of cylinder used with breathing apparatus, IS:7302 as amended from time to time;
 - iv. in respect of cylinder used for filling liquefied petroleum gas, IS:8776 for cylinder of water capacity not exceeding five liters and, IS: 8737 for cylinder of water capacity exceeding five liters;
 - v. in respect of auto LPG container IS:15100;
 - vi. in respect of small refrigerant cylinder IS:12300
 - vii. in respect of LPG regulators fitted to LPG cylinder, IS:9798.
 - viii. in respect of the valve fitted to the cryogenic container-Codes accepted by the Chief Controller.
 - ix. in respect of valve conforming to other standard as approved by the Chief Controller:

Provided that the Chief Controller may, if he is of opinion that it is necessary so to do in the public interest, permit the use of valves and LPG regulators not conforming to the specifications.

- (2) Valve fitted to Carbon Dioxide cylinder shall be provided in the body with a safety release consisting of softened copper disc so arranged as to burst at a pressure between 200 kg/cm² and 220 kg/cm².
- (3) Valve for cylinder containing flammable gases not listed in IS: 3224 shall have outlets provided with left handed screw threads for the pipes or other connections.
- (4) All other valves shall have outlets with right-handed screw threads.
 - (5) The valve shall be attached to the cylinder neck by screwing and not by making any permanent attachment or inserting adapter in between.
 - (6) The design of spindle-operated valve shall be such that when fitted to the cylinder, it shall not be possible to withdraw the spindle under normal operating conditions.
- 5. Safety relief devices (1) The cylinders manufactured in India, if fitted with safety relief devices in their bodies, shall have such safety devices manufactured and maintained in accordance with IS: 5903.
 - (2) The cylinders containing obnoxious or poisonous gases shall not be provided with any safety device.

Explanation.-For the purposes of this sub-rule, "obnoxious or poisonous gases" include Carbon monoxide, Hydro-cynic acid, Hydrogen chloride, Hydrogen bromide, Hydrogen fluoride, Sulphur dioxide, Chlorine, Methyl bromide, Nitrogen tetra oxide, Nitrosyl chloride, Town gas, Hydrogen sulphide, Carbonyl chloride (Phosgene), Cyanogen, Cyanogen chloride, Fluorine and Carbon oxychloride.

(3) The cylinders manufactured in foreign countries, approved for use in this country, if fitted with safety relief devices shall have these devices fully maintained in accordance with the requirements of the specification to which they were originally made.

- **6.** Markings on cylinders.- (1) The markings on cylinder shall be as follows:-
 - (a) Every cylinder shall be clearly and permanently marked in accordance with following conditions by stamping, engraving or similar processes, namely:-
 - (i) on the shoulder of the cylinder which shall be reinforced by forging or other means; or
 - (ii) on such a part which is inseparably bound with the cylinder and which is not or only negligibly effected by the stresses due to the gas pressure within it;
 - (b) the name plate shall not be affixed to the cylinder by soldering if there is a risk of corrosion or embitterment;
 - (c) in conjunction with the original marking, space shall be provided for stamping the test date obtained at the periodic inspection;
 - (d) markings shall be so carried out and the letters and numerals used shall be of such shape and size that the marking is clear and easily readable and does not give place for misreading.
 - (2) The marking on permanent and liquefiable gas cylinder shall be as follows:-
 - (a) Every cylinder shall be marked with the following markings, namely:--
 - (i) Manufacturer's, owner's and inspector's marking and rotation number (these markings shall be registered with the Chief Controller);
 - (ii) specification to which the cylinder has been made:
 - (iii) a symbol to indicate the nature of heat treatment given to the cylinder during manufacture or after repairs;
 - (iv) the date of the last hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, with the code mark of recognised testing station where the test was carried out and the code mark shall be registered with the Chief Controller and in the case of liquefied petroleum gas cylinders, the quarter and the year of test shall be given as an additional marking in a neck or on a shoulder plate;
 - (v) working pressure and test pressure;
 - (vi) tare weight.

Explanation. – For the purposes of this sub-clause, in the case of liquefiable gas cylinder, tare weight shall include the weight of valve fitted to the cylinder.

- (vii) water capacity;
- (viii) marking "H" for Hydrogen and embritling gases;
- (ix) marking of expiry date on CNG On-board cylinders, other CNG cylinders, and auto LPG containers.
- (b) All the markings, except the manufacture's markings, which may be on the base, shall be stamped on the neck end of the cylinder: seamless cylinders having no foot ring or skirt shall be stamped with the manufacturer's marking on the neck end of the cylinder.
- **7. Markings on valve.-** The valve fitted to the cylinder shall be clearly and durably marked in accordance with the following provisions by stamping, engraving or similar processes, namely:
 - i. the specification of the valve;
 - ii. year and month or quarter of manufacture
- iii. manufacturer's symbol;
- iv. working pressure;
- v. the name or chemical symbol of the gas for which the valve is to be used;
- vi. the type of screw threads on the outlet, in case of left handed as (L.H.);
- vii. inspector's stamp;
- viii. where dip tubes are provided, special indications shall be given by a clear and durable marking on the valve or on a badge fixed between the valve and the cylinder and the total length in millimeter of the tube shall also be indicated.
- **8. Identification colours -** (1) Every person filling any cylinder with any compressed gas shall, before it is stored or dispatched, shall ensure that the cylinder is painted with appropriate identification colours specified in IS:4379 for industrial cylinders, IS:15683 or IS:2878 for fire extinguishers and IS:3933 for medical cylinders.

(2) The cylinders used for new gases and gas which identification colours are not provided in sub- rule (1) shall be painted with the colours indicated in the following table, namely: -

Name of the gas contained in the cylinder	Colour of the cylinder shell	Colour of band at neck end of cylinder
Non-flammable and non-toxic	White	
Non-flammable but toxic	White	Yellow (IS 5 shade No.356).
Flammable but non-toxic including other than the LPG	White	Red (IS 5 Shade No.537)
Flammable and toxic	White	Red and Yellow (IS 5 shade Nos.537 and 356)
Gas mixture (not covered in IS:4379 or IS:3933)	Major gas colour	Minor gas colour with and width approximately 1/5 th of the cylinder length
Fire Extinguishers	Red	Red (IS:5 shades 536 and 538)

Note:- The cylinders intended for gas mixtures shall be marked with the words "Gas Mixture ' or "Mixed Gas" and in addition, the cylinders shall be marked with the names (symbols, if necessary) of the components of the mixture by stamping, if the cylinders are intended for the permanent use of the particular gas mixture, or by painting, if the cylinders are intended for the casual use of the particular gas mixture.

- (3) No person shall in any way interfere with or change the colour painted on a gas cylinder:
 - Provided that nothing in this sub-rule shall prohibit the re-painting of a cylinder with the identification color painted on it when it is required for the maintenance of the cylinder or when a cylinder is converted from one gas service to another gas service in accordance with these rules.
- 9. **Labeling of cylinders.**—(1) Every cylinder shall be labeled with the name of the gas and the name and address of the person by whom the cylinder was filled with gas.
 - (2) Every cylinder intended to be exported shall be labeled with the name of the gas as per HAZCHEM UN NO. in line with ISO: 7225.
 - (3) A warning in the following terms shall be attached to every cylinder containing permanent or liquefiable gas, namely: -

"WARNING"

Gas Cylinders, Rules, 2016

- (i) Do not change the colour of this cylinder.
- (ii) This cylinder shall not be filled with any gas other than the one it now contains.
- (iii) No flammable material should be stored in the close vicinity of this cylinder or in the same room in which it is kept.
- (iv) No oil or similar lubricant shall be used on the valves or other fittings of this cylinder.
- (v) Please look for the next date of test, which is marked on a metal ring inserted between the valve and the neck of the cylinder, and if this date is over, do not accept the cylinder for filling.
- **10. Restriction on delivery or dispatch of cylinder.-** (1) No person shall deliver or dispatch any cylinder filled with any compressed gas to any other person in India who is not the holder of a licence to possess such gas cylinder or to his authorised agent unless he is exempted under these rules to possess compressed gas cylinder without a licence.
 - (2) The gas cylinder delivered or dispatched by a person under sub-rule (1) shall be of the type for which he is licensed and shall not exceed the quantity which the person to whom it is delivered or dispatched is authorised to possess under these rules.
 - Nothing in sub-rules(1) and (2) shall apply to the delivery or dispatch of gas cylinder to the defence forces of the Union, port authorities or railway administration and other paramilitary forces:

Provided that this sub-rule shall not be applicable for co-operative societies run by the welfare associations of these organisations.

- 11. Repairing of seamless gas cylinders during use.- No person shall repair or cause to repair any leakage in the body of a seamless gas cylinders.
- **12. Repairing of welded or brazed cylinders.-** (1) Welded or brazed cylinder showing leaks at any place other than the welded or brazed seams shall not be repaired and shall be rendered unserviceable.
- (2) In the case of cylinders having welded or brazed seam, repairing of minor defects such as dents, damages of foot rings, valve protection rings and other protective fitments may be allowed provided
 - (a) the defects have been removed by grinding, chipping, gouging or other approved methods;
 - (b) the repairing is carried out by a certified welder at the premises of a manufacturer of cylinders or premises approved by the Chief Controller under supervision of a qualified and experienced person;
 - (c) the cylinder is properly heat-treated after the repairs;
 - (d) the welded or brazed seams of the cylinder are radio graphed if the cylinder was originally required to be radio graphed after its manufacture;
 - (e) after repairs and heat-treatment, the cylinder is subjected to the same pneumatic and hydrostatic test or hydrostatic stretch test as was done at the time of manufacture.
 - (3) Welded or brazed cylinder, before repairing, shall be thoroughly cleaned and gas-freed or otherwise prepared for safely carrying out hot work and certified in writing, by an employed person of the company having experience in the relevant field, to have been so prepared and the certificate shall be preserved for a period of three months and produced to the Chief Controller on demand.
 - (4) No person shall refill any cylinder which has been repaired under sub-rule (2) with any gas unless a full report on the repairs and test carried out on the cylinder, accompanied by the repairer's certificate of testing are furnished to the Chief Controller and his permission is obtained for its refilling.
 - (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), no repairs shall be carried out to any dissolved acetylene gas cylinder showing leaks in its weld seam.
- (6) Scrutiny fee as prescribed in Schedule -V.
- 13. Prohibition of employment of children and intoxicated person. No child under the age of eighteen years and no person who is in a state of intoxication shall be employed in-charge of loading or unloading or transport of any compressed gas cylinder or in any premises licensed under these rules.
- **14. Prohibition of smoking, fire, light and dangerous substances: -** (1) No person shall smoke and no fire, other than blow pipe flame for repairs, or no articles or such other substances of flammable nature or liable to spontaneous ignition or to cause or communicate fire or explosion shall be allowed at any time in proximity to a place where any cylinder for flammable gases is being filled, stored or handled.
- (2) No person in or near any place where cylinders containing flammable gases are filled, stored or handled shall have in his possession matches, fuses, mobile phone or any other appliance for producing ignition or explosion.
- **15. General precautions.** (1) The cylinder together with its valve and other fittings and the identification colours under these rules shall always be maintained in good condition.
- (2) No oil or similar lubricant shall be used on any valves or other fittings of any cylinder.
 - (3) Save as provided in rule 12 and clause B2(1)(b) of Schedule IV, no cylinder shall be subjected to any heat treatment or exposed to a high temperature or to the Sun or stored with any other flammable or explosive material.
 - (4) Every cylinder containing compressed gas shall have its valve securely closed so as to prevent leakage. Valves fitted to the cylinders containing liquefied petroleum gas and highly toxic gases like Boron Trifluoride, Carbon Monoxide, Fluorine, Hydrogen Chloride, Cyanogen Chloride, Chlorine Trifluoride, Hydrogen Cynide, Hydrogen Fluoride, Hydrogen Sulphide, Methyl Bromide, Nitrogen Tetroxide, Chlorine, Ammonia or Sulphur dioxide shall be provided with security plug on the outlet to act as a secondary means of safeguard against leakage of gas.
 - (5) If a leak in the valve cannot be rectified by tightening the gland nut or the spindle, the cylinder shall be removed to an open space where it is least dangerous to life and property and the filler shall be informed and in the case of LPG cylinder, the safety cap shall be fixed to arrest the leak and the cylinder shall be moved to an open space.
 - (6) Proper neutralisation or scrubbing system shall be provided in the cylinder filling and storage area for toxic and corrosive gases.

- (7) Adequate emergency handling equipments or kits and protective equipments like hand gloves, gas masks, breathing apparatus, goggles, gum boots shall be provided in the toxic, corrosive and flammable gas storage shed.
- (8) An efficient alarm with operating switch in the premises shall be provided in toxic and corrosive gas storage area so that in the case of emergency, the alarm can be heard in the control room by operating the switch in the premises.
- **16. Special precautions against accidents.-** (1) No person shall commit or attempt to commit any act, which may tend to cause a fire or explosion in or about any place where gas under pressure in a cylinders are stored, handled or transported.
- (2) Every person storing compressed gas cylinders and every person in charge of or engaged in the storage handling and transport of such gas cylinders, shall at all times-
 - (a) comply with the provisions of these rules and the conditions of any licence relating thereto;
 - (b) observe all precautions for the prevention of accident by fire or explosion;
 - (c) prevent any person from committing any acts referred to in sub-rule (1).
- 17. Competent person to be in charge of operations.- Every person holding or acting under a licence granted under these rules, shall, whenever cylinders are filled, loaded, unloaded, examined or tested, depute a competent and experienced person to be present and to conduct any of the said operations in accordance with provisions of these rules and the name, qualification and experience of such personnel deputed in each shift shall be furnished to the Chief Controller or Controller for considering filling permission round the clock.
- **18. Handling and use. -** (1) The cylinder shall be adequately supported during handling.
 - (2) Conveyors, trolleys and cradles of adequate strength shall, as far as possible, be used when moving the cylinders and care shall be taken to avoid any damage to the cylinder valve.
 - (3) The cylinders shall be handled carefully and not be allowed to fall upon one another or otherwise subjected to any undue shock.
 - (4) Sliding, dropping or playing with cylinders is prohibited.
 - (5) Liquefied petroleum gas cylinder and cylinders containing liquefiable gases shall always be kept in an upright position and shall be so placed that they cannot be knocked over.
 - (6) The cylinders used in horizontal position shall be so secured that they cannot roll.
 - (7) Open flames, lights, mobile phones, lighting of fires, welding and smoking shall be prohibited in close proximity to any cylinder containing flammable gases except those while in use for welding, cutting or heating.
 - (8) Working places shall not be classified as storage places for the purpose of licensing.
- **19. Restriction on filling. -** (1) Welded cylinders shall not be used for filling any permanent or high pressure liquefiable gas like Boron trifluoride, Carbonyl chloride (Phosgene), Chlorine trifluoride, Cyanogen, Cyanogen chloride, Hydrogen cyanide, Hydrogen sulphide:
- (2) For export, compressed gases may be filled at lower pressure subject to the provisions of International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) or Agreement concerning to the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and with prior approval of the Chief Controller.
- (3) No cylinder which has once been used for storage and transportation of coal gas, carbon monoxide, Compressed Bio Gas, Hydrogen ,CNG, Coal Bed Methane and methane shall be used for filling with any other gas except mixture of these gases with inert gases.
- (4) No cylinder shall be filled with any gas that is capable of combining chemically which may endanger its serviceability.
- 20. **Loading, unloading and transport of cylinders or cascade.** The cylinders or cascade filled with any compressed gas shall be transported after duly complying the provisions laid down in Schedule VI and also observing the relevant provisions of other statutes, as applicable.
- **21. Storage of cylinders.-** (1) The cylinders shall be stored in a cool, dry, well ventilated place under cover, away from boilers, open flames, steam pipes or any potential sources of heat and such place of storage shall be easily accessible.
- (2) The storage room or shed shall be of fire resistant construction.
- (3) Thin wall cylinder such as liquefied petroleum gas cylinder and dissolved gas cylinder shall not be stacked in a horizontal position.

- (4) The cylinders containing flammable gases and toxic gases shall be kept separated from each other and from cylinders containing other types of gases by an adequate distance or by a suitable partition wall.
- (5) The cylinders shall not be stored under conditions, which will cause them to corrode.
- (6) The cylinders shall not be stored along with any combustible material.
- (7) Empty cylinders shall be segregated from the filled one and care shall be taken that all the valves are tightly shut.
- 22. Electrical installations.-In premises for filling and storing flammable gases in cylinder all electric meters, distribution boards, switches, fuses, plugs and sockets, all electric fittings, fixed lamps, portable hand lamps and motors, shall be of flame proof construction conforming to IS or IEC-60079-1, IS or IEC-60079-11 or any other standard as approved by the Chief Controller and shall be effectively earthed.
- 23. Purity of gas.- (1) The compressed gases shall be free from impurities, which are likely to corrode the metal of the cylinder or form an explosive substance with it or cause the gases to decompose or explode.
 - (2) The gases shall be as dry as possible and in no instance shall the aqueous phase separate when a liquefied gas is cooled to 0° C.
 - (3) Before filling any cylinder with gases like carbon monoxide, coal gas, hydrogen or methane, the gas shall be free from hydrogen sulphide and other sulphurous impurities as far as practicable and the moisture shall be less than 0.02 g/m^3 of gas at normal temperature and pressure.
- (4) The purity of gas shall conform to the relevant Indian Standard accepted by Chief Controller.
- **24.** Cylinder subjected to the action of fire.- (1) (a) A cylinder exposed to fire shall not be used unless it has undergone proper examination and hydrostatic or hydrostatic stretch test.
- (b) If deleterious structural changes in the material due to the action of heat of the fire are apprehended to have taken place, the cylinder shall have to be subjected to proper heat treatment, followed by hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, before the cylinder is taken into use.
- (2) Dissolved acetylene cylinder, which have been damaged by fire shall be condemned and destroyed by a person conversant with hazards involved in handling of dissolved acetylene cylinder and also capable of handling a situation arising out of accidental explosion of cylinder during condemnation.
- **25. Ownership of cylinder.-** A cylinder shall not be filled with a compressed gas and transported unless it was charged by or with the written consent of the owner of the cylinder.
- **26. Re-testing of cylinder.-** A cylinder for which prescribed periodical re-test has become due shall not be charged and transported until such re-rest has been properly carried out as per the codes accepted by Chief Controller.
- **27. Owner's record.** The owner of a cylinder shall keep record for the life of each cylinder, containing the following information regarding each cylinder, namely:-
 - (i) cylinder manufacturer's name and the rotation number;
 - (ii) the specification number to which the cylinder is manufactured;
 - (iii) date of original hydrostatic test or hydrostatic stretch test or pneumatic test;
 - (iv) cylinder manufacturer's test and inspection certificate;
 - (v) number and date of letter of approval granted by the Chief Controller.
- **28. Conversion of cylinders** (1) The cylinders designed and approved for filling with a particular gas shall not be used for filling with any other gas unless specific approval is obtained from the Chief Controller:

Provided that inert gas, oxygen and compressed air cylinder made to the same specification and design, tested and certified as per rule 26 may be converted from one gas to another after fitting with appropriate valve and painting with appropriate identification colour without prior permission from the Chief Controller, with approval of the cylinder owner by following ISO: 11621 or any other code accepted by Chief Controller for such conversion of the cylinders:

Provided further that the gas filler and the owner of the cylinder shall maintain proper records of conversion for examination of the Chief Controller or Controller as and when needed.

- (2) Any person desiring for conversion approval shall submit to Chief Controller the following documents, namely:-
 - (i) documentary evidence indicating that the cylinders have been purchased by him;
 - (ii) an authenticated copy of letter permitting filling of the cylinders in the past;
 - (iii) a statement in duplicate, showing manufacturer's serial numbers of the cylinders in ascending order;
 - (iv) a certificate to the effect that the cylinders had not been converted to any other gas service in the past;

(v) scrutiny fee as specified in Schedule V.

CHAPTER III IMPORTATION OF CYLINDERS, VALVES AND LPG REGULATORS PART I GENERAL

- **29.** Licence for import of gas cylinders. (1) No person shall import any gas cylinders filled or intended to be filled with any compressed gas except under and in accordance with the conditions of a licence granted under these rules and the relevant provisions of Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).
 - (2) No person shall import any valve and LPG regulator intended to be fitted on the gas cylinder except under and in accordance with the conditions of approval or licence granted under these rules.
 - (3) The person importing cylinders shall have necessary infrastructure, handling transportation and storage facility including emergency action plan and qualified and trained technical manpower.
 - (4) If the import of the cylinders filled with compressed gas is exceeding the quantity exempted under rule 44 of these rules, licence to store compressed gas in cylinders granted in Form F is obligatory.

Part II IMPORTATION BY SEA

- **30. Declaration by the master of ship or ship's agent. -** (1) The master of every ship carrying cylinder filled with compressed gas for importation into India, or the agent for such ship, shall give, the Conservator of the Port not less than forty-eight hours notice of its intended arrival at the port.
 - (2) The master of every ship carrying such cylinders shall deliver to the pilot, before entering any port, a written declaration under his signature in Form A:
 - Provided that if the agent for such ship delivers to the Conservator of the Port a written declaration referred to in sub-rule (2) under his signature, no such declaration shall be made by the master of the ship.
 - (3) Every declaration delivered to a pilot under sub-rule (2) shall be made over by him without delay to the Conservator of the Port and all declarations received by the Conservator of the Port shall be forwarded by him, with all convenient dispatch, to the Commissioner of Customs of the Port.
- **31. Production of licence for import.-** Every person desiring to import cylinder filled with any compressed gas or intended to be so filled, valve and LPG regulator shall produce personally or through his agent, before the Commissioner of Customs his licence for the import of such gas cylinder, valve or LPG regulator, as the case may be.
- **32. Permission of the** Commissioner of Customs. (1) No imported cylinder, valve and LPG regulator shall be landed except with the permission of the Commissioner of Customs.
 - (2) If the Commissioner of Customs is satisfied that the gas cylinder, valve and LPG regulator can lawfully be imported, he shall permit it to be landed.
 - (3) Nothing in this rule shall affect the power of the Commissioner of Customs to detain the gas cylinder, valve and LPG regulator under any other law for the time being in force.

Part III

IMPORTATION BY LAND

33. Importation by land.- No gas cylinder filled with any compressed gas, valves and LPG regulators shall be imported by land save with the previous sanction in each case, of the Central Government and under such conditions and restrictions as it may impose.

Part IV IMPORTATION BY AIR

34. Importation by air.—No cylinder filled with any compressed gas shall be imported by air save with the previous sanction in each case of the Director General of Civil Aviation.

CHAPTER IV

EXAMINATION AND TESTING OF CYLINDERS

35. Periodicity of examination and testing of cylinders.- (1) No person shall fill any cylinder with any compressed gas unless the cylinder has been examined and subjected to hydrostatic test or hydrostatic stretch test, as the case may be, and other tests set forth in Schedule IV within such period as is specified in IS:15975 issued by Bureau of Indian Standards or as approved in writing by the Chief Controller.

- (2) Any testing station desiring to obtain recognition for periodical testing and examination of cylinders shall provide the facilities set forth in Schedule IV and shall submit to Chief Controller the particulars of the facilities provided and a scrutiny fee specified in Schedule V.
- (3) The cylinder testing stations approved by the Chief Controller shall have the facilities for evacuation of cylinders, neutralisation or scrubbing for toxic and corrosive gases and cylinder condemnation.
- (4) Permission for cylinders testing station shall initially be granted for a period of one year, which may be extended to a maximum period of ten years subject to the production of valid ISO accreditation certificate issued by any nationally or internationally accredited agency, testing records for the period of validity and on payment of fee as specified in Schedule V.
- **36. Condemning of cylinder.-** (1) Any cylinder which fails to pass periodic examination or test or which loses in its tare weight by over five per cent. or which for any other defect is found to be unsafe for use or after expiry of the service life of the cylinder, shall not be filled with any compressed gas and shall be destroyed by flattening it as a whole or after being cut into pieces in such a manner that the pieces cannot again be joined together by welding or otherwise to form a cylinder under intimation to the owner of the cylinder as specified in IS: 8198.

Explanation- For the purposes of this rule, service life of on-board CNG cylinders and other CNG cylinders to be twenty years and auto LPG containers made of low carbon steel to be fifteen years unless otherwise specified in the respective codes.

- (2) All markings on the cylinder shall be defaced before it is destroyed.
- (3) History sheets or records of such cylinders shall be closed and kept on record for a period of two years and reports of the details of closed history sheets or records shall be sent to the Chief Controller, in writing, on the 1St of January, April, July and October every year.
- (4) A cylinder, which has been used for the generation of any gas or for any purpose other than storage, transportation and use of compressed gas shall be deemed to have been condemned and unsuitable for such use as a cylinder within the meaning of these rules.
- (5) A cylinder due for condemnation as per sub-rules (1) to (4) shall be destroyed by the cylinder testing station.

CHAPTER V DISSOLVED ACETYLENE GAS CYLINDERS

- **37.** Additional requirements for dissolved acetylene cylinders.- The dissolved acetylene gas cylinder shall comply with following additional provisions, namely:-
 - (i) The porous substance shall fill as completely as possible the cylinder into which the acetylene is compressed.
 - (ii) The porosity of the substance shall not exceed ninety two percent and in no case shall be less than seventy five percent.
 - (iii) Any solvent used shall not be capable of chemical reaction with the acetylene gas or with the porous substance or with the metal of the cylinder.
 - (iv) If acetone is used as a solvent it shall comply with the requirements of IS: 170, the quantity of acetone including the gas in solution shall be such that the cylinder meets the requirements of additional tests specified in IS: 7312.
 - (v) The valves of the cylinders shall not contain more than seventy percent copper in their composition.
 - (vi) The pressure in the cylinder shall not exceed 16 kgf/cm² at a temperature of 15°C.
 - (vii) Every cylinder shall before being filled with porous mass be tested by hydrostatic pressure to a pressure of not less than 60 kgf/cm². This pressure may be reduced to 53 kgf/cm² if the cylinder is fitted with fusible plug. No cylinder which shows a permanent stretch in excess of 7-1/2 percent of the total stretch suffered during hydrostatic stretch test shall be allowed.
 - (viii)The safety relief device if fitted shall operate at a pressure of 53 kgf/cm² or at a temperature of 100° C + 4° C/ -2° C.
 - (ix) Every cylinder shall have permanently and conspicuously marked upon it or upon a brass plate soldered to it the name of the manufacturer and the words "Acetylene properly compressed into porous substance" and shall bear the following markings, namely:-

- (a) Serial number and identification of manufacturer;
- (b) number of the standard;
- (c) test pressure;
- (d) the date of hydrostatic stretch test with code mark of the place where the test was carried out;
- (e) date of filling of porous mass;
- (f) water capacity;
- (g) a symbol to indicate the nature of heat treatment;
- (h) identification of porous mass and porosity percentage;
- (i) tare weight (inclusive of valve);
- (j) inspector's official mark;
- (k) maximum gas capacity.

Explanation: Acetylene cylinders are designed for a specified charge of acetylene, the quantity of the gas is determined in relation to the nominal quantity of the solvent. Complying with the appropriate ratio of gas and quantity of the solvent is one of the conditions for the safe operation of the cylinder. Excess solvent may result to a hydraulically full cylinder that, when subjected to temperature increase, can develop extremely high internal pressures. Shortage of the solvent will result in the cylinder becoming less resistant against decomposition due to flashback. Solvent replenishing of the acetylene cylinders is therefore essential and this operation shall therefore be carried out with due care before refilling of the cylinders with acetylene gas.

- **38. Restriction on filling of dissolved acetylene in cylinders.-** No person shall charge with acetylene any cylinder unless he is in possession of full particulars and the previous history of such cylinder and has otherwise assured himself that the cylinder complies with the requirements of these rules.
- **39.** Examination of dissolved acetylene cylinders before filling.- (1) Whenever a cylinder is charged with acetylene, it shall be subjected to a thorough visual examination in accordance with IS:8433,
- (2) If the history of cylinder shows that it has not been subjected to an examination under sub-rule (1) within the previous two years, the valve shall be removed and the conditions of the porous substance at the neck of the cylinder shall be ascertained at that time:
 - Provided that the period of periodical examination shall be one year in case the cylinders are filled with loose porous mass.
- **40.** Licence for compression of acetylene.- The compression of the acetylene gas into a cylinder shall be carried out only on such premises as are licensed by the Chief Controller or Controller.
- **41. Record of dissolved acetylene cylinders.-** (1) Each firm charging acetylene in cylinders shall keep a record of every cylinder charged by it and this record shall give the following information, namely: -
 - (a) for each charge,-
 - (i) the date of charging of the cylinder;
 - (ii) the empty cylinder weight without gas;
 - (iii) the weight of solvent charged before gas charging;
 - (iv) full weight of the cylinder;
 - (b) the dates on which solvent has been added;
 - (c) the dates on which the cylinder has been thoroughly examined as provided in rule 39, the results of each such examination and the name of the person carrying out such examination, and in the case of cylinders first issued by the firm, the tare weight of the cylinder including porous substance and acetone or other solvent, the nature of the solvent and the maximum pressure allowed in the cylinder.
 - (2) The record shall be open for inspection of the Chief Controller or the Controller of Explosives.
- **42. Labeling of dissolved acetylene cylinders.-** A warning label attached to every dissolved acetylene cylinder shall, in addition to the particulars given in sub-rule (2) of rule 9 bear the following additional particulars, namely: -
 - (a) date of last filling of gas in the cylinder;
 - (b) weight of gas filled;
 - (c) full cylinder weight;
 - (d) the name of the company filling the gas on the last date of the filling.

CHAPTER VI

FILLING AND POSSESSION

- **43.** Licence for filling and possession.- (1) No person shall fill any cylinder with compressed gas and no cylinder filled with compressed gas shall be possessed by anyone except under and in accordance with the conditions of a licence granted under these rules.
- (2) The licensee shall be responsible, for all operations connected with the filling and possession of cylinders in the licensed premises.
- **44.** No licence needed for possession in certain cases.- Notwithstanding anything contained in rule 43, licence shall not be necessary for-
 - (a) possession of any cylinder filled with a compressed gas by a carrier or other person for the purpose of transport in accordance with the provisions of these rules;
 - (b) possession of cylinders for own use and not meant for sale or trading filled with,-
 - (i) any flammable and non-toxic gas when the total number of cylinders containing such gas does not exceed twenty five or the total weight of gas does not exceed 200 kg., whichever is less, at a time;
 - (ii) any non-flammable non-toxic gas when the total number of such cylinders does not exceed two hundred at a time;
 - (iii) any toxic gas when the total quantity of such cylinders does not exceed five at a time;
 - (iv) acetylene gas contained in cylinder in dissolved state when the total quantity of such cylinder does not exceed twenty five at a time.
 - (c) The provisions of sub-clause 44(b) shall not be applicable for liquefied petroleum gas when the total quantity of gas does not exceed 100 kg at a time for own use, distribution or sale from a sales room belonging to the dealer or distributor of respective oil marketing company.
 - Notwithstanding anything contained in rule 43, licence shall not be obligatory for working places where LPG cylinders are directly connected to the manifold, but the requirements of IS:6044 Part-1 shall be complied with ,such manifold installations and shall be constructed adapting the sound engineering practices and the quantity of the LPG at any point of the time shall not exceed the limits prescribed in IS-6044 Part-1;
 - **45**. **Restriction on filling.-** No person shall fill any cylinder with any compressed gas unless such a cylinder and its valve or other fittings -
 - (a) are of approved type and standard as per rule 3 and has been specifically approved for filling by the Chief Controller:
 - (b) have passed the examination and test specified in rule 35; and
 - (c) conform to the provisions of rules 4,5,6,7 and 8.
- **46. Working pressure and filling ratio.** (1) The working or internal pressure in any cylinder charged with a permanent gas shall not exceed the multiplication factor of the test pressure prescribed in cylinder manufacturing code.
- (2) The cylinder charged with liquefiable gases shall not be filled in excess of the filling ratios specified in IS: 3710 for low pressure liquefiable gases and IS: 15975 for high pressure liquefiable gases or any other code accepted by Chief Controller.
- **47. Prior approval of specification and plan of premises proposed to be licensed.-** (1) Every person desiring to obtain a licence to fill and store any compressed gas in any cylinder shall submit to the Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller-
 - (a) specification and plan drawn to scale in triplicate clearly indicating
 - (i) the manner in which the provisions prescribed in these rules shall be complied with;
 - (ii) the premises proposed to be licensed, the area of which shall be distinctly coloured or otherwise marked;
 - (iii) the surrounding area lying within 100 metres of the edge of all facilities which are proposed to be licensed;
 - (b) a scrutiny fee of as specified in Schedule V.

- (2) If the Chief Controller or Controller after scrutiny of the specification and plan and after making such inquiries as considered necessary, satisfied that compressed gas will be filled and stored in the premises proposed to be licensed, according to the provisions of these rules, he shall return to the applicant one copy of each of the specification and plan signed by him conveying his sanction subject to such conditions as may be specified.
- **48.** No Objection Certificate.- (1) An applicant for a licence in Form "F" for storage of flammable, toxic or corrosive gases for the purpose of sale or trading and not for own use, shall apply to the District Authority with two copies of site plan showing the location of the premises proposed to be licensed under these rules.
- (2) An applicant for licence in Form "G", for CNG dispensing station, shall apply to the District Authority with two copies of site plan showing the location of the premises proposed to be licensed under these rules.

The District Authority, if satisfied, shall grant no objection certificate to the applicant receiving a licence for the above purpose at the site proposed, and shall forward it to the Chief Controller or Controller with his application.

- (3) The requirement of "No Objection Certificate" under sub rule (1) shall not be applicable for a licence in form "F" for storage of flammable, toxic or corrosive gases forming part of cylinder filling plant.
- (4) Every certificate issued by the district authority under sub-rule (1) and (2) shall be accompanied by a copy of the plan of the proposed site duly endorsed by him under official seal.
- (5) The Chief Controller or Controller may refer an application not accompanied by a certificate granted under sub-rule (1) and (2) to the District Authority for its observation.
- (6) If the District Authority, either on a reference being made to him or otherwise, intimate to the Chief Controller or Controller that any licence which has been applied for should not be in his opinion, granted, such licence shall not be issued without the sanction of the Central Government.
- **49. Application for licence or approval.-** (1) A person intending to obtain or renew a licence or approval under these rules shall submit an application, in writing, to the Chief Controller or Controller,-
 - (a) in Form 'B' along with following document for a licence prescribed in sub-rule (1) of rule 51; and
 - (b) in Form 'C' along with following document for a licence prescribed in sub-rule (2) of rule 51.
- (2) The following documents shall be submitted in duplicate to the licensing authority for grant of approval for manufacture of cylinder, valve and LPG regulator namely:-
 - (i) fee as per Schedule V;
 - (ii) application in Schedule III for the manufacture of cylinders, valves and LPG regulators along with all the relevant documents;
 - (iii) the ISO accreditation or equivalent certificate issued by any nationally or internationally recognised agency within a period of one year from the date of approval;
 - (iv) list of relevant code, specification and technical literature available;
 - (v) ownership proof for legal and physical possession of the land, where such facilities are proposed to be set up;
 - (vi) detailed report on manufacturer, inspection and testing proposed to be followed;
 - (vii) design drawing scheme of manufacture and testing of cylinder, valve and, regulator proposed to be manufactured duly vetted by Bureau of Indian Standard or any other recognised third party inspection agency; and
 - (viii) organisational set up of the applicant with specific reference to qualifications and experience of the personnel engaged in the manufacture of cylinder, valve and LPG regulator;
- (3) The following documents shall be submitted in duplicate to the licensing authority for grant of approval for cylinder testing station and hot repair of LPG or welded cylinders, namely:-
 - (i) fee as per Schedule V;
 - (ii) ownership proof for legal and physical possession of the land, where such facilities are proposed to be set up;
 - (iii) applicant's name and full address with telephone numbers and E-mail address;
 - (iv) proposed location of cylinder testing station or hot repairing facilities;
 - (v) six copies of each site and layout plan showing the area for degassing in case of flammable gas cylinder testing station and details of neutralisation facilities in case of toxic gas cylinder testing and location of various testing equipments in the cylinder testing shop;
 - (vi) specification or code proposed to be adopted for the testing and examination of cylinder or hot repair of LPG or welded cylinder;

- (vii) organisational set up of the applicant with specific reference to qualification and experience of the personnel engaged in the testing of cylinder or hot repair of cylinder.
- (viii) quality control check or test carried out at each stage of testing and examination of cylinders or hot repair of LPG or welded cylinder;
- (ix) details of template or gauge provided to check or test;
- (x) steps taken to check the accuracy of testing and checking equipment and frequency of such checking;
- (xi) equipment available for carrying out non-destructive examination such as Gama ray or X-ray equipment, viewer, etc., for radiographic examination, ultrasonic flaw detector, equipments for dye penetration and magnetic particle tests, etc;
- (xii) proforma of the record and certificate for various test carried out by the cylinder testing station or hot repairing shop;
- (xiii) the ISO accreditation certificate issued by any nationally or internationally recognised agency within a period of one year from the date of approval; and
- (xiv) list of relevant code, specification and technical literature available;
- **50. Grant of licence or approval.-** (1) A licence or approval, as the case may be, under these rules may be granted by the Chief Controller or Controller on payment of the fee specified in Schedule V.
 - (2) A licence or approval under sub-rule (1) shall be granted if the provisions of these rules are complied with by the applicant.
 - (3) Every licence or approval granted under these rules shall be subject to the conditions specified therein.
 - (4) When the licensing authority grants a licence in Form 'E', 'F' or 'G', after conducting inspection of the premises to ensure conformity of the premises to the provisions of the Act and these rules, the authority shall endorse the licence and from the date of such endorsement, the licence shall come into force.
- (5) If the licensing authority observes on inspection, that the premises do not conform to the provision of the Act and rules and not fit for endorsement, he shall communicate to the licensee, his direction for rectification of deficiency; or reasons for not endorsement of the licence or reasons for suspension and revocation of the licence, as the case may be.
- **51. Period for which licence may be granted or renewed.-** (1) A licence in Form 'D' for the import of cylinder filled or intended to be filled with compressed gas, valve and LPG regulator may be granted for such period as the Chief Controller may deem necessary subject to a maximum of one year.
 - (2) A licence in Form `E', 'F' or `G' for filling or storage of compressed gases granted or renewed under rules shall remain in force till the 30th day of September of the year up to which the licence is granted or renewed subject to a maximum of ten years.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller, where he is satisfied that a licence is required for a specific work which is not likely to last up to the 30th day of September of the year up to which the licence is granted or renewed may grant or renew a licence for such a period as is necessary.
- **52. Particulars of licence or approval.** (1) Every licence or approval granted under these rules shall be subject to the conditions specified therein and shall contain all the particulars, which are contained in the Form specified under these rules.
- (2) One copy of the plan or plans for the licensed premises signed in token of approval by the Chief Controller or Controller shall be attached to the licence, which shall form part of such a licence, and an identical copy shall be filed for record in the office of the Chief Controller or Controller.
- 53. Prior approval necessary for alteration in the licensed premises.-(1) No alteration shall be carried out in the licensed premises until the plan showing such alteration has been approved in writing by the Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller.
- (2) A person wishing to carry out any alteration in the licensed premises shall submit to the Chief Controller or Controller-
 - (a) three copies of a properly drawn plan to scale, of the licensed premises showing in distinct colours the proposed alterations and the reason thereof;
 - (b) scrutiny fee as per Schedule V.

- (3) If the Chief Controller or Controller, after scrutiny of the plan showing the proposed alteration and after making such enquiries as he deems fit, is satisfied that the proposed alteration may be carried out, he shall return to the licensee one copy of the plan signed by him and conveying his sanction subject to such condition or conditions as may be specified.
- (4) The holder of the licence shall apply to the Chief Controller or Controller for the amendment of the licence as soon as the sanctioned alteration has been carried out.
- (5) No addition or alteration carried out in the licensed premises sanctioned by the Chief Controller or Controller shall be brought into use unless the licence is received by the licensee duly amended.
- **54.** Amendment and transfer of licence or approval.- (1) Any licence or approval granted under these rules may be amended or transferred by the Chief Controller or Controller authorised by the Chief Controller.
- (2) The fee for amendment of a licence shall be as per Schedule V plus the amount, if any, by which the fee that would have been payable if the licence had originally been issued in the amended form, exceeds the fee originally paid for the licence.
- (3) A licensee who desires to have his licence amended shall submit to the Chief Controller or Controller-
 - (i) an application duly filled in and signed in Form 'B' if the licence has been granted in Form 'D' and in Form 'C' if the licence has been granted in Form `E', 'F' or `G';
 - (ii) the licence sought to be amended together with the approved plans attached to it;
 - (iii) where any alterations in the licensed premises have been carried out, three copies of the properly drawn plans showing the alterations sanctioned under rule 53 by the Chief Controller or Controller;
 - (iv) fee for the amendment of the licence as specified in sub-rule(2) of Rule 65.
- (4) The holder of a licence in form `E', 'F' or `G' may, at any time before the expiry of the licence, apply to the licensing authority to transfer the licence to another person and every application for such transfer of a licence shall be accompanied with -
 - (i) a letter signed by the holder of the licence indicating the full name and postal address of the person to whom he intends to transfer the licence and give complete possession of the licensed premises;
 - (ii) the licence sought to be transferred together with the approved plan or plans attached to it;
 - (iii) an application in Form 'C' duly filled and signed by the person to whom the licence is sought to be transferred; and
 - (iv) fee as per schedule V in the manner prescribed in rule 65.
- **55. Renewal of licence or revalidation of approval.** (1) A licence or approval may be renewed or the validity may be extended by the Chief Controller or Controller.
 - (2) Every licence granted in Form `E''F' and `G' under these rules, may be renewed for a maximum period of ten years at a time where there has been no contravention of the provisions of the Act or any rules framed there under or of any condition of the licence so renewed.
 - (3) Where a licence or approval, which has been renewed for more than one year, is surrendered before its expiry, the renewal fee paid for the un-expired portion of the licence shall be refunded to the licensee provided that no refund of renewal fee shall be made for the year during which the Chief Controller or Controller receives the renewed licence for surrender.
 - (4) Every application for the renewal of a licence or approval shall be accompanied by the licence or approval, which is to be renewed together with or without approved plans attached to the licence, and the renewal fee.
- (5) Every application for the renewal of a licence or revalidation of approval shall be made so as to reach the licensing authority on or before the date on which it expires and if the application is so made, the licence shall be deemed to be in force until such date as the Chief Controller or Controller renews the licence or until an intimation that the renewal of the licence is refused has been communicated to the applicant.
- (6) Where the renewal of a licence or approval is refused, the fee paid shall be refunded to the licensee after deducting there from the proportionate fee for the period beginning from the date from which the licence or approval was to be renewed up to the date on which renewal thereof is refused.
- (7) The same fee shall be charged for the renewal of a licence or approval for every twelve months for the grant of such renewal: Provided that-
 - (a) if the application with accompaniments required under sub-rule (4) is not received within the time specified in sub-rule (5) but received not later than three months the licence or approval shall be renewed or revalidated only on payment of a fee amounting to twice the fee ordinarily payable;

(b) if such an application with accompaniments is received by the Chief Controller or Controller after three months from the date of expiry but not later than one year from the date of expiry, the licence or approval may, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, be renewed or revalidated on payment of late fee at the rate of one year licence or approval fee for every delay of three months or part thereof:

Provided further that in the case of an application for the renewal or validity extension of a licence or approval for a period of more than one year at a time, the fee prescribed under the first proviso, if payable shall be paid only for the first year of renewal.

- (8) No licence or approval shall be renewed or revalidated if the application for renewal or revalidation is received by the Chief Controller or Controller after one year of the date of its expiry.
- (9) Renewal or validity extension of approval granted for cylinder manufacturing unit, valve manufacturing units and LPG regulator manufacturing unit, cylinder testing station, hot repair or reconditioning station for LPG and other welded cylinder shall be done for a maximum period of ten years on submission of following documents on or before expiry of approval, namely:-
 - (i) renewal or revalidation application or request on company letter head duly signed by director or occupier or authorised signatory of the company;
 - (ii) payment of the renewal or revalidation fees as prescribed in Schedule V;
 - (iii) manufacture report or testing record or repairing records for entire period of validity of approval, valid ISO accreditation certificate issued by any Nationally and Internationally accredited agency for the entire period of validity of the approval before the expiry of the approval;
 - (iv) an undertaking signed by director or occupier or authorised signatory of the company to the effect that there is no change in the organisational set up and technical manpower during the period of validity of approval;
 - (v) original approval copy; and
 - (vi) any other documents as specified by the Chief Controller.
- (10) The same fee shall be charged for the renewal or validity extension of approval for every twelve months for the grant of such renewal or validity extension.
- (11) The validity of approval granted for cylinder manufacturing unit, valve manufacturing unit and LPG regulator manufacturing unit, cylinder testing station, hot repair or reconditioning station of LPG and other welded cylinder, shall be effective from the date of issue of approval.
 - **56. Refusal of licence or approval.-** (1) The Chief Controller or Controller refusing to grant, amend, renew or transfer a licence or approval shall communicate the reasons thereof to the applicant.
- (2) The applicant or licensee shall be given an opportunity of being heard before any refusal of licence or approval as the case may be.
 - **Suspension and cancellation of licence or approval.** (1) Every licence or approval granted under these rules shall be liable to be suspended or cancelled by an order of the licensing authority for any contravention of the provisions of the Act or rules framed there under or of any condition contained in such licence, or by an order of the Central Government, if at any time the continuance of the licence in the hands of the licensee is deemed objectionable:
- (2) Before passing an order suspending or cancelling a licence or approval under sub-rule (1),
 - (a) the holder of the licence or approval shall be given an opportunity of being heard;
- (b) the maximum period of suspension under sub-rule (1) shall not exceed three months; and
- (c) the suspension of a licence or approval shall not debar the holder of the licence from applying for its renewal in accordance with the provisions of rule 55.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) an opportunity of being heard may not be given to the holder of a licence or approval before his licence or approval is suspended or cancelled in cases-
- (a) where the licence is suspended by the licensing authority as an interim measure for violation of any of the provisions of the Act or these rules, or of any condition contained in such licence or approval or in his opinion such violation is likely to cause imminent danger to the public:
 - Provided that where a licence or approval is so suspended, the licensing authority shall give the holder of the licence or approval an opportunity of being heard before the order of suspension is confirmed;

- (b) where the licence or approval is suspended or cancelled by the Central Government, if the Government considers that in the public interest or in the interest of the security of the State such opportunity should not be given.
 - (4) The Chief Controller or Controller or the Central Government suspending or cancelling a licence under sub-rule (1), shall communicate the reasons thereof to the applicant except when the licence or approval is suspended under sub-rule (2).
 - **58.** Procedure on expiration, suspension or cancellation of licence or approval.- A person licensed to fill or store compressed gas shall, on the expiration, suspension or cancellation of such licence, forthwith give notice to the Chief Controller or Controller of the nature and quantity of compressed gas in his possession and shall comply with the directions which the Chief Controller or Controller may give in regard to its disposal.
 - **59. Appeal.-** (1) An appeal shall lie with the Central Government against any order passed by the Chief Controller refusing to grant, amend or renew a licence or cancelling or suspending a licence and to the Chief Controller against any order passed by the Controller.
 - (2) Every appeal shall be in writing and accompanied by a copy of the order appealed against and shall be presented within sixty days of the order passed along with fee as per Schedule V.
 - **60. Procedure on death or disability of licensee.-** If a licensee dies or becomes insolvent or mentally incapable or is otherwise disabled, the person carrying on the business or legal heir of such licensee shall not be liable to any penalty or confiscation under the Act or these rules for exercising the powers granted to the licensee during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for a new licence or approval or transfer of the existing licence or approval in his own name:
 - Provided that nothing in this rule shall be deemed to authorise the exercise of any power under this rule by any person after the expiry of the period of the licence or approval.
 - **61. Loss of licence or approval.-** Where a licence or approval granted under these rules is lost or accidentally destroyed, a duplicate copy of the licence may be granted on submission of a copy of the plan or plans identical with those attached to the licence and on payment of a fee as per Schedule V.
 - **62. Production of licence or approval on demand.** (1) Every person holding or acting under a licence or approval granted under these rules shall produce it, or an authenticated copy of it, at the place to which the licence or approval applies, when called upon to do so by any of the officers specified in rule 71.
 - (2) Copies of any licence or approval may, for the purposes of this rule, be authenticated by the authority, which granted the licence or approval—
 - (a) on payment of a fee as per Schedule-V in the manner prescribed in rule 65 for each authenticated copy; and
 - (b) on the submission of a copy of the plan identical with the approved plan attached to the licence or approval.
 - **63. Procedure on report of infringement.-** The District Authority shall inform the Chief Controller or Controller of the action taken by him on any report of infringement of the Act or of these rules, which the Chief Controller or Controller may make to him.
 - **64.** Executive control over authorities.- Every authority, other than the Central Government, acting under this Chapter shall perform its duties subject to the control of the Central Government:
 - Provided that nothing in these rules shall be deemed to affect the power of executive control of the Chief Controller over the officers subordinate to him.
 - **65.** Licence fee and fee other than licence fee.- (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, revise the fee as specified in Schedule V from time to time.
 - (2) All fee payable under these rules shall be paid through crossed demand draft drawn on any Nationalised or Scheduled Bank in favour of the Chief Controller of Explosives or Controller of Explosives payable at respective places, as the case may be or by online payment where such facility is provided.

CHAPTER VII

66. Power to exempt.- If the Chief Controller is satisfied that in respect of any cylinder or any mode of conveyance, any of the requirements of these rules may be safely suspended or modified, he may, by written order, authorise such suspension or modification for such period and under such condition as he may think fit and such order may be revoked at any time:

Provided that the reasons for such suspension or modification shall be recorded in writing.

CHAPTER VIII

ACCIDENTS AND INQUIRIES

- **67. Notice of accident** (1) The notice of an accident required to be given under sub-section (1) of section 8 of the Act shall be given forthwith -
 - (a) to the Chief Controller or Controller under whose jurisdiction the area falls by Fax, e-mail followed by a letter giving particulars of the occurrence within twelve hours;
 - (b) to the District Authority concerned;
 - (c) to the officer-in-charge of the nearest Police Station by the quickest mode of communication.
- (2) Pending the visit of the Chief Controller or Controller or until instruction is received from the Chief Controller or Controller that he does not wish to make any further investigation or inquiry, all wreckage and debris shall be left untouched except insofar as its removal may be necessary for the rescue of the persons injured and recovery of the bodies of any persons killed by the accident or in the case of railway or road for the restoration of through communication or traffic.
- **68. Inquiry into accident.-** (1) Whenever as per subsection (1) of Section 9 of the Act
 - a District Magistrate or a Commissioner of Police or a Magistrate subordinate to a District Magistrate (hereinafter in this rule referred to as the Magistrate) holds an inquiry under subsection (1) of section 9 of the Act, he shall adjourn such an inquiry unless the Chief Controller or an officer nominated by him is present to watch the proceedings or the Magistrate has received written information from the Chief Controller or Controller that he does not wish to send a representative.
 - (2) The Magistrate shall, at least fourteen days before holding an adjourned inquiry, send to the Chief Controller notice in writing of the time and place of holding the adjourned inquiry.
 - (3) Where an accident has been attended with loss of human life, the Magistrate, may before the inquiry is adjourned under sub-rule (1) take evidence to identify the bodies and may order the internment thereof.
 - (4) The Chief Controller or his representative shall be at liberty at any such inquiry to examine any witness.
 - (5) Where evidence is given at an enquiry of any neglect as having caused or contributed to the explosion or accident or of any defect in or about or in connection with any installation or any vehicle appearing to the Magistrate to require a remedy and the Chief Controller or the officer nominated by him is not present at the enquiry, the Magistrate shall send to the Chief Controller notice in writing of the neglect or defect.
- **69. Inquiry into more serious accident.-** (1) Whenever an inquiry is held under section 9A of the Act, the person holding such inquiry shall hold the same in open court in such manner and under such conditions as they may think most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accident, and enabling them to make the report under this rule:

Provided that where the Central Government so directs, the inquiry may be held in camera.

- (2) Persons attending as witnesses before the enquiry court shall be allowed such expenses as would be allowed to witnesses to attending before a Civil Court subordinate to the High Court having jurisdiction in the place where the inquiry is held and in case of any dispute as to the amount to be allowed, the question shall be referred to the local Magistrate, who, on a request made by the enquiry officer, shall ascertain and certify the proper amount of such expenses.
- (3) All expenses incurred in or about an inquiry or investigation under sub-rule (2) of rule 69 shall be deemed to be part of the expenses of the Petroleum and Explosives Safety Organisation in executing the provisions of the Act.

CHAPTER IX

POWERS

- **70.** Dangerous practices.- (1) If in any matter which is not provided for by any express provision of, or condition of a licence granted under these rules, the Controller finds any compressed gas filling station or a storage place, where a cylinder is being filled or possessed, or any part thereof or anything or practice therein or connected therewith or with the handling or transport of compressed gas cylinders, dangerous or defective, so as, in his opinion, to tend to endanger the public safety or the bodily safety of any person, such Controller may by an order in writing require the occupier of such filling station or storage place or the owner of the cylinder to remedy the same within such time as may be specified in the order, and the said occupier shall carry out the orders within the specified time.
 - (2) Where the occupier or owner objects to an order made under sub-rule (1), he may appeal to the Chief Controller within the time specified in the order for compliance with it.
 - (3) Every appeal preferred under sub-rule (2) shall be in writing and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and shall be made within a period of thirty days from the date of the order appealed against.

- (4) If the occupier or owner fails to comply with an order made under sub-rule (1) within the time specified in it or, where an appeal is preferred under sub-rule (2), fails to comply with the order of the Chief Controller thereon within the time fixed in such order, he shall be deemed to have committed a breach of this rule.
- **71. Powers of inspection, search, seizure, detention and removal.-** (1) Any of the officers, specified in the first column of the Table below may exercise the powers specified in sub-section (1) of section 7 of the Act in the area specified in the corresponding entry in the second column of that Table.

TABLE

Officers	Area	
(1)	(2)	
1. The Chief Controller or Controller	The whole of India	
2.All District Magistrate	Their respective Districts	
3.All Magistrates subordinate to the District Magistrate	Their respective jurisdiction	
4.The Commissioner of Police and all Police Officers of rank not below that of Sub Inspector	Their respective jurisdiction	

- (2) The power of removal and destruction under clause (d) of sub-section (1) of section 7 of the Act shall not be exercised by any Magistrate or Police Officer except in accordance with the instructions of the Chief Controller or Controller.
- (3) Every facility shall be afforded to the officer specified in sub-rule (1) to ascertain that these rules are being duly observed.
- **72. Protection of action taken in good faith.-** (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or Chief Controller or Controller for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of these rules.
 - (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or Chief Controller or Controller for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of these rules.
- 73. Repeal and Savings: (1) The Gas Cylinders Rules, 2004 is hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal-
 - (a) all licenses or approvals granted or renewed under the said rules and all fees imposed or levied shall be, deemed to have been granted, renewed or imposed or levied, as the case may be under the corresponding provisions of these rules; and
 - (b) all approvals given and all powers conferred by or under any notification or rule shall, so far as they are consistent with the Act and these rules be deemed to have been given or conferred by or under these rules.

SCHEDULE I

[See rule 3(1)]

TYPES AND STANDARDS OF CYLINDERS OR VALVES AND LPG REGULATORS A. CYLINDERS AND CONTAINERS

1. INDIAN ORIGIN

(a) Cylinders.- Welded low carbon steel cylinders for low pressure liquefiable gases manufactured to IS:3196 Part 1, Part 2 & Part 4, IS:7142, auto LPG containers to IS:14899, DA cylinders to IS:7312 Cryogenic containers manufactured to EN-1251, EN 13458, ASME SEC VIII Div I and AD 2000 MB composite cylinders manufactured to EN-14427,IS0-11119-3 and EN -12245 or any other specification accepted by the Chief Controller certified by Bureau of Indian Standards or any other inspection authority approved by the Chief Controller.

Seamless Aluminum Alloy cylinder manufactured to ISO 7866 & IS 15660 by M/s. Luxfer Uttam India Pvt. Ltd., Faridabad certified by Bureau of Indian Standards or any other inspection authority approved by Chief Controller. Aluminum cylinder conforming to BS; 5045:Pt.3, ISO 7866 or EN equivalent specification. Seamless steel cylinders manufactured to IS: 7285 and CNG On-board cylinders manufactured to IS-15490 by M/s. Bharat Pumps & Compressors

Limited, Naini, Allahabad, M/s. Everest Kanto Cylinders Limited, Mumbai/(manufacturing unit at Tarapur, Aurangabad, Maharashtra, Kuchh in Gujarat and M/s .Maruti Koatsu Cylinders Limited, Halol, Gujarat ,M/S Rama Cyliders Pvt Ltd Kutchh ,Gujarat ,M/S Redson Industries Pvt Ltd AP ,M/S Sarju Impex Bharuch ,Gujarat M/S Euro

Cylinders ,M/s Lizer Cylinders kutchh , Gujarat---,M/S Shahuwala High Pressure Cylinders Vishakhapatnam, AP, M/S Confidence Petroleum India Ltd Vishakhapatnam, AP ,M/S Associate High Pressure Technologies Pvt Ltd Kutchh, Gujarat,M/S Nitin Cylinders Ltd Mumbai, M/S Jay Fe Cylinders Delhi, M/S Shaba Cylinders Pvt Ltd Ujjain M P ,Jumbo cylinders manufactured by M/S Everest Kanto Cylinders Limited manufactured to ISO-11120 certified by Bureau of Indian Standards or any other inspection authority approved by Chief Controller

(b) Containers. Tonners or containers manufactured to BS:1500, ASME Section VIII Division 1, IS:2825 by M/s. Asco Industrial Corporation, New Delhi, M/s. Indian Sugar and General Engg. Corporation, Yamunagar, M/s. Anup Engineering Ltd., Ahmedabad, M/s. Kosan Metal Products Pvt. Ltd., Mumbai, M/s. Meenakshi Associated Pvt. Ltd., Surajpur Dist. Ghaziabad, M/s. Titanium Equipment and Anode Manufacturing Co. Ltd., Chennai, M/s. Expo Gas Containers Ltd., Mumbai, and certified by an inspection authority approved by Chief Controller

2. AUSTRIAN ORIGIN

- (a) Cylinders conforming to BS:5045:Part 1:1982 for Halon-130I and FM 200 gas service as per approved drawings manufactured by M/s. Worthington Heiser Cylinders Gmbh, Austria Inspected and certified by Bureau Veritas
- (b) Cylinders conforming to BS: 5045: PartI: 1982 for permanent and liquefiable gases as per approved drawings manufactured by M/s. Worthington Heiser Cylinders Gmbh, Austria-inspected and certified by Bureau Veritas.
- (c) Seamless steel cylinders for CNG gas on-board service to ISO:11439-2000 specification, having working pressure 200 Bar and test pressure 335 Bar manufactured by M/s. Worthington Cylinders GmbH, Austria certified by M/s. Bureau Veritas as per approved drawings.
- (d) Cylinders conforming to EN:1964:1/1S0:9809-1 & EN: 1964:2/ISO:9809-2 for permanent and liquefiable gases as per approved drawings, manufactured by M/s. Worthington Heiser Cylinders Gmbh, Austria-inspected and certified by Bureau Veritas.

3. ARGENTINA ORIGIN

Seamless steel cylinders for CNG gas on-board service to ISO:11439-2000 having working pressure 200 Bar and test pressure 335 Bar manufactured by M/s. Argentoil S.A., Argentina certified by M/s. Bureau Veritas as per approved drawing

4. CHINESE ORIGIN

- (a) Seamless steel cylinders for high pressure gas cylinders conforming to IS:7285(Part1)2004, IS:7285(Part2)2004 & ISO:9809-1 specification manufactured by M/s. Beijing Tianhai Industry Co. Ltd., Beijing, China inspected and certified by Lloyds Register as per approved drawings.
- (b) Seamless steel cylinders for high pressure gas cylinders conforming to IS:7285 (Part2)2004 and ISO 9809-1 specification manufactured by M/s. Zhejiang Jindun Pressure Vessel Company Ltd China inspected and certified by M/s Bureau Veritas –Certified by BIS as per approved drawings.
- (c) Seamless steel cylinders for high pressure gas cylinders conforming to ISO: 9801-3 specification manufactured by M/s. Zhejiang Jindun Pressure Vessel Company Ltd China inspected and certified by M/s Bureau Veritas.

5. ITALIAN ORIGIN

- (a) Seamless steel cylinders for permanent gases (Air/Oxygen) conforming to BS: 5045: Part 1:1982 manufactured by M/s. Faber Industries S.P.A., Italy inspected and certified by Lloyd's as per approved drawings.
- (b) Seamless steel cylinders for compressed and liquefiable gases conforming to DOT: 3AA specification having water capacity 80.0 ltrs. & 120 ltrs. Working pressure 79 Bar and test pressure 132 Bar, manufactured by M/s. Faber Industries S.P.A., Italy- inspected and certified by M/s. Lloyd's as per approved drawings.
- (c) Seamless steel cylinders for CNG gas on-board service to ISO: 11439 having working pressure 200 Bar and test pressure 335 Bar manufactured by M/s. Faber Industries, S.p.a., Italy, certified by M/s. Lloyd's as per approved drawings.

6. SPAIN ORIGIN

Seamless steel cylinders for FM-200 gas service conforming to BS: 5045 Part 1 manufactured by M/s. Products Tubulares, s.a., inspected and certified by M/s. Lloyd's, as per approved drawings.

7. JAPAN ORIGIN

(a) Steel cylinders manufactured by M/s Showa Koatsu Kogyo Co. Ltd.—inspected and certified by Company's own Inspector or KHK or Lloyd' or Bureau Veritas conforming to specifications DOT:3AA:1800

and above, JIS;B:8241 relating to Manganese Steel for permanent gases and DOT:3A/DOT:3AA for liquefiable gases as per approved drawings.

(b) Steel cylinders manufactured by Kanto Koatsu – Yoki manufacturing Co. Ltd.- inspected and certified by company's own inspector or KHK or Bureau Veritas conforming to High Pressure Gas Safety Law Japan as per approved drawing.

8. POLISH ORIGIN

Auto LPG containers manufactured by M/s Stako, Poland made to ECE-R-67-01 specification, inspected and certified by Institute of Transport Technical Supervision as per approved drawings.

9. U.K. ORIGIN

- (a) Aluminum alloy cylinders conforming to BS: 5045:Pt. 3 or EN equivalent specification manufactured by M/s. Luxfur gas Cylinders, UK inspected and certified by Lloyd's or British Inspecting Engineers Ltd. as per approved drawings.
- (b) Seamless steel cylinders for permanent and Liquefiable gases conforming to BS:5045:Part I manufactured by M/s. UEF Chesterfield Cylinders, UK inspected and certified by Lloyd's or Bureau Veritas or British Inspecting Engineering Ltd., or any other appropriate authority as per approved drawings.
- (c) Seamless steel cylinders for permanent and liquefiable gases conforming to DOT: 3T specification manufactured by UEF Chesterfield Cylinders UD inspected and certified by British Inspecting Engineers Ltd., as per approved drawings.
- (d) Seamless steel cylinders for FM-200 gas service conforming to DOT:4BA:500 specification manufactured by M/s. Fike Protection & Systems, U.K., having water capacity 650 pounds, filling ratio 1.04 super pressurised with Nitrogen at 19.72 Bar as per approved drawing.
- (e) Seamless steel cylinders for CNG gas on-board service to BS:5045-1982 Part 1 having working pressure 200 Bar and test pressure 344 Bar manufactured by M/s. UEF Chesterfield Cylinder, Derbyshire, UK certified by M/s. British Inspection Engineers Limited as per approved drawings.
- (f) Carbon Composite cylinders (accessory to breathing apparatus) conforming to EN: 12245 Specification manufactured by M/s Dragger Safety UK Limited, inspected and tested by M/s Lloyd's Register as per approved drawings.

10. USA Origin

(a) Steel cylinders – inspected and certified by appropriate authority, conforming to specifications DOT: 3A/3AA for permanent and liquefiable gases manufactured by (1) M/s. Norris Cylinder Co., (2) M/s. Taylor Wharton Co., (3) M/s. Worthington Cylinder Co., (4) M/s. Norris Industries, (6) M/s. Harris Burg Steel Co. and (7) M/s. Pressed Steel Tank Co., as per approved drawings.

Aluminum alloy cylinders conforming to DOT: 3AL Specification manufactured by M/s. Luxfer Gas Cylinders, USA - inspected and certified by authorised Testing Inc. or Arrowhead Inc. as per approved drawings. 1) Seamless Aluminum Alloy cylinder manufactured to ISO 7866 M/s. Luxfer Gas Cylinders, France certified and inspected by M/s. Aparagaz, Belgium as per approved drawings.

Carbon composite aluminum lined gas cylinders conforming to EN 12245 Manufactured by Luxfer Gas Cylinders, France certified and inspected by M/s. Apragaz, Belgium as per approved drawings. Carbon Composite Aluminum lined gas cylinders conforming to HSE-AL-FW2/EN 12245/DOT-CFFC Manufactured by M/s. Luxfer Gas Cylinder USA, inspected and certified by M/s. Authorized testing Inc. or Arrowhead Inc. as per approved drawings.

- (b) Aluminum lined fully wrapped, carbon fiber composite type 3 CNG cylinders conforming to ISO:11439/ECE-R-110, EC 79, EN:12245-2009 manufactured by M/s. Luxfer Gas Cylinders GMBH inspected and certified by M/s. TUV Nord.
- (c) Tube cylinders conforming to ISO: 11120-1999 manufactured by M/s CP industries, inspected and certified by British inspecting Engineers Ltd as per approved drawing.
- (d) Carbon fiber reinforced plastic full composite cylinders conforming to DOT-SP 10945-2216 manufactured by Structural Composite Industries, inspected and certified by M/s TH Cochrane Laboratories Ltd. To be used for water mist fire fighting system as per approved drawing.
- (e) Fully wrapped carbon composite aluminum lined CNG cylinders conforming to ANSI NGV2-2000 Type 3&FMB SS304 specification manufactured by M/s Luxfer Gas Cylinders ,inspected and certified by M/s Authorised Testing Inc ./Arrowhead Industrial Services Inc., as per approved drawing.

11. GERMAN ORIGIN

- (a) Seamless steel cylinders for permanent and liquefiable gas service conforming to BS:5045/1/CM/S & DOT:3AA manufactured by M/s. Mannesmann Cylinders Systems Gmbh, Germany – inspected and certified by Lloyd's or TUV or any other authority as per approved drawings.
- (b) Aluminum lined fully wrapped carbon fibre composite type 3 CNG cylinders conforming to ISO: 11439/ECER-110, EN: 12245-2009 manufactured by M/s Dynetek Europe GmbH, inspected and certified by M/s TUV Norde.

12. NORWAY ORIGIN

Fully wrapped all composite LPG cylinders conforming to EN: 12245-2002/ manufactured by M/S Ragasco A.S Norway, inspected and certified by TUV as per approved drawings.

13. SWEDEN ORIGIN

Fully wrapped all composite LPG cylinders conforming to EN: 12245-2002 manufactured by M/s Composite Scandinavia AB, inspected and certified by M/s Inspecta Sweden AB, Stockholm/Det Norske Veritas as per approved drawings.

B. **VALVES**

1. Indian origin

LPG valves and regulators manufactured to IS:8776, IS:8737, IS:9798, multi function valve to IS:15100, valves in respect of medical gas cylinder to IS:3745 and valves in respect of cylinders used with breathing apparatus to IS:7302, certified by Bureau of Indian Standards and approved by the Chief Controller.

Valves in respect of industrial gas cylinder including CNG manufactured to IS: 3224 and certified by BIS or an inspection agency approved by Chief Controller.

Italian origin

CNG valve Model 119, 198/1, 120, VAL-B-305, VAL-B-323, VAL-B-315 manufactured by M/s. EMER S.r.l., Italy inspected and certified by Bureau Veritas OMB Saleri SPA Italy.

Multi function valve Model MULTIVALVOLA BRC EUROPA manufactured by M/s. M.T.M. s.r.l., Italy, Model No. EMER s.r.l. tipo E-67-01, EMER LANDI RENZO manufactured by Emer, s.r.l., Italy, Model MV-305 manufactured by M/s. Lovato S.p.a., Italy. Model OMVL, Tomesetto Achile, Borel GPL Grenoble, G.M.S. manufactured by M/s. Tomasetto Achile, Italy to specification ECE-R-67-01 with set pressure 2.2 MPa as per approved drawings. Residual pressure valve model VGE 3RAR 005-P1230 manufactured by Pergola S.R.L Con Socio Cavanga HP Division Italy conforming to ISO-10297 and ISO-15996.

Note: "approved" means approved by Chief Controller.

Note: An updated list of all the approvals is available on website http://peso.gov.in

SCHEDULE II [See rule 3(2)]

- (A) The test and inspection certificates to be obtained from the Inspecting Authority in respect of cylinders manufactured in accordance with the approved design and specification or Code shall include the following particulars, namely:--
- 1. Place and date of inspection. Gas cylinders for gas 3. Manufactured by 4. Location at Manufactured for Location for 7. Quantity
- Serial Nos. from...to.....inclusive
- Specification to which the cylinders are manufactured.....

	11. Minimum wall thickness
	12. Neck end threading as perspecification.
	13. Process of manufacture (whether spun type, or billet pierced or welded).
	14. Method of heat treatment
	15. Design working pressure in kg/cm ² at 15°C or 65°C as the case may be
	16. Hydrostatic test or hydrostatic stretch test pressure in kg/cm ² .
	17. Record of Hydrostatic test or Hydrostatic stretch test with date of test, in respect of each cylinder
	18. Pneumatic test pressure in kg/cm ²
	19. Result of pneumatic test
	20. Tare weight and water capacity of each cylinder
	21. Record of chemical analysis and physical properties of the steel used in the manufacture of cylinders
	22. Manufacturer's identification marks
	23. Inspector's mark
	24. Markings stamped on the shoulder of the cylinders
	25. Dated signature with stamp of the inspecting authority
(B)	The test and inspection certificate to be obtained from the Inspecting Authority in respect of valve manufactured in accordance with the approved design and specification or Code shall include the following particulars, namely:
	1. Manufactured by
	2. Location at
	3. Manufactured for
	4. Location at
	5. Quantity
	6. Specification
	7. Results of inspection
	(a) Valve inlet connection
	(b) Valve outlet connection
	(c) Valve outlet number
	(d) Hydraulic Pressure Test
	(e) Pneumatic Proof Test
	(f) Tensile strength
	(g) Elongation per cent
	(h) Impact strength
	(i) Quantity offered for inspection
	(j) Quantity passed
	(k) Quantity rejected and reasons for rejection
	8. Date and signature with stamp of the inspecting authority
	SCHEDULE III

[See rule 3(3)]

PARTICULARS TO BE SUBMITTED BY PERSON DESIRING TO MANUFACTURE CYLINDERS, VALVES AND OTHER FITTINGS

- 1. Applicant's name and full address with telephone No(s). and e-mail address
- 2. Whether the applicant has manufactured any pressure vessel/cylinder/container/valve, if yes-
 - (i) Date from which such container/valves were manufactured.

- (ii) For whom the container/valves were fabricated and their approximate numbers.
- (iii) Details of the containers/valves manufactured.
- 3. Specification/Codes proposed to be adopted for the manufacture of cylinders/containers/valves.
- 4. Organizational set up of the applicant with specific reference to qualifications and experience of the personnel engaged in the manufacture of cylinders/containers/valves.
- 5. Organizational set up of the inspecting personnel engaged by the applicant.
- Process of manufacture of cylinders/containers/valves, beginning with raw material and ending with the finished cylinders/containers/valves.
- 7. Quality control checks/tests carried out at each stage of manufacture of cylinders/containers/valves.
- 8. (i) Details of the equipment installed for chemical analysis and mechanical tests.
 - (ii) Details of templates/gauges provided to check/test.
 - (iii) Steps taken to check the accuracy of testing and checking equipment and frequency of such checking.
- Equipment available for carrying out non-destructive examination such as Gama Ray/X-ray equipment, viewer, etc. for radiographic examination, ultrasonic flaw detector, equipments for dye penetration and magnetic particle tests, etc.
- 10. List of machinery provided for manufacturing cylinders/containers/valves.
- 11. Name and address of the independent inspecting authority.
- 12. Records and certificates of tests:
- i) Proforma of records for various tests carried out by the inspecting and certifying organisation, and
- ii) Proforma of test and inspection certificate issued by the independent inspecting authority.
- 13. Whether the manufacturing unit has been certified under ISO or equivalent certification, (if so, documentary evidence thereof to be attached)

	14.	List of relevant of	codes, specifications	and technical literatur	e available
--	-----	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

	Signature	
Date:		
Place:	Name and designation	on
	SCHEDULE IV	
	[See rule 35]	

A. FACILITIES REQUIRED FOR CYLINDER TESTING STATIONS

Cylinder degassing and valve opening platform of size minimum 3x3 m having arrangement of water and cold flaring. Industrial type fencing of 2.0 m height shall be provided all around the cylinder degassing and valve opening platform at a distance of min 15 m for CNG or Hydrogen or any other flammable gas except LPG. Cylinder degassing and valve opening platform for LPG shall observe minimum 30.0 m clearance all around. Maximum 1.2 m wide entry gate to ensure that truck loaded with the cylinders shall not go inside the degassing area. Cemented pathway of 1.2 m width approaching up to the cylinder degassing and valve opening platform shall be provided for easy and safe movement of the cylinders. Maximum five cylinders shall be degassed at a time. The cold flaring shall be done through a vent stack of height not less than 6.0 Meters.

1. Management:

1.1 General requirement. — The personnel, equipments, inspection procedures, recording organisation shall be adequate and the test station will be operated with safe operating conditions. The procedures and testing shall ensure that cylinders, which fail to meet the requirements and intent of these rules, are not returned into normal service. All personnel shall fully recognise their individual responsibilities and that the minimum inspectional requirement shall not be lowered for any reason whatsoever.

Note - The area of responsibility shall be divided into three separate functions as indicated below. The numbers of personnel employed shall, however, be related to the quantum of work.

1.2 Manager —The manager responsible for the working of the test station shall be properly qualified; his qualifications shall include training on the dangers associated with gas cylinders, purpose of inspection, test methods, equipment, test requirements, and recording of test results, and he shall have appropriate technical qualification in Mechanical or Chemical Engineering. He shall also be conversant with the codes, specifications or regulations applying to the cylinders for which the test station is approved.

- **1.3 Supervisor.**—The Supervisor shall possess the following qualifications, namely-
 - (i) have at least two years' experience in the examination of gas cylinder;
 - (ii) be at least 21 years of age;
 - (iii) be conversant with these rules, codes, specifications or regulations applying to the cylinders for which the test station is approved.
- **1.4 Operator.**—Personnel conducting inspections and tests shall have qualifications and experience suitable for the work on which they are engaged. They shall be trained to understand the dangers associated with gas cylinders and the purpose and method of inspection.

2. Equipment:

- **2.1 Type of equipment.** --The test station shall have adequate equipment to carry out cleaning, inspection, testing and painting of cylinder as required under these rules and shall contain-
 - (i) one set of these rules, codes, specifications or regulations applying to the cylinders, which the test station is authorised to test. All these rules, codes, specifications and/or regulations shall be maintained with all current amendments.
 - (ii) hydrostatic test apparatus comprising pressurising equipment, pressure gauge and volumetric measuring equipment in accordance with IS:5844-hydrostatic stretch testing of compressed gas cylinders and the apparatus shall be equipped with at least two 15cm

diameter (minimum) working pressure gauges one being used as test gauge and other as master gauge.

Note: Cryogenic container shall be tested pneumatically at 1.1 times of the design pressure or as per the code accepted by the Chief Controller.

- (iii) non-destructive testing facilities like ultrasonic flaw detection with gauging measurement, acoustic emission techniques, etc. for detection of stress corrosion cracks or fatigue cracks developed during the service.
- (iv) dead-weight pressure gauge tester of appropriate pressure range or a master pressure gauge of 15cm minimum diameter covering the appropriate pressure range.
- (v) boroscope, extra-low voltage lamps to permit adequate internal viewing of cylinder and other lamp necessary for close examination of external surfaces.
- (vi) straight edge, template, miscellaneous tool and gauges for measurement.
- (vii) weighing equipment, where applicable.
- (viii) one set of standard test weight for the weighing machine, stamped by the relevant statutory authority.
- (ix) Adequate cylinder handling equipment.
- (x) Adequate cylinder draining equipment.
- (xi) Facilities for internal drying cylinders.
- (xii) Marking and stamping equipment.
- (xiii) Facilities for capturing photograph of the cylinder identification details.
- (xiv) Hardness testing tools.
- (xv) Painting booth fitted with exhaust fan of suitable capacity and draft.
- 2.2 Accuracy. —The accuracy of equipment shall be as follows: -
 - (i) Hydrostatic test apparatus in accordance with IS: 5844. Volumetric equipment shall be capable of measuring a permanent change in volume of the cylinder under test of the order of 1/20,000 of its total capacity.
 - (ii) weighing equipment error not greater than +0.1 per cent.
 - (iii) Working pressure gauge error not greater than 1 per cent of the pressure.
 - (iv) Master pressure gauge error not greater than 0.25 per cent of the full-scale deflection.
- 2.3 Calibration. —Calibration of equipment shall be carried out at periods not exceeding the following-
 - (i) Working pressure gauge -one month.
 - (ii) Master pressure gauge- six months.

- (iii) Weighing equipment-checked by test weight daily when in service.
- (iv) Test weights two years.
- Working conditions. -Working conditions for the test stations shall be conducive to accurate and safe inspection and testing of gas cylinders. The test station shall comply with the following conditions:-
 - (i) It shall have good lighting to permit ready external examination of gas cylinders, preferably including natural lighting.
 - (ii) It shall have adequate ventilation to remove residual gases from cylinders.
 - (iii) It shall provide sufficient space to permit safe working.
 - (iv) It shall be maintained in a clean dry condition.
 - 4. **Quality management system. -** The quality management system of a cylinder testing station for seamless steel or composite cylinder shall be got duly certified under ISO Standards from Bureau of Indian Standards or any other internationally reputed agency.

B. Testing of cylinders

- **1. Condition of cylinders for test.-** Cylinders forwarded to the test station for testing shall have first been emptied of their contents and then labeled as 'empty'. Irrespective of this label all cylinders other than cylinders at the manufacturers works shall be presumed to contain gas under pressure and the following precautions shall accordingly be observed:
- (i) The cylinder contents shall be released in a safe manner keeping in mind dangers associated with the nature of the gas in the cylinder. Cylinders, which contain or may have been contaminated by poisonous or obnoxious substances, shall be emptied only by test stations properly equipped and experienced to handle the particular gas or substance. Such cylinders shall be clearly labeled that they have been contaminated.
- (ii) The valve shall be opened and if no gas escapes and the port is not visibly blocked, a charge of low-pressure nitrogen or other inert gas shall be blown into the valve outlet. Discharge of gas after removal of the nitrogen supply indicated the cylinder is empty. When no gas discharges the valves shall be treated as "obstructed". Where a cylinder has contained poisonous or obnoxious substances, and the valve is suspected of being obstructed, the gas shall be released within an approved appliance and the valves shall be removed in such a manner that the gas escapes without danger to the operator.
- (iii) Should the valve be obstructed the contents of the cylinder shall be released in safe manner as stated in (i) above work on cylinders containing combustible gases shall be carried out in the open air in the degassing area.
 - Note.- A suitable method of dealing with a valve in which the spindle cannot be removed is to drill a $1/16^{\text{th}}$ in (1.6 mm) diameter hole with a hand drill through the valve body to the gas passage below the spindle seating. Alternatively, a fine-tooth hacksaw may be used. Drilling or sawing must be stopped immediately upon the first sign of escaping gas. A continuous jet of water must be directed on to the cutting tools and the operator must wear personal protective equipments (PPE).

2. Inspection of cylinders before carrying out hydrostatic/hydrostatic stretch test —

- (1) Prior to carrying out hydrostatic/hydrostatic stretch test, every cylinder shall be thoroughly cleaned by steam cleaning or washing out with approved solvents. Where the interior of the cylinder is affected by rust or other foreign matter it shall be cleaned by one of the following methods namely:-
 - (a) Shot blasting, rotary wire brushing;
 - (b) Burn out treatment carried out in a furnace at a temperature not exceeding 300°C for a period of not exceeding one hour after which all free rusts and any other foreign matter shall be removed by steam cleaning or washing with approved solvents.
- (2) The cylinders after cleaning shall be visually examined externally and as far as practicable internally for surface defect in accordance with the IS:5845, IS:8451, IS:13258, ISO:11623 as the case may be, or any other Code approved in writing by the Chief Controller.
- (3) The cryogenic containers shall be pneumatically tested at test pressure 1.1 times to the design pressure

3. Hydrostatic or hydrostatic stretch test or proof pressure test. —

- (1) For cylinders used for permanent gases, high pressure liquefiable gases and all toxic and corrosive gases: -
 - (i) The cylinders shall be subjected to hydrostatic stretch test in accordance with IS: 5844. The test pressure applied to the cylinder shall be retained for a period of not less than 30 seconds.
 - (ii) The permanent stretch suffered by the cylinder due to application of test pressure shall not exceed 10% of the total stretch Suffered during the test.

- (iii) Any reduction in pressure noticed during the retention of 30 seconds or any leakage, visible bulge or deformation should be treated as case of failure in the test.
- (2) For cylinders for low pressure non-corrosive liquefiable gases:
 - (i) The cylinder shall be subjected to hydrostatic test in accordance with IS: 5844 by non-jacket method except that the volumetric changes during the test need not be measured.
 - (ii) The test pressure shall be retained for a period of not less than 30 seconds. Any reduction in pressure noticed during this retention period or any leakage, visible bulge or deformation shall be treated as case of failure in the test.
 - (3) As soon as the test is completed, the cylinder shall be thoroughly dried internally and shall be clearly stamped on the neck and with marks and figures indicating the person by whom the test has been carried out and the date of test. Code mark of the person by whom the test has been carried out shall be registered with the Chief Controller.
- 4. Any cylinder which fails to pass periodic examination or test or which loses in its tare weight by over 5 per cent or which for any other defect is found to be unsafe for use and which cannot be repaired in accordance with rule 11 & 12 shall be reported to the owner of the cylinder and shall be destroyed by rendering the cylinder unusable as provided under rule 36.
- 5. **Records of test.**—Complete records of cylinders examined and tested at any testing station shall be maintained giving the following particulars, namely:-
 - (a) Name of the manufacturer and the owner of the cylinder.
 - (b) Rotation Number/cylinder serial number.
 - (c) The specification to which the cylinder conforms.
 - (d) Date of original hydrostatic/hydrostatic stretch test.
 - (e) Test reports and certificates furnished by the manufacturer, if available.
 - (f) Test pressure.
 - (g) Maximum working pressure.
 - (h) Water capacity.
 - Tare weight.
 - (j) Variation, if any, in the tare weight marked on the cylinder and actual tare weight.
 - (k) Condition of cylinder shell.
 - (1) Name of gas.
 - (m) Type of valve fitted, and
 - (n) Remarks, if any.
- Note: (1) The above particulars shall form the history card or record for each cylinder and all changes from time to time shall be indicated therein.
 - (2) The test station shall adopt procedures, which fully comply with the requirements of these rules and guidelines issued by Chief Controller from time to time.
- 6. Validity of cylinder testing station and hot repair or reconditioning approvals of LPG and welded cylinders.-Approval for cylinder testing & hot repair or reconditioning of LPG and welded cylinders shall be granted initially for a period of one year, which may be further extended for a maximum period up to ten years on production of valid ISO accreditation Certificate duly issued by any Nationally or Internationally accredited agency and record of test for the cylinders tested or hot repaired during the present validity and scrutiny fee as prescribed in Schedule V.

SCHEDULE V

All the fees shall be paid in the manner prescribed in sub rule (2) of rule 65 [See rules 3, 12, 28, 35, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62 and 65]

Sl. No.	Form of Licence	Purpose for which granted	Authority empowered to grant licence	Fees	Rupees
1	D	To import cylinder filled or intended to be filled with compressed gas to import valves and regulatorsfor LPG	Chief Controller	For the first 100 nos. cylinders or part thereof. Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. cylinders. Exceeding 500 nos. of cylinders Rs.4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. Scrutiny fees for Import of Valves and LPG Regulators each application.	2000 4000 1000
2	Е	To fill compressed gas in cylinders	Chief Controller or Controller	For each type of gas filled in the plant, namely (a) toxic, (b) non-toxic and non-flammable, (c) non-toxic and flammable, (d) dissolved acetylene gas, (e) non-toxic and flammable liquefiable gas other than LPG or (f) liquefied petroleum gas, as the case may be.	5000
3	F	a. To store compressed gas in cylinders in	Chief Controller or Controller	(i)For toxic and flammable gases (permanent as well as liquefied). Not exceeding 100 nos. cylinders.	2000
		storage shed attached to the filling premises b. To store compressed gas in cylinders in	Controller	Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. cylinders Exceeding 500 nos. of cylinders, Rs.4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. (ii)For non-toxic and non-flammable gases (permanent as well as liquefied):	4000
		storage shed other than attached to the filling premises		Not exceeding 500 nos. of cylinders Exceeding 500 nos. of cylinders, Rs.4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.	2000
				(iii)For liquefied petroleum gases:	
				Exceeding 100 Kg. But not exceeding 500 kgs	1000
				Exceeding 500 Kg. But not exceeding 2000 kgs	2000
				Exceeding 2000 Kg. But not exceeding 5000 kgs	4000
				Exceeding 5000 Kg. But not exceeding 10,000 Kgs	6000
				Exceeding 10,000 Kg. Rs. 2000/- every additional 5000 Kg. or part thereof.	
				(vi)For acetylene gas contained in cylinders in dissolved state	2000
				Not exceeding 200 cylinders	
				Exceeding 200 nos. of cylinders Rs. 2000/-for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof.	

4	G	To dispense	Chief	To dispense CNG as automotive fuel from	10000
		CNG as	Controller	a mother station, daughter station or a CNG online station	
		automotive fuel			
		from a mother			
		station, daughter			
		station or a CNG			
		online station			

B. FEES OTHER THAN LICENCE FEES

Sl.	Purpose	Fees	Rupees
No.	_	(Proposed)	(Proposed)
1	Issue of filling permission under clause B of sub-rule (1) of rule 3	Scrutiny fee for the first 100 nos. of cylinders or part thereof. Exceeding 100 nos. of cylinders Rs.2000/- for everyadditional 500 cylinders or part thereof	1000
		Note: Fee applicable for the cylinders filled and meant for export purpose irrespective of the nos of cylinder, scrutiny fee Only	1000
2	Approval of design for manufacture of cylinder or valve or LPG regulators under sub-rule (3) of rule 3	(a) Scrutiny fee for grant of manufacturing unit approval, with one year validity fee for the first time	10000
		(b) For subsequent approval of new design(c) For subsequent approval of any change in design(d) Annual fee for renewal of cylinder, valve	2000 1000
		and LPG, regulator manufacturing units.	2000
	Approval of design for manufacture of cylinder, valve, LPG regulator under sub rule 3(4) by foreign manufacturer	 (a) Scrutiny fee for grant of approval for manufacturing unit with one year validity fee for the first time. (b) For subsequent approval of new design (c) For subsequent approval of any change in design (d) Annual fees for renewal of cylinders, valves and, regulators manufacturing 	6,50,000 65000 13000 32500
3	Conversion of cylinder under subrule (2) of rule 28	units. Scrutiny fee for the first 10 nos. of cylinders or part thereof. Exceeding 10 nos. of cylinders Rs. 1000/- for every 100 numbers of Cylinders	400
4	Approval of cylinder testing station under rule 35 and hot repair of welded or brazed cylinder under rule 12	Scrutiny fee with one year validity fee for the first time Annual renewal fee for cylinder testing or hot repair approval.	10000 2000
5	Prior approval of specifications and plans under rule 47 or 53	Scrutiny fee	1000
6	Amendment of licence under rule 54	Scrutiny fee	1000
7	Issue of duplicate copy of licence under rule 61	Scrutiny fee	1000
8	Issue of authenticated copy of licence under rule 62	Scrutiny fee	1000

S1.	Purpose	Fees	Rupees
No.		(Proposed)	(Proposed)
9	For appeal against order of a licensing authority licencing authority if such appeal is preferred to central Govt. or Chief Controller	Scrutiny fee	1000

FORM A [See rule 30(2)]

Declaration to be made by the Master of Ship carrying cylinders filled with compressed gas/es before entering a port or by the ship's agent.

Name of ship

		*				
the filled cylinders natu gas whe	Name and nature of the	Total quantity carried in the ship		Quantity to be landed at port		Remarks
	whether non toxic, flammable, corrosive or toxic	No. of Cylinders	Kg. or M3 of gas	No. of Cylinders	Kg. or M3 of gas	

Dated the day of ,20

Signature of Master/Agent of ship (with official stamp

Form B (See rules 49 and 54)

Application for the grant/amendment/renewal/duplicate copy of a licence to import gas cylinders, valves and LPG regulators

- 1. (i) Name in which licence required:
 - (ii) Applicant's full postal address with PIN Code
 - (iii) Applicant's phone/mobile no.
 - (iv) Applicant's E-mail

- 2. Particulars of storage licence (Not applicable for Valves and LPG regulators) held by:
 - (i) Storage licence number or approval number issued by the Chief Controller/Controller:
 - (ii) Renewed/valid up to:
 - (iii) Capacity of the storage as per above licence:
 - (iv) Address for storage of Cylinders:
- 3. Description of the cylinders/Valves and LPG regulators to be imported:
 - (i) Number of Cylinders/Valves/LPG regulators:
 - (ii) Specification of cylinders/Valves/LPG regulators:
 - (iii) Name of the Manufacturer:
 - (iv) Inspected and tested by:
 - (v) Specification of the valves fitted to the cylinders:
 - (vi)*Filled with (in case of cylinders only)___ (True chemical name of the gas)
 - (vii)*Filling pressure at 15 C if filled with permanent gas or dissolved acetylene:
 - (viii) *Filling ratio, if filled with a liquefiable gas (in case of cylinders only)
 - (ix) Date of last hydraulic test in case of cylinders:
 - (x) Rotation numbers of cylinders/Sr. no. of valves/LPG regulators:
- 4. Name of the sea port/airport where cylinders/valves/LPG regulators are proposed to be imported:
- 5. Remarks:

Date of application:

Signature of Applicant

Note:_

- 1. Particulars marked with* are not required to be furnished if empty cylinders are desired to be imported.
- 2. Manufacturers test and inspection certificates complete in all respects pertaining to each lot of cylinders valves shall accompany this application.
- 3. In case cylinders are desired to be imported duly filled with gas, filler certificates in respect of subitems (vi), (vii) and (viii) of items shall be furnished.

FORM C

(See Rules 49, 54 and 55)

Application for the grant/amendment/renewal/ duplicate copy of a licence to fill and/or store compressed gas/es in cylinders:

Documents listed overleaf must be enclosed with this application, if it is for the grant of a licence in Forms `E', `F' & `G'.

1.	Applicant's details:	
(i)	Name in which licence required **	
(ii)	Applicant's full postal address with PIN Code	
(iii)	Applicant's telephone/mobile numbers:	
(iv)	Applicant's email ID:	
2. L	ocation of the premises where compressed gas/es at	re to be filled and stored:
(i)	Survey No./plot number:	
(ii)	Town or village:	
(iii)	District:	
(iv)	State:	

(v)	PIN Code:	
(vi)	Telephone numbers:	

3 Name and Nature of each compressed gas proposed to be filled/stored:

Type of the Gas	Name of the gas	No. of filling	Numbers of the filled
		points	cylinders/Kgs of gas/es proposed
			to be stored.
(i) Toxic			
(ii) non-toxic and non-flammable			
(iii) non-toxic and flammable			
(iv) dissolved acetylene gas			
(v) non-toxic and flammable liquefiable gas other than LPG or			
(vi) liquefied petroleum gas:			

4. Name and Nature of each compressed gas already filled/stored (applicable in case of amendment):

Type of the Gas	Name of the gas	No. of filling points	Numbers of the filled cylinders/Kgs of gas/es proposed to be stored.
(i) Toxic			
(ii) non-toxic and non-flammable			
(iii) non-toxic and flammable			
(iv) dissolved acetylene gas			
(v) non-toxic and flammable liquefiable gas other than LPG or			
(vi) liquefied petroleum gas:			

5.	Number of the licence/s held for the
	Premises (not applicable in new case)

- 6. Particulars of NOC issued by District Authority where applicable
- Particulars of CNG Dispensers/ Cascade & Compressors

(In case of Form 'G' licence)

Note: In the case of application for grant or amendment of licence in Form `G', particulars of the compressor, CNG cylinder cascades, CNG dispensers, etc. shall also be furnished.

I hereby declare that the statements made above have been checked up by me and are true and I undertake to abide by the norms and conditions of the licence, which will be granted to me.

Date of application

Signature and designation of the applicant

**Where the application is made on behalf of a company, the name & address of the company and the name of the Director/ Partner/ Manager of the company should be given and the application should be signed by him. Every change in the name of the Director/ Partner / Manager shall be forthwith intimated to and his specimen signature filed with licensing authority.

DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED WITH THIS APPLICATION FOR A LICENCE IN FORM $^{\backprime}E', \, ^{\backprime}F' \ \& \, ^{\backprime}G'$

(i) Four copies of specifications and plans approved under rule 47

(NOT REQUIRED FOR RENEWAL OF A LICENCE WITHOUT AMENDMENTS)

(ii) Licence together with approved plans and specifications attached thereto.

(NOT REQUIRED FOR THE FIRST GRANT OF A LICENCE)

- (iii) Requisite amount of licence fee for the grant, amendment or renewal of a licence paid in the manner specified in Rule 65.
- (iv) Documentary evidence in support of legal physical possession of the premises proposed to be licensed, copies of lease agreement, partnership deed/ memorandum and article of association, approval/ clearance/permit as applicable from the Local Administration etc.
- (v) An undertaking stating that all necessary clearances from revenue, fire, local administration, etc. have been obtained and the construction of the premises has been completed as per approved plan complying with all relevant requirements under these rules.
- (vi) No Objection Certificate from the District Authority under rule 48 in the case of application for licence in Form F for storage of flammable ,Toxic and/ or corrosive gases for the purpose of sale /trade or Form 'G'
- (vii) HAZOP Study or Disaster Management Plan in case of toxic and/or corrosive or flammable gases.
- (viii) SOP regarding toxic gas handling.
- (ix) Documents required to be submitted for renewal of cylinder manufacturing permission, valve manufacturing permission, LPG regulator manufacturing permission, cylinder testing permission and hot repairing permission-
 - (a) Renewal fees as prescribed in Schedule V
 - (b) An undertaking duly signed by director or authorised signatory of the company to effect that there are no changes in the organizational set up, plant machinery and manpower.
 - (c) Performance report for the period of last validity of the permission.
 - (d) Copy of valid ISO Certificate duly issued by BIS or any other accredited agency.
 - (e) Compliance of any other condition, if any imposed by the approving authority at the time of grant/ renewal of the approvals.

Fee Rs

FORM D

(See rules 50, 51 and 54) Licence to import Gas Cylinders, Valves and LPG regulators by Sea

1101		
Licence is hereby granted to M/s	. to import by sea at any one time cylinders	s, valves, LPG
regulators of the description given below at the port provisions of the Explosives Act, 1884 and the rules fraulicence.	E	3

Nο

The licence shall remain in force till the......20

- 1. Number of cylinders/valves/LPG regulators
- 2. Specification of cylinders (Code),
- (a) W.C.
- (b) W.P.
- (c) T.P.
- 3. Manufactured by.
- 4. Inspected and tested by.
- 5. Specifications of the valves fitted to the cylinders.
- 6. Filled with.....

(True chemical name of the gas)

7. Filling pressure at 15°C, if filled with permanent gas or dissolved acetylene.

- Filling ratio, if filled with a liquefiable gas.
- Date of last hydraulic stretch test.
- 10. Rotation numbers of cylinders.

The licence liable to be cancelled if the cylinders do not conform to the description given in the body of the licence and for contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of the licence is also punishable as provided for under Section 9B of the Explosives Act, 1884.

Conditions of Licence

- 1. This licence shall become void after the expiry of the period mentioned therein.
- Filled cylinders on becoming empty shall not be refilled with any gas except after obtaining prior 2. concurrence of the licensing authority.
- The licensee shall make prior arrangements for expeditious removal of the filled cylinders from the port of importation to authorized premises.

FORM E (See rules 50, 51 and 54) Licence to fill compressed gas in cylinder

Licence No	Fee Rs	
Licence is hereby gran	nted to valid only for the filling of cylinders with compressed	
gas in the licensed premises de	escribed below and shown in the plan No	
subject to the	e provisions of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made there under	
and to the further conditions o	f this licence.	
The licence shall remain in for	rce up to 30 th day of September, 20 the20	
	Chief Controller/Controller of Explosives	
	Description and location of the licensed premises	
	s, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached are situated at	
Type of gas		
(a) Toxic		
(b) non-toxic and non-fla	ammable	
(c) non-toxic and flamm	able	
(d) dissolved acetylene g	gas	
(e) non-toxic and flammable liquefiable gas other than LPG.		
(f) Liquefied petroleum	gas	
and is situated at		
Plot number) (Name of Street)	(village or town) (Police Station) (District)	
	Space for Endorsement of Renewals	

This licence should be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contraventions of Explosives Act, 1884 or Gas Cylinders Rules, 2016, framed there under or of the conditions of the this licence.	Date of expiry	Signature and office stamp of the licensing authority

The licence liable to be cancelled if the cylinders do not conform to the description given in the body of the licence and for contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of the licence is also punishable as provided for under section 9B of the Explosives Act, 1884.

CONDITIONS

- (A) 1. The licensed premises shall not be used for any purpose other than filling compressed gas into cylinders and keeping thereof for the time being and for the purpose connected therewith.
 - 2. No cylinder shall be filled with any compressed gas unless-
 - (i) such cylinder has been approved in writing by the Chief Controller for filling;
 - (ii) the cylinder has been examined and tested as required under the relevant rules.
 - 3. Before filling, every cylinder with its valve and other fittings shall be carefully examined to ensure that it complies in all respects with the relevant provisions of the rules before it is passed for filling.
 - 4. No cylinder shall be filled with any compressed gas in excess of the design working pressure and the filling ratio prescribed under the rule.
 - 5. Where it becomes necessary to change the valve and other fittings of the cylinder, a check shall be maintained on the tare weight originally stamped on the cylinder and necessary corrections made for any variation.
 - 6. No cylinder, which is not painted with appropriate colour, as prescribed in the rules shall be filled with any compressed gas.
 - 7. Compressing and filling apparatus for any gas shall be wholly distinct from and unconnected with the compressing and filling apparatus for any other gas.
 - 8. No cylinder shall be filled with any compressed gas between the hours of sunset and sunrise except in the manner and under such other condition(s) specially endorsed on the licence.

Provided that this shall not be applicable to non toxic non flammable gas filling plants with lighting or illumination conforming to IS: 6665 Code of practice for industrial lighting.

- 9. All electrical equipment such as motors, switches, starters, etc., installed in the premises used for compressing and filling of flammable gases shall be of flameproof construction conforming to IS :2148./IEC 60079(in lieu of IS 2148)
- 10. No artificial light capable of igniting flammable vapour or gas, mobile phones, etc. shall at any time be present at the premises during the filling of any compressed gas in cylinder and no person engaged in such filling shall smoke.
- 11. Every person managing or employed on or in connection with the licensed premises shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and which is not reasonably necessary and to the best of his ability, shall prevent any other person from doing such act.
- 12. The licensee shall provide at the licensed premises a minimum of two portable foam type or dry chemical type fire extinguishers of 10 kg. each BIS marked or approved which shall be kept ready at a convenient location for immediate use in the event of any fire in addition to other fire fighting or other mitigating facilities required for flammable or toxic gases.
- 13. All filling operations shall be supervised under the direct supervision of a competent person.
- 14. The licensed premises used for compressing and filling of liquefied petroleum gas shall at all time maintain a clear safety zone prescribed in OISD Standards 169 and 144 as the case may be, all round from any building, public place, public road or any adjoining property which may be built upon.
- 15. The licensed premises shall be constructed of non-flammable materials and adequately ventilated.
- 16. Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the licensed premises shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, District Magistrate and the Officer-in-Charge of the nearest Police Station and by quickest mode of communication.
- 17. Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable time to any of the officers listed in Rule 71 and every facility shall be afforded to such officer for ascertaining that the rules and the conditions of this licence are duly observed.

(B) Additional requirements for dissolved acetylene cylinder filling and storage plants:-

1. Safety devices shall be provided in the acetylene cylinder filling and storage plants to ensure that the pressure, temperature and flow levels are maintained within safe limits.

- 2. The equipments shall be designed, operated and maintained in such a way that during normal operation air or oxygen entry to the equipments is prevented, under pressure shall be prevented, air acetylene mixtures shall be safely eliminated by purging and excessive rise in temperature and pressure is prevented.
- 3. Regulators shall conform to ISO-7291 and high pressure hoses shall conform to ISO-14113. Hoses for high pressure acetylene shall have burst pressure not less than 1000 bar (100 MPa).
- 4. Flame arrestors or shut off devices shall be provided on all the strategic locations in the plant to arrest both ignition and the gas flow.
- 5. Although the pressure in the filling manifolds may be 25 bar but while designing the manifolds possibility of acetylene decomposition and detonation resistance shall also be taken into the account.
- 6. An efficient fire Protection System, Deluge system and Emergency response system for dissolved acetylene cylinder filling and storage plants shall be provided.
- 7. Carbon Dioxide fire extinguishers shall not be used for extinguishing flammable gas fires due to the risk of static electricity generation. Dry Chemical Powder type fire extinguishers shall be installed at all the strategic locations in the acetylene filling and storage plant.
- 8. Acetylene plants shall be equipped with emergency procedures for Calcium Carbide storage and transportation, Carbide fires, Carbide lime spillage and hot acetylene cylinder.
- 9. Spray of cooling water over the hot cylinder shall be continued for a sustained period of time till acetylene cylinder is attaining cool.

Safety distance table for acetylene plant

From	То	Distance in Meter
Acetylene plant	Factory boundary wall, buildings adjacent properties, office building etc.	15
Acetylene plant	Pressure vessels containing cryogenic liquid storage	15
Acetylene plant	Oxygen manufacturing plant	30
Acetylene plant	Air compressor air intake point	90
Lime sludge drying pits	Boundary wall and acetylene generation unit	9
Acetylene plant	Non flame proof electrical fittings	15

FORM F

(See rules 50, 51 and 54)

Licence is hereby granted to valid only for the possession of cylinders filled with compressed gas in the licensed premises described below and shown in the plan No. dated subject to the provisions of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made there under and to the further conditions of this licence.

The licence shall remain in force up to 30th day of September, 20..... Chief Controller/Controller of Explosives Description and location of the licensed premises

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. dated are situated at and consist of for possession of the gas contained in cylinders as described hereunder:

Type	of gas	Quantity	
(a)	toxic		
(b)	non-toxic and non-flammable		
(c)	Non-toxic and flammable		
(d)	Dissolved acetylene gas		
(e)	Non-toxic and flammable liquefiab	le gas other than	LPG

(f) Liquefied petroleum gas		
and is situated at		
(Survey No/Plot number) (Name of street) (Village	or town) (Police St	tation)
(District)		
Space for Endorsement of Renewals		
This licence shall be renewable without any Date of	Date of	Signature and
concession in fee for ten years in the absence renewal	expiry	stamp of the
of contraventions of Explosives Act,		licensing
1884 or Gas Cylinders Rules, 2016, framed		authority
there under or of the conditions of this licence.		

The licence liable to be cancelled if the cylinders do not conform to the description given in the body of the licence and for contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of the licence is also punishable as provided for under Section 9B of the Explosives Act, 1884.

CONDITIONS

1. Construction details of LPG storage shed

- (a) LPG cylinder storage shed shall be constructed from any non flammable material having floor area of minimum 11 square meter for 1000 Kgs of LPG storage. Mastic flooring conforming to IS-1195/1196 shall be provided in the LPG cylinder storage shed .The ventilator area shall be minimum 10 % of the floor area .Minimum safety distances as specified in table given in condition 5a of Form F licence shall be maintained and minimum 1.8 M high brick masonry compound wall shall be provided all around the LPG storage shed maintaining minimum safety distances as specified in condition 5a of form F license. Compound wall gate width shall not be more than 1.2 M. Dedicated LPG cylinder truck parking area in front of LPG cylinder storage shed shall be provided, which shall be surrounded by an industrial type of fencing of minimum 2.0 m height.
- (b) The licensed premises shall not be used for any purpose other than for keeping of compressed gas filled in cylinders.
- Compressed gas cylinders shall be stored only in the storage shed, which shall be constructed of suitable nonflammable materials provided that, when only non-flammable gas filled in cylinder is stored, the beams, rafters, columns, windows and doors may be of wood.
 - 3. The storage shed shall be adequately ventilated near the ground level and near or in the roof. In case the storage shed is used for keeping liquefied petroleum gas cylinder, the ventilators shall be provided with two thickness of fine copper or other non-corroding metal wire gauge of mesh not less than 11 to the linear centimeter.
 - 4. As far as possible, different types of gases should not be stored in the same shed. Where different types of gas cylinder is stored in the same shed, cylinder may be grouped together depending on the nature of the gas contained therein e.g. flammable gas cylinder shall be separated from cylinder containing oxidizing gases by an intervening space of one metre or by a fire resisting partition wall in between them and cylinder containing toxic gases shall be segregated from the cylinder containing non-toxic gases by a suitable partition wall.
 - 5.(a) The following distances shall be kept clear at all times, between any building, public place, public road or any adjoining property which may be built upon and the storage shed used for the storage of liquefied petroleum gas cylinder:

Quantity of compressed gas in Cylinder	Minimum distance to be kept clear
0 101	
101 2000	3
2001 3000	4
3001 - 4000	5
4001 - 6000	6
6001 8000	7

8001 - 10000	8
10001 12000	9
12001 20000	12
over 20000	15

Provided that the distance specified above may be reduced by the Chief Controller (i) where screen walls are provided or other special precautions taken, or (ii) where there are special circumstances which in the opinion of the Chief Controller would justify such reduction.

- (b) Minimum 3.0 m clear safety distances shall be maintained all around toxic gas and flammable gas storage shed other than LPG. An industrial type fencing of height not less than 2.0 M shall be provided all around the cylinder storage shed.
- 6. Notwithstanding anything contained in condition 6 above, cylinders containing liquefied petroleum gas exceeding 100 Kg. but not exceeding 500 Kg. may be kept in a storage shed forming part of, or attached to a building, provided that it is separated there from by a substantial partition and the only means of access to it is from outside air, such a storage shed shall not be situated under any staircase or near other entrances to, or exits from the rest of the building or other buildings.
- A shed used for storage of liquefied petroleum gas cylinder shall be surrounded by a suitable brick masonry compound wall of 1.8 meters high with a 1.2 meter wide gate to prevent unauthorized person from having access to the shed and its safety zone.

Note: Suitable space for parking of truck and unloading or loading of cylinders shall be provided by the licensee.

8. Thin wall cylinder shall not be stacked in a horizontal position:

Provided that in case of liquefied petroleum gas cylinders, the following method of stacking may be permitted:-

- (i) filled cylinder shall be stored vertically and not be stacked more than 2 high;
- (ii) empty cylinder if stored vertically, shall not be stacked more than 3 high and; if stored horizontally, shall not be stacked more than 5 high;
- (iii) the pile of the cylinder shall be kept stable by using chocks at the ends;
- (iv) at least 60 centimeter wide gangway, to permit access and maneuvering of cylinders, shall be left between stacks of single or double rows and between stacks and walls,
- 9. True chemical name(s) of the gases shall be prominently displayed in the storage shed.
- 10. The storage shed shall be in the charge of a competent person.
- 11. Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the licensed premises shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, District Magistrate and the Officer-in-Charge of the nearest Police Station and by quickest mode of communication.
- 12. Any person storing gas cylinder, when called upon by a notice in writing, to execute any additions, alterations or repairs to the gas cylinders storage shed, which in the opinion of the inspecting authority, are necessary for the safety of the premises, shall execute the said additions, alterations or repairs within such period not being less than one month from the date of receipt of the notice, as may be specified in the notice.
- 13. No shed used for storage of flammable gases shall be opened and no handling of the gas cylinder shall be permitted between the hours of sunset and sunrise, except where approved electric lighting is exclusively used.
- 14. The storage shed and the area surrounding it shall at all times be kept clean and free from all flammable materials, waste vegetation and, rubbish.
- 15. (a) No fire, furnace or other source of heat or light other than flameproof electric light and fittings shall be allowed in the storage shed and within the safety zone required to be maintained under condition 6.
 - (b) No person shall smoke in the storage shed or carry matches, fuses, mobile phones or other appliances producing ignition in the premises. Conspicuous 'No smoking signs in Hindi, English and the regional language shall be pasted or hung up at prominent places outside the storage shed.
- 16. The licensee shall provide at the licensed premises a minimum of two potable foam type or ordinary chemical type fire extinguishers of 10 kg each BIS marked or approved which shall be kept ready at a convenient location for immediate use in the event of any fire in addition to other fire fighting for other mitigating facilities required for flammable or toxic gases.

17. Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable times to any of the officers listed in rule 71 and every facility shall be afforded to such officer for ascertaining that the rules and the conditions of this licence are duly observed.

FORM G

(See rules 50, 51 and 54)

`Licence to dispense compressed natural gas or compres automotive		CNG/CBG dispe	ensing station as	
Licence No		Fee Rs		
Licence is hereby granted to				
valid only for filling compressed natural	gas in On board C	CNG/CBG cylind	ers of vehicle as	
automotive fuel in the licensed premises described below, subject of 1884) and the Gas Cylinders Rules, 2016 made there-under at				
The licence shall remain in force up to 30 th day of Sept	ember, 20			
The20				
Chief Controller of Explosives				
Description and location of the licensed premises				
The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan				
and consist of (i)number of cascades each containing No. of cylinders with total water capacity of KL (ii)number of compressors (iii) number of dispensers and (iv) other facilities				
This licence should be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contraventions of Explosives Act, 1884 or Gas Cylinders Rules, 2016 framed there under or of the conditions of the this licence.	Date of renewal	Date of expiry	Signature and office stamp of the licensing	

The licence liable to be cancelled if the cylinders do not conform to the description given in the body of the licence and for contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of the licence is also punishable as provided for under section 9B of the Explosives Act, 1884.

CONDITIONS

- 1(a). If CNG or CBG cascade and compressor is installed on suitable RCC or Steel structure and open to sky then following additional conditions shall also be complied along with all other requirements of the rule-
 - (i) Dedicated flooding type fire fighting system for CNG or CBG cascade storage and compressor kept on RCC structure operatable from ground level or automatic shall be provided.
 - (ii) An analysis report showing 4 hours fire resistant rating as per IS-1642-1989 shall be conducted by reputed agency and its report shall be enclosed along with other documents.
 - (iii) Risk analysis report prepared by a reputed engineering agency and its report shall be enclosed along with other documents.
 - (iv) The structural adequacy with respect to the superstructure with reference to static and dynamic load/vibrations on full operation of all the equipment shall be carried out by a reputed structural engineer and its report shall be enclosed along with other documents.
 - A HAZOP study shall be carried out by a reputed engineering firm and its report shall be enclosed along with other documents.
 - (vi) Minimum two stair cases opposite to each other for proper access to the CNG equipment area shall be provided.
 - (vii) CCTV camera shall be provided for close monitoring of the station min retention of minimum 24 Hrs recording.
 - (viii) Emergency stop buttons shall be provided on ground level and roof level.

- 1(b). Composite CNG dispensing units comprising of storage cylinders, compressor and dispenser integrally shall be of a type approved by the Chief Controller and minimum safety distance of 4.0 m. shall be kept clear all around the stand alone composite CNG dispensing unit and for other safety distances shall be applicable as given in condition 6 of the licence.
- 1(c). The licensed premises shall be used only for the purpose and facilities it is licensed for.
 - 2. CNG or CBG be dispensed only into those cylinders of motor vehicles, which are approved by the Chief Controller and have passed the periodic statutory tests under these rules conducted by a testing station recognised by the Chief Controller.
 - 3. The CNG or CBG cascades, dispensers, compressor, piping, and other fittings shall be of a design suitable for CNG in conformity to the Gas Cylinders Rules 2016 and safety distances shall be maintained as per table I and II given below.
 - 4. The storage of the cascade of cylinders should be made in a well-ventilated shed having a light roof or canopy with at least one side open. An area of at least 1 meter around the cascade shall be provided within the shed and the same shall be demarcated either by raised platform or by curb wall.
 - 5. In case, the cylinder cascade is mounted on Light Commercial Vehicle, the same shall be made totally immovable by suitable application of brakes and chokes.
 - 6. No cylinder shall be filled with CNG or CBG in excess of the design working pressure.
 - 7. Inter-distances between various equipments, storage cascades, dispensers, etc. installed in CNG or CBG dispensing station shall observe safety distances as per Table IA & **B** and II

TABLE I A INTER DISTANCES

From buildings and outer boundaries to gas storage units

Total capacity of gas storage cascade units (in liters)	Minimum distance from buildings and boundaries (in meters)
Up to 4500	2.5
4500 to 10000	4.0
10000 to 100000	10.0

Table I B Minimum 1.0 m inter distances shall be maintained between two cascades

Note: - If on the side(s) towards boundary of the installation, the clearance as above is not available, the same may be reduced to 2 meters provided a 4 H-FRR RCC wall of adequate height and length covering the cylinder cascades is constructed at the boundary and adequate clear space is available on the other side of the wall.

TABLE IIInter distances between various facilities in the CNG fueling station

CI	Distance form	CNC /CDC	CNC	C4	0-4	MC/HCD	VI	E:11:
Sl.	Distance from	CNG/CBG	CNG	Storage	Outer	MS/ HSD	Vent of	Filling
No.	(in meters)	Compressor	/CBG dispensing Unit	Cascade	Boundary wall/ CLF*	Dispenser	MS /HSD u/g	Point of MS/
					CLF		storage tanks	HSD
1	CNG /CBG compressor	-	3	2	3	6	6	T-1 (Min-3)
2	CNG /CBG dispensing Unit	3	-	2	4	6	4	-do-
3	Storage cascade	2	2	-	T-1	T-1 (Min-6)	T-1(Min-4)	-do-
4	Outer boundary wall/CLF*	3	4	T-1	-	6	4	-do-
5	MS/HSD Dispenser	6	6	T-1 (Min-6)	6	-	6	-do-

Sl.	Distance from	CNG/CBG	CNG	Storage	Outer	MS/ HSD	Vent of	Filling
No.	(in meters)	Compressor	/CBG dispensing	Cascade	Boundary	Dispenser	MS /HSD	Point of
			Unit		wall/		u/g	MS/
					CLF*		storage	HSD
							tanks	
6	Vent of	6	4	T-1	4	6	-	6
	MS/HSD u/g			(Min-4)				
	storage tanks							
7	Filling point	T-1						
	of MS/HSD			(Min-3)				

*CLF - Chain Link Fencing.

Note:-

- (i) T-I denotes Table-I.
- (ii) Distances shown as "-" shall be any distance necessary for operational convenience.
- (iii) A suitable curbing platform shall be provided curbing platform shall be provided at the base of the dispensing unit to prevent vehicles from coming too near the unit.
- iv) A CNG or CBG cascade having cylinders of total water capacity not exceeding 4500 liters can be mounted on top of the compressor super structure. The assembly shall observe 3-meter clearance around and also from the dispensing unit and it can be reduced to 2 meter as per Note-I of Table I.
- 8. The dispenser for dispensing CNG or CBG shall be of a type approved by the Chief Controller.
- 9. The vehicle shall have approved type of CNG kit fitted in accordance with guidelines of the Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India.
- 10. No motor vehicle shall be fueled while the engine is running and, where the vehicle is licensed for the conveyance of more than six passengers on hire, while any passenger remains in the vehicle.
- 11. Warning signs with the words "STOP VEHICLE", "NO SMOKING", "NO OPEN FLAME PERMITTED", "FLAMMABLE GAS", shall be displayed at dispensing station and compressor areas prominently.
- 12. All electrical fittings and equipment such as compressors, motors, switches, starters, etc., installed in the premises used for compressing and filling of CNG shall be of flameproof construction conforming IS 2148/ IEC 60079(in lieu of IS2148) approved by the Chief Controller of Explosives.
- 13. No alterations or additions shall be carried out to the premises without prior approval of the licensing authority.
- 14. Smoking, naked lights, lamps, source of fire, mobile phones or any other implements capable of igniting flammable vapour or gas shall not be allowed inside the premises.
- 15. Every person managing or employed on or in connection with the licensed premises shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and which is not reasonably necessary and to the best of this ability, shall prevent any other person from doing such act.
- 16. The licensee shall provide at the licensed premises the fire fighting facilities at least as per the following scale at different locations:-

Location	Type of extinguishers
Dispensing Unit	lx10 Kg DCP
Compressor (On-line)	lx10 Kg DCP
(mother station	1x70 Kg DCP
CNG storage	lx10 Kg DCP
Cascade refueling area	lx10 Kg DCP
MCC/Electrical installation	1x4.5 Kg CO ₂ per 25 Sq. M. floor area

- 17. The operator and attendant shall be fully conversant and trained with all the facets of the dispensing activities including operations, procedures, maintenance and hazards of CNG or CBG and the risk associated with the handling of the product.
- 18. The emergency telephone numbers of local fire service, police and the principal marketing company and emergency instructions shall be conspicuously displayed in the licensed premises.
- 19. If the licensing authority calls upon the holder of a licence by a notice in writing to execute any repairs in the licensed premises which are, in the opinion of such authority, necessary for the safety of the premises, the holder of the licence shall execute the repairs within such period as may be specified in the notice.
- 20. Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable time to any of the officers listed in rule 71 and every facility shall be afforded to such officer for ascertaining that the rules and the conditions of this licence are duly observed.
- 21. Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the licensed premises shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, District Magistrate and the Officer-in-Charge of the nearest Police Station by quickest mode of communication.

SCHEDULE VI

(See rule 20)

TRANSPORT OF CYLINDERS

1. Transport of cylinders by vehicles: —

- (a) The cylinders filled with any compressed gas shall not be transported by a bicycle or any other two wheeled mechanically propelled vehicle.
- (b) The cylinders shall be so transported as not to project in the horizontal plane beyond the sides or ends of the vehicle by which they are transported.
- (c) There shall be no sharp projections on the inside of the vehicle.
- (d) The cylinders shall be adequately secured to prevent their falling off the vehicle and being subjected to rough handling, excessive shocks or local stresses.
- (e) The cylinders transported in vehicles shall be blocked or braced and be so secured to prevent movement, striking each other or falling down.
- (f) The cylinders filled with any compressed gas shall not be transported along with any other article of a highly flammable or corrosive nature.

2. Restriction on transport: —

- (a) The cylinders containing flammable gases shall not be transported along with the cylinder containing any other type of compressed gas.
- (b) The cylinders containing toxic or corrosive gas shall not be transported along with food- stuffs.
- (c) Acetylene cylinders shall not be transported in closed vehicle
- (d) Thin wall cylinders shall not be transported in horizontal position. Notwithstanding anything contained in clause (a) above, DA cylinder not exceeding twenty five in numbers may be transported along with non-toxic non-flammable gases taking due precautions.

3. Loading and unloading for transport: —

- (a) No lifting magnet shall be used in loading or unloading of cylinder filled with any compressed gas.
- (b) Where any such operation is carried on by means of a crane or a fork-lift truck, a proper cradle with chains or wire rope slings shall be used.

4. Protection of valves during transport: —

- (a) Every cylinder containing compressed gas shall, when transported, have its valve protected against damage in the manner provided in sub-rules (b) and (c) unless it is securely packed in a box or crate.
- (b) Where the design of the cylinder does not provide for the valve lying wholly below the level of the body of the cylinder, a stout metal cap, metal cover or a protective metal ring or grill of a design approved by the Chief Controller shall be provided, the design being such that the cap or cover or ring or grill is nowhere in close proximity to any part of the valve or valve body.
- (c) Where metal caps or metal covers are provided, to protect valves fitted to cylinder other than those containing highly toxic gases like Hydrogen Cyanide, Phosgene, Cyanogen, Cyanogen Chloride, it shall be provided with a vent of such size so as to prevent any gas pressure inside the cap or covers.

- (d) The cylinder containing highly toxic gases like Hydrogen Cyanide, Phosgene, Cyanogen, Cyanogen Chloride gases, shall have their valves protected with gas-tight metal caps or covers.
- (e) Nothing in sub-rules (1), (2) and (3) shall apply to cylinders containing oxygen or nitrous oxide for medical purpose having water capacity not exceeding 5 litres.

5. Leaky cylinders: —

- (a) No person shall tender or transport any leaky cylinder.
- (b) Any cylinder containing a flammable or toxic gas, which develops a leak during transport shall promptly be removed to an isolated open place away from any source of ignition and the person responsible for transportation shall immediately contact the filler or the consignor as the case may be, for necessary advice.

[F.No 3(2)/2014-Expls.] SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] No. 141] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्पुन 24, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.िन. 231(अ).—केन्द्रीय सरकार, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीित और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 09(अ), तारीख 04.01.2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 4 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख, जिसको अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, से तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना जनता को 4 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेण्डर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेण्डर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. गैस सिलेण्डर नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(3) उप-नियम (1) के अधीन "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की अपेक्षा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए लागू नहीं होगी,-

1499 GI/2018

- (क) ज्वलनशील या विषैली या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो भरण संयंत्र का भाग है ; और
- (ख) सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए बशर्ते "अनापत्ति प्रमाणपत्र" स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत या सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय से अभिप्राप्त किया जाएगा।"
- 3. उक्त नियम के नियम 57 में, खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(5) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन रद्द हो जाएगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त साइट या अनुमोदित परिसर का कोई अधिकार नहीं रखता है।"
- 4. उक्त नियमों के प्ररूप 'ग' में, प्ररूप 'ड़', प्ररूप 'च' और प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति के लिए इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज, शीर्ष के अधीन :-
- (क) मद (iv) में "पट्टा करार" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) मद (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(vi) संपीडित प्राकृतिक गैस या संपीडित बायो गैस ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में वितरित करने के लिए प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति या बिक्री या व्यापार के प्रयोजन के लिए ज्वलनशील गैसों या विषाक्त गैसों या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की दशा में नियम 48 के अधीन, जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र ;

परंतु ज्वलनशील गैसों या विषाक्त गैसों या संक्षारक गैसों के भंडारण के लिए, जो भरण संयंत्र का भाग है, प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति या सिलैन्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र की अपेक्षा, लागू नहीं होगी।

परंतु यह और कि सिलेण्डरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए, प्ररूप 'च' में अनुज्ञप्ति के लिए, स्थानीय निकाय, जैसे ग्राम पंचायत या सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" अपेक्षित होगा।"

5. उक्त नियम के प्ररूप 6 की शर्त 1 की उप-शर्त (ख) में "अनुज्ञप्ति की शर्त 6 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति की शर्त 7 की सारणी 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 17(20)/2017-विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 189(अ), तारीख 27 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2018

G.S.R. 231(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 was published as required by section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th January 2018 vide Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy & Promotion), number, GSR 09(E), dated 4th January, 2018

inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 4th January, 2018.

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public on the said draft have been duly considered by the Central Government;

NOW WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely:-

- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Second amendment)
 Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) The requirement of the "No Objection Certificate" under sub-rule (1) shall not be applicable for a license in form "F", -
 - (a) for storage of flammable or toxic or corrosive gases forming part of cylinder filling plant; and
 - (b) for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders, provided "No Objection Certificate" shall be obtained from the local body such as Gram Panchayat or the urban local body concerned."
- 3. In the said rules, in the rule 57, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely :-
 - "(5) Every licence or approval granted under these rules shall stand cancelled, if the licensee ceases to have any right to the site of the licensed or approved premises."
- 4. In the said rules, in form 'C', under the heading DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED WITH THIS APPLICATION FOR A LICENCE IN FORM 'E', 'F' and 'G':-
 - (a) in item (iv), the words "lease agreement" shall be omitted;
 - (b) for item (vi), the following item shall be substituted, namely :-
 - "(vi) No Objection Certificate from the District Authority under rule 48 in the case of application for a licence in Form "G" to dispense Compressed Natural gas or Compressed Bio Gas as automotive fuel or a Licence in Form "F" to store flammable or Toxic or corrosive gases for the purpose of sale or trading;

Provided that the requirement of No Objection Certificate from the District Authority shall not be applicable for a licence in form "F" for storage of flammable or toxic or corrosive gases forming part of cylinder filling plant or licence in form "F" for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders:

Provided further that for a licence in form 'F' for storage of Liquefied Petroleum Gas in cylinders, "No objection Certificate" shall be required from the local body such as Gram Panchayat or the Urban local Body concerned."

5. In the said rules, in Form "G", in condition 1, in sub-condition (b), for the words and figure "in condition 6 of the licence", the words and figures, "Table II of condition 7 of the licence in Form G" shall be substituted.

[F. No. 17(20)/2017-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1081(E), dated the 22nd November, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 189(E), dated the 27th February, 2018.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018 03 15 22:16:28 +05:30'